पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 अगस्त, 2017 ई0 (श्रावण 21, 1939 शक सम्वत्) [संख्या–32

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	581–710	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	407–413	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	123	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा)

अधिसूचना

25 जुलाई, 2017 ई0

संख्या 741/XXIV(6)/2017–12(02)/2014–श्री राज्यपाल महोदय, श्री देव सुमन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011(समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके विश्वविद्यालय से संबंधित या उससें आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए निम्नलिखित प्रथम परिनियम बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है,

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली, 2017

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1.01– (1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम श्री देव सुमन उत्तराखण्ड़ विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली 2017 है। धारा 35(2)

(2) ये परिनियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगें।

1.02 (1) विश्वविद्यालय के ऐसे सभी विद्यमान परिनियम और ऐसे सभी अध्यादेश जो इस परिनियमावली से असंगत हों ऐसी असंगति की सीमा तक एतद्द्वारा विखंडित किये जाते हैं और तुरन्त प्रभावहीन हो जायेंगे, सिवाय उन बातों के सम्बन्ध में, जो इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व की गई हो या की जाने से छूट दी गई हों। धारा 35

1.03– इस परिनियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो– धारा 35

(क) 'अधिनियम', से उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या, 22 वर्ष 2011 श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम अभिप्रेत है;

(ख) 'खंड' से परिनियम के उस खंड से अभिप्रेत है जिसमें उक्त पद आया हो;

(ग) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत हैं;

(घ) 'विश्वविद्यालय' से श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अभिप्रेत है; और

(ड.) ऐसे शब्दों तथा पदों के जो इस परिनियमावली में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं।

1.04– इस परिनियमावली में किसी अध्यापक की आयु के सम्बन्ध में सभी निर्देश सम्बन्धित अध्यापक के जन्म दिनांक के अनुसार आयु के प्रति, जो उसके हाईस्कूल प्रमाण–पत्र में या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य परीक्षा प्रमाण–पत्र में उल्लिखित हो, निर्देश समझे जायेंगे। धारा 35

अध्याय–2
विश्वविद्यालय के अधिकारी और अन्य कार्य निर्वाहक
कुलाधिपति

2.01– (1) कुलाधिपति किसी ऐसे विषय पर जो उन्हें धारा 45 के अधीन निर्दिष्ट किया जाय, विचार करते समय विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध पक्षकारों से ऐसे दस्तावेज अथवा सूचना जिसे वह आवश्यक समझे मांग सकते हैं और किसी अन्य मामले में विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना मांग सकते हैं। धारा 9(4) तथा 35(ख)

(2) जहां कुलाधिपति खंड (1) के अधीन विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना मागें, वहां कुलसचिव का यह सुनिश्चित कर्त्तव्य होगा कि ऐसा दस्तावेज या सूचना कुलपति से अनुमोदन कराकर तुरन्त उन्हें भेज दी जाय।

कुलपति

2.02— (1) कुलपति को किसी सम्बद्ध महाविद्यालय से अध्यापन परीक्षा अनुसंधान, वित्त अथवा महाविद्यालय में अनुशासन अथवा अध्यापन की कार्यक्षमता को प्रमाणित करने वाले किसी विषय के संबंध में जिस दस्तावेज या सूचना को वह उचित समझे उसको मांगने की शक्ति होगी। धारा 10(6)

(2) कुलपति को निःशुल्क सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराया जायेगा जिसका रख रखाव विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

वित्त अधिकारी

2.03— जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो अथवा जब वित्त अधिकारी अस्वस्थता, अनुपस्थित या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो उसके पद के कर्तव्यों का पालन ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसे कुलपति नाम–निर्दिष्ट करे।

2.04— (क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा; धारा 8 (ग)

(ख) किसी वित्तीय मामले में परामर्श या तो स्वतः या उसका परामर्श अपेक्षित होने पर दे सकता है;

(ग) नकद तथा बैंक–बैलेंस की स्थिति तथा विनिधान की स्थिति पर सतत् दृष्टि रखेगा; धारा 13(7) और 35(1) (ख)

(घ) विश्वविद्यालय की आय का संग्रह और संदायों का वितरण करेगा और उसमें लेखे रखेगा;

(ड.) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन् भूमि फर्नीचर तथा उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते है और विश्वविद्यालय में उपस्कर तथा उपयोग में आने वाली अन्य सामग्रियों के स्टाक की नियमित जांच की जाती हैं;

(च) किसी भी अप्राधिकृत व्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमिताओं की सम्यक् परीक्षा करेगा और सक्षम प्राधिकारी को दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विषयक सुझाव देगा;

(छ) विश्वविद्यालय के किसी विभाग अथवा, इकाई से ऐसी कोई सूचना अथवा विवरणी जिसे वह अपने कर्त्तव्यों के पालन के लिये आवश्यक समझे, मंगा सकेगा;

(ज) विश्वविद्यालय के लेखों की निरन्तर आन्तरिक संपरीक्षा के संचालन का प्रबन्ध करेगा और उन बिलों की संपरीक्षा प्रारम्भ में ही करेगा जो तत्सम्बन्धी किसी भी स्थायी आदेश द्वारा अपेक्षित हो;

(झ) वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा सौंपे जायें;

(ञ) अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सहायक कुल–सचिव (लेखा) के पद से न्यून विश्वविद्यालय के संपरीक्षा और लेखा अनुभाग के समस्त कर्मचारियों पर परिनियम 2–06 के खंड (2) और (3) के अर्थान्तर्गत अनुशासनिक नियंत्रण रखेगा और उप/सहायक कुल सचिव (लेखा) और लेखा अधिकारी के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा।

2.05— यदि वित्त अधिकारी के कृत्य का निर्वहन करने के संबंध में किसी विषय पर कुलपति और वित्त अधिकारी के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो जाय, तो वह प्रश्न राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा और दोनो अधिकारी उससे बाध्य होंगे।

परीक्षा नियंत्रक

2.06 अधिनियम तथा परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए:– धारा 16

(1) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य एवं दायित्वों से संबंधित अभिलेखों की अभिरक्षा का उत्तरदायी होगा।

(2) कुलपति के निर्देशों के अधीन परीक्षा समिति की बैठक बुलाने, इस बैठक में उन सभी सूचनाओं जिनकी आवश्यकता हो को प्रस्तुत करने, बैठक का कार्यवृत्त रखने और परीक्षा समिति की ओर से पत्राचार करने का उत्तरदायी होगा।

(3) परीक्षा समिति द्वारा नियुक्त समितियों की बैठक आहूत करने, समिति को आवश्यक सूचनायें एवं अभिलेख उपलब्ध कराने और समिति की संस्तुतियां परीक्षा समिति के सम्मुख करने का उत्तरदायी होगा।

(4) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं की समय सारणी घोषित करने, प्रश्न पत्रों को तैयार करने एवं मोडिरेशन तथा उनकी अभिरक्षा करने तथा कथित परीक्षाओं के परीक्षाफल तैयार करने तथा उसे घोषित करने हेतु उत्तरदायी होगा।

(5) अपने कार्य एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय से ऐसे अभिलेख एवं विवरणी मांग सकेगा जिसकी आवश्यकता हो।

(6) अपने अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा, और विश्वविद्यालय के ऐसे किसी भी अधीनस्थ कर्मचारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकेगा जिसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के कार्य हेतु योजित किया गया हो अथवा परीक्षा नियंत्रक के रुप में उसके दायित्वों से संबंधित हो, और समुचित प्राधिकारी को दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति करेगा।

(7) अन्य ऐसे कार्य सम्पादित करेगा जो कि अध्यादेश द्वारा निर्धारित की जाय, कार्य परिषद्, परीक्षा समिति और कुलपति द्वारा समय–समय पर सौंपे जाय।

(8) परीक्षा नियंत्रक के कार्यो में सहयोग के लिए सहायक परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की जायेगी।

(9) परीक्षा नियंत्रक एवं सहायक परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक अर्हता एवं चयन प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी समय–समय पर कार्य परिषद् की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी।

कुलसचिव

धारा 14

2.07– (1) अधिनियम तथा परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलसचिव का विश्वविद्यालय के निम्नलिखित कर्मचारियों से भिन्न सभी कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण होगा, अर्थात्

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारीगण

(ख) उप कुलसचिव और सहायक कुलसचिव

(ग) विश्वविद्यालय के अध्यापकगण, चाहे वह अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हों या पारिश्रमिक वाले पद पर हों या किसी अन्य हैसियत से; यथा परीक्षक या अन्तरीक्षक के रूप में कार्य कर रहे हों;

(घ) पुस्तकालयाध्यक्ष;

(ङ) विश्वविद्यालय में लेखा और सम्परीक्षा अनुभाग के कर्मचारी।

(2) खण्ड (1) के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही करने की शक्ति के अन्तर्गत उक्त खण्ड में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को पदच्युत करने, हटाने, पंक्तिच्युत करने, प्रत्यावर्तित करने, उसकी सेवा समाप्त करने अथवा उसे अनिवार्य रूप से सेवा–निवृत्त करने का आदेश देने की शक्ति होगी, और ऐसे कर्मचारी की जांच होने तक की अवधि में या जांच करने का विचार होने पर निलम्बित करने की भी शक्ति होगी।

(3) खण्ड (2) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक ऐसी जांच न कर ली जाय, जिसमें उसे अपने विरूद्ध दोषारोपों से अवगत करा दिया गया हो और उन दोषारोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो;

परन्तु जहां ऐसी जांच के पश्चात् उन पर कोई शास्ति आरोपित करने की प्रस्थापना हो, वहां ऐसी जांच के दौरान दिये गये साक्ष्य के आधार पर ऐसी शास्ति आरोपित की जा सकती है और ऐसे व्यक्ति को प्रस्ताविक शास्ति के विरूद्ध अभिवेदन करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु यह भी कि यह खण्ड निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा, यद्यपि आदेश का आधार कोई आरोप हो (जिसमें दुराचरण या अक्षमता का आरोप भी सम्मिलित हो), यदि ऐसे आदेश से प्रत्यक्षतः यह प्रकट न होता हो कि वह ऐसे आधार पर पारित किया गया था :–

(क) किसी स्थानापन्न प्रोन्नत व्यक्ति को उसकी मूल पंक्ति में प्रत्यावर्तित करने का आदेश।

(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवा को सामाप्त करने का आदेश।

(ग) किसी कर्मचारी को, उसके पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश।

(घ) निलम्बन का आदेश।

2.08– परिनियम 2.07 में निर्दिष्ट किसी आदेश से व्यथित विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, उस पर ऐसे आदेश के तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, परिनियम 8.01 के अधीन गठित अनुशासनिक समिति को (कुल सचिव के माध्यम से) अपील कर सकता हैं, ऐसी अपील पर समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

2.09– अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए; कुल सचिव का निम्नलिखित कर्त्तव्य होगाः– **धारा 35**

(क) विश्वविद्यालय की समस्त संपत्ति का अभिरक्षक होना जब तक कि कार्य परिषद् द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गई हो;

(ख) धारा 21 में निर्दिष्ट विभिन्न प्राधिकारियों के अधिवेशनों को संबंधित प्राधिकारी के अनुमोदन से बुलाने के लिये समस्त सूचनायें जारी करना और ऐसे समस्त अधिवेशनों का कार्यवृत्त रखना; **धारा 14**

(ग) सभा, कार्य परिषद् तथा शैक्षिक परिषद् के अधिकृत पत्र–व्यवहार का संचालन करना;

(घ) ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना जो कुलाधिपति, कुलपति अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों अथवा निकायों के, जिनका कार्य वह सचिव के रूप में करता हों, आदेशों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक या समीचीन हो;

(ङ) विश्वविद्यालय के द्वारा या विरूद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामे पर हस्ताक्षर करना तथा अभिवचनों का सत्यापन करना।

संकायों के संकायाध्यक्ष

2.10– (1) कोई व्यक्ति उस पद पर न रह जाने पर, जिसके आधार पर वह संकायाध्यक्ष का पद धारण कर पाया, संकायाध्यक्ष नहीं बना रहेगा।

2.11– (1) ऐसे संकायों को छोड़कर जिसमें केवल एक शिक्षक हो, कोई ऐसा अध्यापक जिसने इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक को – धारा 20 तथा 35 (1)(ख)

(क) तीन वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिये संकायाध्यक्ष का पद धारण कर लिया हो, यह समझा जायेगा कि वह अपनी बारी पूरी कर चुका है और ज्येष्ठता–क्रम में पात्र अगला अध्यापक इस परिनियमावली के प्रारम्भ के दिनांक से संकायाध्यक्ष का पद धारण करेगा। धारा 20 तथा 41(2)

(ख) संकायाध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष पूरे न किये हों, तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक संकायाध्यक्ष का पद धारण किये रहेगा और ऐसी अवधि पूर्ण होने पर,ज्येष्ठता–क्रम में पात्र अगला शिक्षक संकायाध्यक्ष के रूप में पद धारण करेगा।

(2) ऐसी अवधि की जिसमें किसी अध्यापक ने संकायाध्यक्ष का पद धारण किया हो, गणना करने के प्रयोजनार्थ :–

(क) जिस अवधि में ऐसे अध्यापक को विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के या किसी न्यायालय के आदेश द्वारा संकायाध्यक्ष का पद धारण करने या उस पर बने रहने से निषिद्ध किया गया था, उसको निकाल दिया जायेगा।

(ख) जिस अवधि में किसी अध्यापक को विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के या किसी न्यायालय के आदेश के अधीन संकायाध्यक्ष का पद धारण करने की अनुमति दी गई हो, उस अवधि की गणना संकायाध्यक्ष की पदावधि के प्रयोजनार्थ उसकी बारी अगली बार आने पर की जायेगी, यदि अन्ततः यह पाया जाय कि उसे उक्त अवधि में उस पद को धारण करने का विधिक हक नहीं था।

2.12– संकायाध्यक्ष के निम्नलिखित कर्त्तव्य तथा शक्तियाँ होगी :–

(क) वह संकाय–बोर्ड के समस्त अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा और यह देखेगा कि बोर्ड के विभिन्न विनिश्चय कार्यान्वित किये जाते हैं। धारा 20(2) तथा 35(1)(ख)

(ख) वह संकाय की वित्तीय तथा अन्य आवश्यकताओं को कुलपति की जानकारी में लाने के लिये उत्तरदायी होगा।

(ग) वह संकाय में समाविष्ट विभागों के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा अन्य परिसम्पत्तियों की उचित अभिरक्षा तथा अनुरक्षण के लिये आवश्यक उपाय करेगा।

(घ) उसे अपने संकाय से संबंधित अध्ययन बोर्डों के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने तथा बोलने का अधिकार होगा किन्तु जब तक वह उसका सदस्य न हो, उसे उसमें मतदान करने का अधिकार न होगा।

छात्र–कल्याण के संकायाध्यक्ष

2.13– छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विश्वविद्यालय के उन अध्यापकों में से, जिन्हें कम से कम दस वर्ष का अध्यापन–कार्य अनुभव हो और जो सह प्रोफेसर से निम्न पंक्ति के न हों कार्य परिषद् द्वारा कुलपति की सिफ़ारिश पर की जायेगी।

2.14– छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त शिक्षक, शिक्षक के रूप में अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त संकायाध्यक्ष के कर्त्तव्यों का भी पालन करेगा।

2.15– छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष की पदावधि तीन वर्ष के लिए होगी, जब तक कि कार्य परिषद् द्वारा पहले ही समाप्त न कर दी जाय:

2.16– (1) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष की सहायता शिक्षकों का (जिनका चयन अध्यादेशों में निर्धारित रीति से किया जायेगा) एक दल करेगा, जो शिक्षकों के रूप अपने सामान्य कर्त्तव्यों के अतिरिक्त उक्त कर्त्तव्यों का पालन करेगा। इस प्रकार चुने गये शिक्षक छात्र–कल्याण के सहायक संकायाध्यक्ष कहलायेंगे। धारा 21(च) तथा 35(1)

(2) छात्र–कल्याण के सहायक संकायाध्यक्षों में से एक सहायक संकायाध्यक्ष विश्वविद्यालय की महिला अध्यापकों में से नियुक्त किया जायेगा जो बालिका छात्राओं के कल्याण की देखभाल करेगी।

2.17– (1) छात्र–कल्याण के संकायाध्यक्ष तथा छात्र–कल्याण के सहायक संकायाध्यक्षों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे छात्रों को ऐसे मामलों में, जिनमें सहायता तथा मार्ग–दर्शन अपेक्षित है, सामान्यतः सहायता प्रदान करें तथा विशेषतया, छात्रों तथा भावी छात्रों को, धारा 21(च) तथा 35(1) (ख)

(क) विश्वविद्यालय तथा उसके पाठयक्रमों में प्रवेश लेने,
(ख) उपयुक्त पाठयक्रम तथा अभिरूचि का चुनाव करने,
(ग) निवास स्थान ढूंढने,
(घ) भोजन–व्यवस्था करने, धारा 21(च) तथा 35(1) (ख)
(ङ) चिकित्सीय सलाह तथा सहायता प्राप्त करने,
(च) छात्रवृत्तियां, वृत्तिका, अंशकालिक नियोजन तथा अन्य आर्थिक सहायता प्राप्त करने,
(छ) अवकाश के दिनों तथा शैक्षिक अध्ययन यात्राओं के लिए यात्रा सुविधायें प्राप्त करने,
(ज) विदेश में अग्रेत्तर अध्ययन की सुविधायें प्राप्त करने,
(झ) विश्वविद्यालय की परम्परायें अक्षुण्य रहें इस उद्देश्य से उन्हें अध्ययन करने में उचित रुप से सहायता करना और सलाह देना।

(2) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष किसी छात्र के संरक्षक से किसी मामले के सम्बन्ध में, जिसमें उसकी सहायता अपेक्षित हो, आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर सकता है।

2.18– छात्र–कल्याण के संकायाध्यक्ष छात्र संघ चुनावों के सम्बन्ध में मार्ग दर्शक एवं दिशा–निर्देश प्रदान करेंगे।

2.19– सम्बध महाविद्यालयों के छात्र–कल्याण संकायाध्यक्ष की व्यवस्था परिनियम 2.12 से 2.17 के उपबन्ध सम्बन्ध महाविद्यालयों के लिए इस प्रकार लागू होंगें मानों क्रमशः शब्द "कार्यपरिषद्" और "कुलपति" के स्थान पर "प्रबन्ध–समिति" और 'प्राचार्य" रखे गये हों। छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष एवं अन्य को मानदेय महाविद्यालय की निधियों से प्रबन्ध–समिति की पूर्वानुमति से दिया जा सकता है।

2.20– छात्र–कल्याण के संकायाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की निधियों से ऐसा मानदेय दिया जा सकता है जैसा कुलपति, कार्य परिषद् की संस्तुति से निश्चित करें।

विभागाध्यक्ष

2.21– विश्वविद्यालय में अध्यापन के प्रत्येक विभाग का ज्येष्ठतम शिक्षक उस विभाग का विभागाध्यक्ष होगा। धारा 19 और 35(ग)

पुस्तकालयाध्यक्ष

2.22– विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, एक पूर्णकालिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकता हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष की अर्हतायें, चयन एवं नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत होगी।

2.23– विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का अनुरक्षण तथा उसकी सेवा को ऐसी रीति से, जो अध्यापन कार्य तथा अनुसन्धान कार्य के हित में सर्वाधिक सहायक हो, संगठित करना पुस्तकालयाध्यक्ष का कर्त्तव्य होगा।

2.24– पुस्तकालयाध्यक्ष कुलपति के अनुशासनिक नियंत्रण में रहेगा। परन्तु उसे अनुशासनिक कार्यवाहियों में अपने विरूद्ध कुलपति द्वारा दिये गये किसी आदेश के विरूद्ध कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा। धारा 21(च) धारा 35

नियंता

2.25– नियंता विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा। नियंता कुलपति को विश्वविद्यालय के छात्रों के सम्बन्ध में अनुशासनिक प्राधिकार का प्रयोग करने में सहायता देगा, और अनुशासन के सम्बन्ध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन भी करेगा जो उसे कुलपति द्वारा इस निमित्त सौंपे जाय। **धारा 35**

2.26– नियंता की सहायता के लिये सहायक नियंता होंगे जिनकी संख्या कार्य परिषद् द्वारा समय–समय पर निश्चित की जायेगी। **धारा 31 तथा 35(1) (ख)**

2.27– कुलपति नियंता के परामर्श से सहायक नियंता नियुक्त करेंगे।

2.28– नियंता तथा सहायक नियंता एक वर्ष के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होंगे:

परन्तु जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाय; प्रत्येक नियंता अथवा सहायक नियंता पद पर बना रहेगा। परन्तु यह और कि कार्यपरिषद् कुलपति की सिफारिश पर नियंता को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व हटा सकती है;

परन्तु यह भी कि कुलपति किसी सहायक नियंता को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व हटा सकते हैं।

2.29– नियंता तथा सहायक नियंता को विश्वविद्यालय की निधियों से ऐसा मानदेय दिया जा सकता है जैसा कुलपति कार्य परिषद् की संस्तुति से निश्चित करें। **धारा 31 तथा 35(1) (ख)**

2.30– सम्बद्ध महाविद्यालयों के नियंता की व्यवस्था परिनियम 2.24 से 2.28 के उपबन्ध महाविद्यालयों के लिए इस प्रकार लागू होंगें मानों क्रमशः शब्द "कार्यपरिषद्" और "कुलपति" के स्थान पर "प्रबन्ध–समिति" और 'प्राचार्य" रखे गये हों। मानदेय महाविद्यालय की निधियों से प्रबन्ध समिति की पूर्वानुमति से दिया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा संचालित सम्बद्ध महाविद्यालयों की स्थिति में "कार्यपरिषद्" एवं "कुलपति" के स्थान पर क्रमशः "निदेशक उच्च शिक्षा" एवं "प्राचार्य" रखे गये हों। मानदेय महाविद्यालय की निधि से निदेशक उच्च शिक्षा की पूर्वानुमति से दिया जा सकता है।

अध्याय 3
कार्य परिषद्

3.01– संकायों के संकायाध्यक्ष जो धारा 25(1) (ग) के अधीन कार्य परिषद् के सदस्य होंगे, उसी क्रम में चुने जायेंगे जिस क्रम में विभिन्न संकायों के नाम परिनियम 7.01 में प्रगणित हैं।

3.02– धारा 25(1) (घ) के अधीन विश्वविद्यालय के अध्यापकों का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार से होगा–

(क) एक प्रोफेसर जिसका चयन ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से किया जायेगा;

(ख) एक सह प्रोफेसर जिसका चयन ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से किया जायेगा;

(ग) एक सहायक प्रोफेसर जिसका चयन ज्येष्ठता चक्रानुक्रम से किया जायेगा।

3.03– सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्यों (एक स्ववित्तपोषित से) और दो अन्य अध्यापकों जो धारा 25(1)(घ) के अधीन कार्य–परिषद् के सदस्य होंगे और जिनका चयन, यथास्थिति, ऐसे प्राचार्यों और अध्यापकों के ज्येष्ठता–क्रम में चक्रानुक्रम से किया जायेगा।

3.04— धारा 25(1) के खण्ड (च) के अधीन चुने गये व्यक्ति बाद में विश्वविद्यालय, संस्थान, घटक महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय या छात्र निवास या महाविद्यालय, या विश्वविद्यालय के छात्रावास का छात्र होने या उसकी सेवा स्वीकार कर लेने पर कार्य परिषद् के सदस्य नही रह जायेंगे। धारा 25 और धारा 35(1)

3.05— कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से कार्य परिषद् का न तो सदस्य होगा न सदस्य बना रहेगा, और जब कभी कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से कार्य–परिषद् का सदस्य हो जाय, तो वह उसके दो सप्ताह के भीतर यह चुन लेगा कि वह किस हैसियत से कार्य परिषद् का सदस्य रहना चाहता है और दूसरा स्थान रिक्त कर देगा। यदि वह इस प्रकार चुनाव न करें, तो यह समझा जायेगा कि उसने उस स्थान का जिस पर समय की दृष्टि से वह पहले से आसीन था उपर्युक्त दो सप्ताह की अवधि की समाप्ति के दिनांक से रिक्त कर दिया है।

3.06— कार्य परिषद् अपनी कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा पारित संकल्प से, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को अपनी ऐसी शक्तियाँ जिन्हें वह ठीक समझे, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें संकल्प में निर्दिष्ट किया जाय, प्रत्यायोजित कर सकती है।

3.07— कार्य परिषद् ऐसे किसी प्रस्ताव पर जिसमें वित्तीय प्राविधान अन्तर्ग्रस्त हो विचार करने के पूर्व वित्त अधिकारी की राय प्राप्त करेगी।

अध्याय–4

सभा

अध्यापकों आदि का प्रतिनिधित्व

4.01— विश्वविद्यालय और उसके घटक महाविद्यालयों तथा संस्थानों के, यदि कोई हों, छात्रावासों तथा छात्रनिवासियों के दो प्रोवोस्ट तथा वार्डेन का, जो धारा 22(1) के वर्ग 2 (ग) के अधीन सभा के सदस्य होंगे, चयन प्रोवोस्ट तथा वार्डेन के रूप में उनकी लगातार दीर्घकालिक सेवा के आधार पर चक्रानुक्रम से किया जायेगा।

4.02— (1) ऐसे पन्द्रह अध्यापकों का जो धारा 22(2) के वर्ग 2 (ङ) के अधीन सभा के सदस्य होंगे, चयन निम्नलिखित रीति से किया जायेगा :–

(क) विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर,
(ख) विश्वविद्यालय के एक सह प्रोफेसर,
(ग) विश्वविद्यालय के दो सहायक प्रोफेसर,
(घ) छात्र–कल्याण के संकायाध्यक्ष,
(ङ) सम्बद्ध महाविद्यालयों के चार प्राचार्य,
(च) सम्बद्ध महाविद्यालयों के छः अन्य अध्यापक।

4.03— (1) सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र के दो प्रतिनिधि, जो धारा 22(2) के वर्ग 2 (च) के अधीन सभा के सदस्य होंगे, उनका चयन कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम से नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। धारा 22वर्ग (2)(ग)

(2) प्रतिनिधित्व करने वाला प्रबन्धतंत्र, सभा के किसी अधिवेशन में अपने किसी सदस्य (जिसके अन्तर्गत सभापति भी है) को भेजने के लिये स्वतंत्र होगा।

स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण तथा सभा में उनका प्रतिनिधित्व

4.04— कुल सचिव अपने कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का एक रजिस्टर रखेगा, जिसे आगे इस अध्याय में रजिस्टर कहा गया है। धारा 22वर्ग (2)(ङ)

4.05– रजिस्टर में निम्नलिखित विवरण होंगे :–

(क) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का नाम तथा पता;

(ख) उनके स्नातक होने का वर्ष;

(ग) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का नाम जहां से वे स्नातक हुये;

(घ) रजिस्टर में स्नातक का नाम दर्ज किये जाने का दिनांक;

(ङ) ऐसे अन्य ब्यौरे जिनके बारे में कार्य परिषद् समय–समय पर निर्देश दे।

टिप्पणी– ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के नाम काट दिये जायेंगे जिनकी मृत्यु हो गई हो।

4.06– विश्वविद्यालय का प्रत्येक स्नातक कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में आवेदन पत्र देने पर और रूपये एक हजार एक मात्र की फीस देने पर रजिस्टर में अपना नाम उस दीक्षान्त समारोह के दिनांक से दर्ज कराने का हकदार होगा जिसमें वह उपाधि प्रदान की गई थी या उसके उपस्थित रहने पर प्रदान की गई होती जिसके आधार पर उसका नाम दर्ज करना है। आवेदन–पत्र स्नातक द्वारा स्वयं दिया जायेगा और उसे या तो स्वयं कुलसचिव को दिया जा सकता है या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता है। यदि दो या उसके अधिक आवेदन पत्र एक ही आवरण में प्राप्त हो, तो उन्हें अस्वीकार कर दिया जायेगा। धारा 22वर्ग (2)(च)

परन्तु किसी अन्य विश्वविद्यालय से मूल रूप में सम्बद्ध और अब विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रत्येक स्नातक भी विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रीकृत स्नातक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वह उसी उपाधि के आधार पर किसी अन्य विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रीकृत स्नातक न हो। धारा 22 वर्ग (3) तथा 35(1)(क)

4.07– आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर कुलसचिव, यदि यह ज्ञात हो कि स्नातक सम्यक रूप से अर्ह है और विहित फीस दे दी गयी है, आवेदक का नाम रजिस्टर में दर्ज करेगा।

4.08– कोई रजिस्ट्रीकृत स्नातक, जिसका नाम निर्वाचन की अधिसूचना के दिनांक के पूर्ववर्ती 30 जून को एक वर्ष या उससे अधिक अवधि से रजिस्टर में लिखा हो, रजिस्ट्रीकृत स्नातक के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मत (वोट) देने का हकदार होगा।

परन्तु एक वर्ष का निबन्धन इस परिनियमावली के प्रकाशित होने पर सभा के लिये होने वाले रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के प्रथम निर्वाचन पर लागू नहीं होगा।

4.09– कोई रजिस्ट्रीकृत स्नातक धारा 22 (2)वर्ग (3) के अधीन निर्वाचन में खड़े होने के लिये पात्र होगा, यदि उसका नाम निर्वाचन के दिनांक के पूर्ववर्ती 30 जून को कम से कम तीन वर्ष तक रजिस्टर में दर्ज रहा हो। धारा 35(1)

परन्तु तीन वर्ष का निबन्धन इस परिनियमावली के प्रकाशित होने पर सभा के लिए होने वाले रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के प्रथम निर्वाचन पर लागू नहीं होगा।

4.10– धारा 22(2) के वर्ग (3) के अधीन निर्वाचित रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का प्रतिनिधि विश्वविद्यालय या किसी संस्थान या किसी घटक महाविद्यालय, छात्रावास, सम्बद्ध महाविद्यालय छात्र निवास की सेवा में प्रवेश करने पर अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय, छात्र निवास अथवा छात्रावास के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध हो जाने पर अथवा छात्र हो जाने पर सदस्य नहीं रहा जायेगा, और इस प्रकार रिक्त हुए स्थान को ऐसे उपलब्ध व्यक्ति द्वारा, जिसे पिछले निर्वाचन के समय ठीक बाद में पढ़ने वाले अधिकतम मत प्राप्त हुए हों, शेष कार्यकाल के लिये भरा जायेगा। धारा 35(1)

4.11– कोई रजिस्ट्रीकृत स्नातक, जो पहले से ही किसी अन्य हैसियत से सभा का सदस्य हो रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन में खड़ा हो सकता है, और इस प्रकार उसके निर्वाचित हो जाने पर परिनियम 3.05 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

4.12– इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का निर्वाचन **परिशिष्ट 'ख'** में निर्धारित आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा।

4.13– सभा के सदस्यों का कार्यकाल सभा के प्रथम अधिवेशन के दिनांक से प्रारम्भ होगा। धारा 22(2)वर्ग (3) तथा 35(1)

अध्याय 5
शैक्षिक परिषद्

5.01– विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों से जो तीन प्राचार्य धारा 28(2)(पांच) के अधीन शैक्षिक परिषद् के सदस्य होंगे, उनका चयन ऐसे महाविद्यालयों के प्राचार्यों के रूप में उनकी ज्येष्ठता–क्रम में किया जायेगा।

5.02– ऐसे पन्द्रह अध्यापकों का, जो धारा 28(2) (छः) के अधीन शैक्षिक परिषद् के सदस्य होंगे, उनका चयन निम्नलिखित रीति से किया जायेगा :

(क) ज्येष्ठता–क्रम में चक्रानुक्रम से सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्रोफेसर।

(ख) ज्येष्ठता– क्रम में चक्रानुक्रम से सम्बद्ध महाविद्यालयों के चार सह प्रोफेसर।

(ग) ज्येष्ठता– क्रम में सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन अध्यापक (जो प्राचार्य न हों।)

टिप्पणी–(1) एक संकाय के एक से अधिक सह प्रोफेसर तथा एक से अधिक अध्यापक इस परिनियम के अधीन सदस्य नहीं होंगे।

(2) यदि एक संकाय के एक से अधिक सह प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर तथा एक महाविद्यालय के दो से अधिक अध्यापक इस परिनियम के अधीन शैक्षिक परिषद् के सदस्य होने के हकदार हों, तो, यथास्थिति ज्येष्ठतम प्रोफेसर और दो ज्येष्ठतम अध्यापक शैक्षिक परिषद् के सदस्य होंगे। वे सह प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर तथा अध्यापक जो इस प्रकार रह जायेंगे उनकी बारी चक्रानुक्रम से अगली बार आयेगी।

5.03– शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित तीन व्यक्ति, जो धारा 28(2) के खण्ड (आठ) के अधीन शैक्षिक परिषद् के सदस्य होंगे, उनका सहयोजन उक्त धारा के खण्ड (एक) से (सात) में उल्लिखित सदस्यों द्वारा, जिनका अधिवेशन कुलसचिव बुलायेगा, उन व्यक्तियों में से किया जायेगा जो विश्वविद्यालय, घटक महाविद्यालय, संस्थान, सम्बद्ध महाविद्यालय, छात्र निवास या छात्रावास के कर्मचारी न हों।

5.04– धारा 28(2) के अधीन सदस्य तीन वर्ष के लिये पद धारण करेंगे। धारा 28(2) (पांच)

5.05– अधिनियम, इस परिनियमावली तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, शैक्षिक परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् –

(क) अध्ययन बोर्ड के द्वारा संकायों के माध्यम से प्रेषित पाठ्यक्रम विषयक प्रस्तावों की समीक्षा करना और उन पर अपनी सिफारिश करना तथा कार्य–परिषद् के विचारार्थ उन सिद्धान्तों और मापदण्डों की सिफारिश करना जिनके आधार पर परीक्षकों और निरीक्षकों को नियुक्त किया जाय; धारा 28(2) (छ:)

(ख) सभा अथवा कार्य–परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किये गये या सौंपे गये किसी भी विषय पर रिपोर्ट देना;

(ग) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों के डिप्लोमा तथा उपाधियों को मान्यता देने और विश्वविद्यालय के डिप्लोमा तथा उपाधियों या उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्रति उनकी समकक्षता के विषय में कार्य परिषद् को सलाह देना;

(घ) विश्वविद्यालय को विभिन्न उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिये विषय विशेष में शिक्षण देने वाले व्यक्तियों की अपेक्षित अर्हताओं के सम्बद्ध में कार्य परिषद् को सलाह देना, और

(ङ) शिक्षा सम्बन्धी विषयों के सम्बन्ध में ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करना और ऐसे सभी कृत्यों को करना जो अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों को उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो।

5.06– शैक्षिक परिषद् का अधिवेशन कुलपति के निर्देश से बुलाया जायेगा। धारा 28(2) (आठ)

अध्याय 6
वित्त समिति

6.01– धारा 29 के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट व्यक्ति की सदस्यता की अवधि एक वर्ष होगी, परन्तु वह अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचन तक पद पर बना रहेगा, कोई भी ऐसा सदस्य लगातार तीन बार से अधिक पद धारण नहीं करेगा। धारा 28(3)

6.02– व्यय की ऐसी नई मदें जो पहले से ही वित्तीय अनुमान में सम्मिलित न हों निम्नलिखित दशाओं में वित्त समिति को निर्दिष्ट की जायेंगी– धारा 28(5) एवं 35(1)

(क) अनावर्ती व्यय यदि उसमें एक लाख या उससे अधिक का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, और

(ख) आवर्ती व्यय यदि उसमें बीस हजार रूपये या इससे अधिक का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो:

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यह अनुमति न होगी कि वह किसी ऐसे मद को जो एक बजट शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली अनेक भागों में विभाजित की गयी हो, छोटी–छोटी धनराशियों की बहुत सी मदें मानकर कार्य करें और वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत न करें।

6.03– वित्त समिति ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व, जिसकी अध्यादेशों द्वारा इस निमित्त व्यवस्था की जाय, परिनियम 6.02 अथवा परिनियम 6.04 के अधीन उसको निर्दिष्ट की गई व्यय की समस्त मदों पर विचार करेगी और उन पर अपनी सिफारिशों यथाशीघ्र देगी और कार्य परिषद् को संसूचित करेगी।

6.04– यदि कार्य–परिषद् वार्षिक वित्तीय अनुमान (अर्थात् बजट) पर विचार करने के पश्चात् किसी समय उसमें किसी ऐसे पुनरीक्षण का प्रस्ताव करे, जिसमें परिनियम 6.02 में निर्दिष्ट आवर्ती या अनावर्ती धनराशि का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो तो कार्य परिषद् वित्त समिति को प्रस्ताव निर्दिष्ट करेगी।

6.05— वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा वित्तीय अनुमान वित्त समिति के समक्ष विचार के लिए रखा जायेगा और तत्पश्चात् कार्य–परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। धारा 29(1)(ङ)

6.06— वित्त समिति के किसी सदस्य को असहमति अभिलिखित करने का अधिकार होगा, यदि वह वित्त समिति के किसी विनिश्चय से सहमत न हो।

6.07— लेखा की परीक्षा करने तथा व्यय के प्रस्तावों की समीक्षा करने के लिये वित्त समिति का प्रतिवर्ष कम से कम दो बार अधिवेशन होगा।

6.08— वित्त समिति के अधिवेशन कुलपति के निर्देश से बुलाये जायेंगे और वित्त अधिकारी द्वारा ऐसे अधिवेशनों को बुलाने के लिये सभी नोटिसें जारी की जायेंगी और सभी अधिवेशनों का कार्यवृत्त रखा जायेगा।

अध्याय 7
संकाय

7.01— विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे परन्तु पूर्व हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय में चल रहे पाठ्यक्रमों को सम्बद्धता देने के लिए विश्वविद्यालय नये संकाय अथवा नये विभाग/पाठ्यक्रमों की अनुमति प्रदान कर सकता है, जिसकी सूचना विश्वविद्यालय के विहित प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् कुलाधिपति को प्रेषित की जायेगी। धारा 29(3) तथा 35(1)

धारा 29(2), 29(3) तथा 35(1)

(क) कला संकाय
(ख) वाणिज्य एवं प्रबन्धन संकाय
(ग) विज्ञान संकाय
(घ) शिक्षा संकाय
(ङ) विधि संकाय
(च) कृषि संकाय

7.02— (1) कला संकाय का बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जायेगा :–

(i) संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा।

(ii) संकाय में समाविष्ट विषयों में विश्वविद्यालय, घटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के पाँच प्रोफेसर और प्रोफेसर श्रेणी के पाँच विभागाध्यक्ष और सह प्रोफेसर; धारा 13(7) तथा 35(1)

(iii) स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य;

(iv) एक ज्येष्ठतम अध्यापक जो प्राचार्य या संकाय में समाविष्ट और प्रथम उपाधि स्तर तक मान्यता प्राप्त प्रत्येक विषय के विभाग का ज्येष्ठतम अध्यापक होगा;

(v) उपर्युक्त खण्ड (iii) और (iv) में उल्लिखित प्राचार्यों और अध्यापकों से भिन्न संकाय के तीन ज्येष्ठतम अध्यापक, परन्तु ऐसे अध्यापकों में से दो एक ही विषय को प्राध्यापित न करते हों और एक ही महाविद्यालय के न हों, यदि उस विषय के अध्यापन के लिए एक से अधिक महाविद्यालय को मान्यता प्राप्त हो। इस प्रकार जो अध्यापक रह जायेंगे वह चक्रानुक्रम में अगली बार अपनी बारी नहीं खोयेंगे।

(vi) पांच व्यक्ति जो संकाय में समाविष्ट विषयों या उससे सम्बद्ध विषयों का विशिष्ट ज्ञान रखते हों और विश्वविद्यालय या उसके किसी महाविद्यालय की सेवा में न हों, कुलपति द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों से नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे :– धारा 35(1)

(क) विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और सह प्रोफेसर;
(ख) स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के वर्तमान या सेवा निवृत्त प्राचार्य;
(ग) अनुसंधान संस्थानों के निदेशक :

परन्तु उपर्युक्त में से कम से कम तीन व्यक्ति श्रेणी (क) और (ग) के होंगे,

(2) खण्ड (1) की मद संख्या (iii), (iv) और (v) के अधीन अध्यापक ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से चुने जायेंगे।

7.03– कला संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे:–

(1) संस्कृत तथा प्राकृत भाषाएं
(2) हिन्दी तथा आधुनिक भाषाएं
(3) उर्दू
(4) अंग्रेजी तथा आधुनिक युरोपीय भाषाएं और अन्य विदेशी भाषाएं
(5) दर्शन शास्त्र
(6) मनोविज्ञान
(7) शिक्षा शास्त्र
(8) राजनीतिक शास्त्र
(9) इतिहास जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व भी सम्मिलित हैं।
(10) अर्थशास्त्र
(11) भूगोल
(12) संगीत
(13) चित्रांकन एंव चित्रकारी
(14) गृह विज्ञान
(15) समाजशास्त्र
(16) मानव विज्ञान
(17) पत्रकारिता
(18) पर्यटन और एलीमेण्टरी होटलीयरिंग
(19) अनुवाद और सृजनात्मक साहित्य
(20) पुस्तकालय विज्ञान
(21) क्षेत्रीय संस्कृति
(22) शारीरिक शिक्षा
(23) सामाजिक कार्य

धारा 35(1)

7.04– वाणिज्य एवं प्रबन्धन संकाय का बोर्ड निम्न प्रकार से गठित किया जायेगा:–

(i) संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा;

(ii) विश्वविद्यालय के और संकाय के घटक महाविद्यालयों के पांच प्रोफेसर की श्रेणी के विभागाध्यक्ष या सह प्रोफेसर;

(iii) स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य;

(iv) खण्ड (ii) में उल्लिखित प्राचार्यों और अध्यापकों से भिन्न घटक और सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों में से ज्येष्ठता–क्रम में, चक्रानुक्रम से, स्नातकोत्तर कक्षाओं को प्रध्यापित करने वाले तीन अध्यापक, परन्तु एक से अधिक एक ही महाविद्यालय का नहीं होगा। इस प्रकार चक्रानुक्रम में, जो अध्यापक रह जायेंगे वह अगली बार अपनी बारी नहीं खोयेंगे;

(v) विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के अध्ययन बोर्ड का संयोजक;

धारा 35(1)

(vi) तीन व्यक्ति जो संकाय में समाविष्ट विषयों या उनसे सम्बद्ध विषयों का विशिष्ट ज्ञान रखते हों, और विश्वविद्यालय या उसके किसी महाविद्यालय की सेवा में न हों, कुलपति द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों से नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे–

(क) विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और सह प्रोफेसर।

(ख) स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के वर्तमान और सेवा निवृत्त प्राचार्य।

(ग) अनुसंधान संस्थानों के निदेशक;

परन्तु उपर्युक्त व्यक्तियों में से कम से कम दो व्यक्ति श्रेणी (क) और (ख) के होंगे।

7.05– वाणिज्य संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :

(1) वाणिज्य

(2) व्यापार प्रबन्ध।

(3) मैनेजमेन्ट एण्ड इन्फॉरमेशन टैक्नालोजी

(4) एडवरटाइजिंग एण्ड पब्लिक रिलेशन मैनेजमेन्ट

(5) हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन

7.06– विधि संकाय का बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जायेगा:–

(i) संकाय का संकायाध्यक्ष।

(ii) विश्वविद्यालय, घटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के पांच प्रोफेसर और पांच प्रोफेसर की श्रेणी के विभागाध्यक्ष या सह प्रोफेसर। **धारा 35(1)**

(iii) स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य।

(iv) उपर्युक्त खण्ड (iii) में उल्लिखित प्राचार्यों और अध्यापकों से भिन्न घटक और सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों में से ज्येष्ठता–क्रम में, चक्रानुक्रम से, विधि के दो अध्यापक, परन्तु वे दोनों एक ही महाविद्यालयों के नहीं होंगे। इस प्रकार जो अध्यापक रह जायेंगे वह चक्रानुक्रम में अगली बार अपनी बारी नहीं खोयेंगे।

(v) तीन व्यक्ति जो संकाय में समाविष्ट विषयों या उनसे सम्बद्ध विषयों का विशिष्ट ज्ञान रखते हों और विश्वविद्यालय या उसके किसी महाविद्यालय की सेवा में न हो, कुलपति द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों से नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे:

(क) विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और सह प्रोफेसर

(ख) स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के वर्तमान या सेवा–निवृत्त प्राचार्य;

(ग) अनुसंधान संस्थानों के निदेशक :

परन्तु उपर्युक्त में से कम से कम दो व्यक्ति श्रेणी (क) और (ग) के होंगे।

(vi) जिला न्यायाधीश, टिहरी/देहरादून।

7.07– विधि संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे:–

(1) विधि विभाग

7.08– **(1)** विज्ञान संकाय का बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जायेगा:–

(i) संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा।

(ii) विश्वविद्यालय, घटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के पांच प्रोफेसर और पांच प्रोफेसर की श्रेणी के विभागाध्यक्ष या सह प्रोफेसर।

(iii) स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य।

(iv) एक जेष्ठतम अध्यापक जो प्राचार्य या संकाय में समाविष्ट और प्रथम उपाधि स्तर तक मान्यता प्राप्त प्रत्येक विषय के विभाग का ज्येष्ठतम अध्यापक। **धारा 35(1)**

(v) उपर्युक्त खण्ड (iii) और (iv) में उल्लिखित प्राचार्यों और अध्यापकों से भिन्न संकाय के तीन ज्येष्ठतम अध्यापक, परन्तु ऐसे अध्यापकों में से दो एक ही विषय को प्राध्यापित न करते हों और एक ही महाविद्यालय के न हों, यदि उस विषय के अध्यापन के लिए एक से अधिक महाविद्यालय को मान्यता प्राप्त हो। इस प्रकार जो अध्यापक रह जायेंगे, वह चक्रानुक्रम में अगली बारी नहीं खोयेंगे। धारा 35(1)

(vi) पांच व्यक्ति जो संकाय में समाविष्ट विषयों का विशिष्ट ज्ञान रखते हों और विश्वविद्यालय या उसके किसी महाविद्यालय की सेवा में न हों, कुलपति द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों से नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे–

(क) विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और सह प्रोफेसर

(ख) स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के वर्तमान या सेवा–निवृत्त प्राचार्य;

(ग) अनुसंधान संस्थानों के निदेशक :

परन्तु उपर्युक्त में से कम से कम दो व्यक्ति श्रेणी (क) और (ग) के होंगे।

(2) खण्ड (1) के उपखण्ड (iii), (iv) और (vi) के अधीन अध्यापक ज्येष्ठता–क्रम में, चक्रानुक्रम से चुने जायेंगे।

7.09– विज्ञान संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे:– धारा 35(1)

(1) भौतिक विज्ञान
(2) रसायन विज्ञान
(3) गणित
(4) जीव विज्ञान एवं बायोटैक्नोलॉजी
(5) वनस्पति विज्ञान एवं माइक्रोबाइलॉजी
(6) भू–विज्ञान
(7) सांख्यिकी
(8) खनिज समन्वेषण
(9) वन विद्या
(10) भू–गणित
(11) जैमोलॉजी
(12) कम्प्यूटर विज्ञान एवं इन्फॉरमेशन साइन्स
(13) फार्मेसी
(14) नैनो साइन्स
(15) पर्यावरण विज्ञान
(16) रिमोट सेन्सिग एवं जी0आई0एस0
(17) रक्षा एवं स्त्रातीजिक अध्ययन

7.10– शिक्षा संकाय का बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जायेगा:–

(i) संकाय का संकायाध्यक्ष।

(ii) विश्वविद्यालय, घटक महाविद्यालयों के पांच प्रोफेसर और पांच सह प्रोफेसर की श्रेणी के विभागाध्यक्ष और सह प्रोफेसर।

(iii) शिक्षा के तीन अध्यापक होंगे जो घटक और सम्बद्ध महाविद्यालयों के या तो प्राचार्य होंगे या अध्यापकों में से, ज्येष्ठताक्रम में, चक्रानुक्रम से विभाग के ज्येष्ठतम अध्यापक होंगे, परन्तु उनमें से कम से कम एक उस विभाग के होंगे जहां एम.एड.स्तर तक पढ़ाया जाता हो।

(iv) उपर्युक्त (iii) में उल्लिखित प्राचार्यों और अध्यापकों से भिन्न घटक या सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों में से ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से, दो अध्यापक, परन्तु उनमें से एक से अधिक एक महाविद्यालय का नहीं होगा। इस प्रकार चक्रानुक्रम में जो अध्यापक रह जायेंगे वह अगली बार अपनी बारी नहीं खोयेंगे।

(v) तीन व्यक्ति जो संकाय में समाविष्ट विषयों या उससे सम्बद्ध विषयों का विशिष्ट ज्ञान रखते हों, और विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालय की सेवा में न हों, कुलपति द्वारा निम्नलिखित श्रेणी से नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे :–

(क) विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और सह प्रोफेसर।

(ख) स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के वर्तमान या सेवा–निवृत्त प्राचार्य।

(2) खण्ड (1) के उपखण्ड (iii),(iv) और (v) के अधीन अध्यापक ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से चुने जायेंगे। **धारा 35(1)**

7.11– शिक्षा संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे:–

(1) शिक्षा

7.12– **(1)** कृषि संकाय का बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जायेगा :–

(i) संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा ;

(ii) विश्वविद्यालय, घटक महाविद्यालयों के पांच प्रोफेसर और पांच सह प्रोफेसर की श्रेणी के विभागाध्यक्ष और सह प्रोफेसर।

(iii) महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य।

(iv) एक ज्येष्ठतम अध्यापक होगा जो या तो प्राचार्य होगा या संकाय में समाविष्ट और प्रथम उपाधि स्तर तक मान्यता प्राप्त प्रत्येक विषय के विभाग का ज्येष्ठतम अध्यापक होगा;

(v) उपर्युक्त खण्ड (iii) और (iv) में उल्लिखित प्राचार्यों और अध्यापकों से भिन्न संकाय के तीन ज्येष्ठतम अध्यापक, परन्तु उनमें से दो एक ही विषय को प्राध्यापित न करते हों और एक ही महाविद्यालय के न हों, यदि उस विषय के अध्यापन के लिए एक से अधिक महाविद्यालय को मान्यता प्राप्त हो। इस प्रकार जो अध्यापक रह जायेंगे वह चक्रानुक्रम में अगली बार अपनी बारी नहीं खोयेंगे।

(vi) पांच व्यक्ति जो संकाय में समाविष्ट विषयों या उससे सम्बद्ध विषयों का विशिष्ट ज्ञान रखते हों और विश्वविद्यालय या उसके किसी महाविद्यालय की सेवा में न हो, कुलपति द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों से नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे :– **धारा 35(1)**

(क) विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और सह प्रोफेसर

(ख) स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के वर्तमान या सेवा–निवृत्त प्राचार्य।

(ग) अनुसंधान संस्थानों के निदेशक :

परन्तु उपर्युक्त व्यक्तियों में से कम से कम तीन व्यक्ति श्रेणी (क) और (ग) के होंगे।

(2) खण्ड (1) के उपखण्ड (iii),(iv) और (v) के अधीन अध्यापक ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से चुने जायेंगे।

7.13— कृषि संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे:—

(1) सस्य विज्ञान।
(2) औद्यानिकी।
(3) कृषि विस्तार।
(4) कीट विज्ञान
(5) पादप विज्ञान
(6) मृदा विज्ञान
(7) अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन
(8) वानिकी
(9) मत्स्य विज्ञान

7.14— (1) इस अध्याय में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, संकाय के बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। धारा 35(1)

(2) संकाय के बोर्ड का अधिवेशन उसके अध्यक्ष के निर्देश से बुलाया जायेगा।

7.15— अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक संकाय के बोर्ड को निम्नलिखित शक्ति होगी, अर्थात्—

(i) पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में सम्बन्धित अध्ययन बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् शैक्षिक परिषद् को सिफारिश करना।
(ii) विश्वविद्यालय के अध्यापन और अनुसंधान कार्य के सम्बन्ध में संकाय को सौंपे गये विषयों में शैक्षिक परिषद् को सिफारिश करना।
(iii) अपने कार्य–क्षेत्र के सम्बन्ध में किसी प्रश्न पर जो उसे आवश्यक प्रतीत हो और शैक्षिक परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट मामले पर विचार करना और शैक्षिक परिषद् को सिफारिश करना।

अध्याय 8
विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी तथा निकाय
अनुशासनिक समिति

8.01— (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय में ऐसी अवधि के लिये जिसे वह उचित समझे, एक अनुशासनिक समिति का गठन करेगी जिसमें कुलपति और कार्य परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अन्य व्यक्ति होंगे;

परन्तु यदि कार्य परिषद् समीचीन समझे तो वह विभिन्न मामलों या मामलों के वर्गों पर विचार करने के लिये ऐसी एक से अधिक समिति गठित कर सकती है।

(2) जिस अध्यापक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का कोई मामला विचाराधीन हो, वह मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करने वाली अनुशासनिक समिति के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेगा।

(3) कार्य परिषद् कोई मामला एक अनुशासनिक समिति से किसी दूसरी अनुशासनिक समिति को किसी प्रक्रम पर अन्तरित कर सकती है।

8.02— (1) अनुशासनिक समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :—

(क) परिनियम 2.07 के अधीन विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई किसी अपील पर विनिश्चय करना; धारा
(ख) ऐसे मामलों में जांच करना, जिनमें विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक या पुस्तकालयाध्यक्ष के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अन्तर्ग्रस्त हो; 35(1)
(ग) उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी ऐसे कर्मचारी को निलम्बित करने की सिफारिश करना जिसके विरूद्ध कोई जांच विचाराधीन हो या करने का विचार हो;
(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो उसे समय–समय पर कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जायें।

(2) समिति के सदस्यों में मत–भेद होने की दशा में, बहुमत का विनिश्चय अभिभावी होगा।

(3) अनुशासनिक समिति का विनिश्चय या उसकी रिपोर्ट यथा शीघ्र कार्य परिषद् के समक्ष रखी जायेगी जिससे कार्य परिषद् मामले में अपना विनिश्चय कर सके।

विभागीय समितियां

8.03– परिनियम 2.20 के अधीन नियुक्त विभागाध्यक्ष की सहायता के लिये विश्वविद्यालय में, प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागीय समिति होगी।

8.04– विभागीय समिति में निम्नलिखित होंगे :

(i) विभागाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा।

(ii) विभाग के समस्त प्रोफेसर और यदि कोई प्रोफेसर न हो तो विभाग के सह प्रोफेसर।

(iii) यदि किसी विभाग में प्रोफेसर तथा सह प्रोफेसर भी हों तो ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से तीन वर्ष की अवधि के लिये समस्त प्रोफेसर और दो सह प्रोफेसर।

(iv) यदि किसी विभाग में सह प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफोसर भी हों तो एक सहायक प्रोफेसर, और यदि किसी विभाग में कोई सह प्रोफेसर न हो तो ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम में दो सहायक प्रोफेसर तीन वर्ष की अवधि के लिए :

परन्तु किसी विषय या विद्या विशेष से विशेषतः सम्बद्ध किसी मामले के लिये उस विषय या विद्या विशेष का ज्येष्ठतम अध्यापक यदि उसे पूर्ववर्ती शीर्षकों में पहले ही सम्मिलित न किया गया हो, उस मामले के लिये विशेषतः आमन्त्रित किया जायेगा। धारा 35(1)

8.05– विभागीय समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे:

(i) विभाग के अध्यापकों से अध्यापन कार्य के सम्बन्ध में सिफारिश करना।

(ii) विभाग में अनुसंधान कार्य और अन्य कार्यों के समन्वय के सम्बन्ध में सुझाव देना।

(iii) विभाग में ऐसे कर्मचारी वर्ग को नियुक्त करने के सम्बन्ध में जिसके लिये विभागाध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी हो, सिफारिश करना;

(iv) विभाग के सामान्य और विद्या–विषयक रूचि के मामलों पर विचार करना।

8.06– समिति का अधिवेशन एक तिमाही में कम से कम एक बार होगा। इस अधिवेशन के कार्यवृत्त कुलपति को प्रस्तुत किये जायेंगे। धारा 35(1)

परीक्षा समिति

8.07– (1) परीक्षा समिति में निम्नलिखित होंगे:–

1. कुलपति
2. कुलसचिव
3. समस्त संकायाध्यक्ष
4. अधिष्ठता छात्र कल्याण
5. परीक्षा नियंत्रक
6. (i) सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम में

(ii) सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम में

(iii) सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य (कुलपति द्वारा नामित)

(iv) घटक महाविद्यालयों के प्राचार्य

(2) परिनियम 8.07 (1) 6 के अधीन सदस्य तीन वर्ष के लिए पद धारण करेंगे।

प्रवेश समिति

8.08– (1) प्रवेश समिति में निम्नलिखित होंगे: धारा 35(1)

1. कुलपति
2. कुलसचिव
3. समस्त संकायाध्यक्ष
4. अधिष्ठता छात्र कल्याण
5. परीक्षा नियंत्रक
6. (i) सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम में
   (ii) सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम में
   (iii) सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य (कुलपति द्वारा नामित)
   (iv) घटक महाविद्यालयों के प्राचार्य

(2) परिनियम 8.07 (1) 6 के अधीन सदस्य तीन वर्ष के लिए पद धारण करेंगे।

(v) कुलपति द्वारा नामित तीन विषय विशेषज्ञ (अन्य विश्वविद्यालयों से)

8.09– प्रवेश समिति में आवश्यकता अनुसार उप समितियों के गठन की शक्ति निहित होगी।

8.10– शैक्षिक परिषद् के निर्णयों तथा उपखण्ड 8.12 के अधीन प्रवेश समिति विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नीति बनायेगी तथा इस नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में किसी भी पाठ्यक्रम के संचालन के लिये किसी शिक्षक या उप–समिति के प्रवेश प्राधिकारी नामित कर सकती है। धारा 35(1)

8.11– प्रवेश समिति विश्वविद्यालय, घटक या सम्बद्ध महाविद्यालयों के किसी भी पाठ्यक्रम के लिए मूल–भूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षक–छात्र के अनुपात के आधार पर छात्र संख्या निर्धारित करेगी। प्रवेश समिति द्वारा निर्धारित छात्र संख्या की सीमा का पालन विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी होगा।

8.12– विश्वविद्यालय, घटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पालन किया जाएगा।

8.13– विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या में छात्रों को प्रवेश दिये जाने के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य या प्रबन्धन को जैसी स्थिति हो आपराधिक रूप से अनियोजित किये जा सकेंगें।

अध्याय 9
बोर्ड

9.01– विश्वविद्यालय में संकाय बोर्डों तथा अध्ययन बोर्डों के अतिरिक्त छात्र–कल्याण बोर्ड भी होगा। धारा 35(1)

9.02– छात्र–कल्याण बोर्ड की शक्ति, कृत्य तथा गठन ऐसा होगा जैसा अध्यादेशों में निर्धारित किया जाय।

परन्तु छात्र–कल्याण से सम्बन्धित अध्यादेशों में छात्रों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था होगी और ऐसे छात्र प्रतिनिधियों का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

अध्याय 10
अध्यापकों का वर्गीकरण

10.01— विश्वविद्यालय के अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगे :— धारा 35(1)

(1) प्रोफेसर

(2) सह प्रोफेसर

(3) सहायक प्रोफेसर

विश्वविद्यालय के अध्यापक विषयों के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान में पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किये जायेंगे:

परन्तु अंशकालिक सहायक प्रोफेसर उन विषयों के लिये नियुक्त किये जा सकते हैं जिनमें शैक्षिक परिषद् की राय में, ऐसे सहायक प्रोफेसर की, अध्ययन कार्य के हित में अथवा अन्य कारण से, आवश्यकता हो। ऐसे अंशकालिक सहायक प्रोफेसर उतना वेतन पा सकते हैं जितना सामान्यतया उस पद के, जिस पर वे नियुक्त किये जायें, प्रारम्भिक वेतन के आधे से अधिक न हो। अनुसंधान सहचर अथवा अनुसंधान सहायक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अंशकालिक सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य करने के लिये कहा जा सकता है।

10.02— कार्य परिषद्, शैक्षिक परिषद् की सिफारिशों पर, निम्नलिखित की नियुक्ति कर सकती है:—

(1) उस निमित्त अध्यादेशों के अनुसार विशिष्ट संविदा शर्तों पर शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट योग्यता के प्रोफेसर।

(2) अवैतनिक सेवा मुक्त प्रोफेसर :

(क) जो विशिष्ट विषयों पर व्याख्यान देंगे;

(ख) जो अनुसंधान—कार्य का मार्ग—दर्शन करेंगे;

(ग) जो सम्बद्ध संकाय बोर्ड के अधिवेशनों में उपस्थित होने तथा उसके विचार—विमर्श में भाग लेने के हकदार होंगे किन्तु उन्हे मत देने का अधिकार नहीं होगा;

(घ) जिन्हे यथासम्भव, विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं में अध्ययन तथा अनुसंधान—कार्य करने की सुविधायें प्रदान की जायेगी, और

(ड) जो समस्त दीक्षान्त समारोह में उपस्थित होने के हकदार होंगे परन्तु कोई व्यक्ति केवल विभाग में अवैतनिक सेवामुक्त प्रोफेसर के रूप में प्रोफेसर का पद धारण करने के आधार पर विश्वविद्यालय में या उसके किसी प्राधिकारी या निकाय में कोई पद धारण करने का पात्र नहीं होगा।

10.03— शिक्षक अथवा अध्यापन अनुसंधान सहायक ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर, जिनकी अध्यादशों में व्यवस्था की गई हो, कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किये जा सकते हैं।

10.04— (क) सम्बन्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा अन्य अध्यापक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान में पूर्णकालिक आधार पर नियोजित किये जायेंगे। धारा 35(1)

(ख) परिनियम के खण्ड (iv) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अंशकालिक सह प्रोफेसर का अनुपात किसी भी समय सम्बद्ध विभाग में पूर्णकालिक अध्यापकों की कुल संख्या के एक चौथाई से अधिक न होगा।

अध्याय 11

भाग 1

विश्वविद्यालय,घटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों की अर्हताएं, चयन और नियुक्ति

11.01— विश्वविद्यालय, घटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों की अर्हतायें, चयन और नियुक्ति प्रक्रिया वही होगी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित होंगीं और जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। वर्तमान प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमन–2010 (**परिशिष्ट–क**) एवं संशोधित नियमन 2013 (24 जुलाई, 2013)(**परिशिष्ट–क संशोधित**) एवं राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित शासनादेश लागू रहेगा। धारा 35(1)

भाग 2

विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अर्हताएं, चयन और नियुक्ति

11.02— विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक अर्हता, चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी समय–समय पर कार्य परिषद् की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी।

भाग 3

विश्वविद्यालय के मृत कर्मचारियों के आश्रितों का सेवायोजन

11.03— यदि किसी स्थायी कर्मचारी या ऐसे कर्मचारी की जो कम से कम लगातार तीन वर्ष से किसी अंस्थायी पद पर हो सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाय तो ऐसे मृत कर्मचारी के एक आश्रित को जो विश्वविद्यालय में किसी रिक्त शिक्षणेत्तर पद के लिए आवेदन–पत्र देता है और ऐसे पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखता हो, कुलसचिव द्वारा कुलपति के पूर्वानुमोदन से, चयन की प्रक्रिया और अधिकतम आयु सीमा को शिथिल करके नियुक्त किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण– इस परिनियम के प्रयोजन के लिए –

(1) आश्रित का तात्पर्य कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित शासनादेशों में किये गये प्रावधान से है।

(2) कर्मचारी के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में नियोजित अध्यापक भी हैं।

अध्याय–12

भाग –1:– विश्वविद्यालय के परिसर

12.01— विश्वविद्यालय, अधिनियम के अधीन रहते हुये राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ऐसे अन्य स्थानों पर जो आवश्यक समझे जायें अतिरिक्त परिसर स्थापित कर सकेगा।

भाग –2:– विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालय

12.02— विश्वविद्यालय, अधिनियम के अधीन रहते हुये राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ऐसे अन्य स्थानों पर जो आवश्यक समझे जायें घटक महाविद्यालय स्थापित कर सकेगा।

भाग–3: विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालय

12.03— विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों की सूची समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना के माध्यम से प्रख्यापित की जायेगी। धारा 35(1)

क. नवीन महाविद्यालयों को सम्बद्ध करना

12.04— नवीन महाविद्यालयों की सम्बद्धता इस अध्याय के परिनियमों के अनुसार की जायेगी, विश्वविद्यालय को विहित शुल्क लगाने का अधिकार प्राप्त होगा।

अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतु अर्हता मानदण्ड

12.05— सम्बद्धता का इच्छुक प्रस्तावित महाविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण किये जाने के समय निम्न अनिवार्यताओं को पूरा करेगा अथवा सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा ऐसी अनिवार्यताओं को पूरा करेगा जो केवल तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित की गयी हो।

(1) अविवादित स्वामित्व तथा यदि यह महानगरों में स्थित है, तो कब्जे की भूमि 02 एकड़ अन्य शहर 1.5 एकड़ से कम भूमि न हो तथा अन्य क्षेत्रों के मामले में यह 5 एकड़ से कम न हो।

(2) प्रशासनिक, शैक्षणिक तथा अन्य भवन के साथ–साथ प्रत्येक उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट त्वरित शैक्षणिक तथा अन्य स्थान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आवास स्थान होना चाहिए तथा वि0अ0आ0/सांविधिक/संबंधित विनियामक निकाय द्वारा विहित मानकों के अनुरूप भावी विस्तार हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि कालेज में निर्मित सभी भवन निशक्त अनुकूल होने चाहिए।

(3) संकायों, लेक्चर/संगोष्ठी कक्षों, ग्रंथागारों तथा प्रयोगशालाओं के लिये पर्याप्त शैक्षिक भवन होना चाहिए, जहां लेक्चर/संगोष्ठी कक्ष/ग्रंथालय में प्रति छात्र कम से कम 15 वर्ग फुट का स्थान तथा प्रत्येक प्रयोगशाला में प्रति छात्र 20 वर्ग फुट का स्थान होना चाहिए।

(4) शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टॉफ की संख्या विश्वविद्यालय मानदण्डों के अनुसार होनी चाहिए।

(5) केन्द्र/राज्य लो0नि0वि0 द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप अनिवार्य सेवाओं जैसे, जल, विद्युत, संवातन, शौचालय, सीवर आदि के लिए पर्याप्त सिविल सुविधाएं होनी चाहिए।

(6) कम से कम 1000 पुस्तकों का एक ग्रंथालय, अथवा प्रस्तावित कार्यक्रम में प्रत्येक विषय के अलग–अलग शीर्षक पर 100 पुस्तकें, इनमें से जो भी अधिक हो, ताकि पाठ्यक्रम तथा सन्दर्भ– पुस्तकों, दोनों को शामिल किया जा सके, इसके अलावा प्रत्येक विषय पर दो जर्नल होने चाहिए साथ ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा वि0अ0आ0 द्वारा समय समय पर यथा विनिर्दिष्ट अन्य वर्गो के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक सुविधा भी होनी चाहिए।

(7) प्रत्येक उच्च शिक्षा कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय/सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा यथा विहित आवश्यक प्रयोगशाला उपस्कर होने चाहिए। जिन पाठ्यक्रमों/विषयों में सांविधिक/विनियामक निकायों द्वारा मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं, उनकी प्रयोगशालाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की कार्य–परिषद् द्वारा बनाये गये मानक लागू होंगे। प्रयोगशाला के निर्धारित मानकों के अनुसार ही अनावर्तक व आवर्तक व्ययों के लिए महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में वांछित बजट प्राविधान होना भी अनिवार्य होगा।

(8) महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के व्याख्यान व प्रयोगशाला कक्ष, स्टाफ व विभागीय कक्ष, प्राचार्य व कार्यालय कक्ष, पुस्तकालय, प्रेक्षागृह, कामन रूम तथा अन्य सभी कक्षों के लिए पर्याप्त फर्नीचर तथा आवश्यकतानुसार उपकरणों व संयंत्रों के साथ–साथ प्रबन्ध संचालन के लिए वांछित संख्या में कम्प्यूटर (इन्टरनेट सुविधायुक्त) होने अनिवार्य हैं।

(9) राजकीय महाविद्यालयों का प्रबन्ध–संचालन, उच्च शिक्षा विभाग के दिशा–निर्देश व नियंत्रण में उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जायेगा। अनुदानित व निजी महाविद्यालयों व शिक्षण संस्थानों का संचालन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत अद्यावधिक पंजीकृत व विधिवत रूप से गठित समिति अथवा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अन्तर्गत स्थापित न्यास द्वारा किया जायेगा।

(10) यदि महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान, राज्य सरकार द्वारा नहीं चलाया जा रहा है तो उसे विश्वविद्यालय को संतुष्ट करना होगा कि कालेज को कम से कम तीन वर्षो तक बिना किसी सहायता या बाहरी स्त्रोत के चलाने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के लिए यह आवश्यक नहीं है। अशासकीय महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को मानविकी, विज्ञान तथा वाणिज्य में पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु ₹ 15.00 लाख तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने की दशा में ₹ 35.00 लाख अथवा सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा निर्धारित धनराशि (जो दोनों में अधिक हो) प्रति पाठ्यक्रम की दर से महाविद्यालय/संस्थान के नाम अप्रतिसंहरणीय सरकारी प्रतिभूति के रूप में स्थायी कायिक निधि का सृजन तथा उससे रखरखाव का साक्ष्य विश्वविद्यालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा। स्थायी कायिक निधि के स्थान पर महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा उपर्युक्त धनराशियों की विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के संयुक्त नाम से न्यूनतम तीन वर्षों की लॉक–इन अवधि की सावधि जमा भी करवायी जा सकता है। यह प्रतिभूति/सावधि जमा, सम्बद्धता के आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध कराई जायेगी। सावधि जमा से प्राप्त ब्याज का उपयोग, विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति से महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान की संरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए किया जा सकता है। महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान का यह भी साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा कि उसके पास सतत् रूप से कार्य करने के लिए स्वयं के स्त्रोतों से पर्याप्त आवृत्ति आय उपलब्ध है।

(11) राजकीय तथा सरकार से अनुदानित महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर तथा कार्यालय/पुस्तकालय/प्रयोगशाला से सम्बन्धित कार्मिकों के पदों का मानक शासन द्वारा निर्धारित कार्यभार के अनुसार होगा। सहायक प्रोफेसर तथा कर्मचारियों की अर्हता, चयन तथा नियुक्ति प्रक्रिया तथा वेतन भुगतान के सम्बन्ध में शासन तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों तथा शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। अनुदानित महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति का अनुमोदन विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने के 03 माह के अन्दर प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। राजकीय तथा अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत समस्त कार्मिकों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना एक पखवाड़े के अन्दर शासन, विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करायी जानी आवश्यक होगी।

(12) निजी महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के लिए प्राध्यापकों एवं अन्य स्टाफ का पद सृजन तथा कार्यभार निर्धारण सम्बन्धित सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा। यदि इन निकायों द्वारा इस सम्बन्ध में मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं तो शासन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा। सहायक प्रोफेसर/प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सम्बन्धित सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होगी। निजी महाविद्यालय/शिक्षण संस्थानों एवं स्ववित्त पोषित पाठ्क्रमों के लिए नियुक्त प्राध्यापकों का अनुमोदन विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने के 03 माह के अन्दर प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(13) राजकीय तथा अनुदानित महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमों का शुल्क निर्धारण शासन द्वारा किया जायेगा। निजी महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों में प्रवेश तथा पाठ्यक्रमों के शुल्क का निर्धारण में उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम 2006 के प्राविधानों का पालन किया जायेगा। जिन विषयों के प्रवेश व शुल्क के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत व्यवस्था न की गयी हो, उस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये तथा शासन से अनुमोदित नियमों का पालन किया जायेगा।

(14) कोई भी महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान सम्बद्धता प्राप्त करने की प्रत्याशा में किसी भी पाठ्यक्रम में छात्र–छात्रा को प्रवेश नहीं देगा तथा न ही किसी पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा संस्वीकृत सीटों से अधिक प्रवेश करेगा। महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में पूर्व से अनुमोदित व संचालित पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना समाप्त नहीं किया जायेगा।

(15) महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों सहित अन्य वंचित वर्गों के छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक तथा कल्याण सम्बन्धी क्रियाकलापों पर शासकीय दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(16) कोई महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों के आय–व्यय का लेखा जोखा तथा सभी आवश्यक रजिस्टर व अभिलेखों का नियमानुसार रख–रखाव करने के साथ–साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में 30 जून से पूर्व लेखों का अंकेक्षण करवाया जायेगा तथा विश्वविद्यालय/शासन/उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा मांग किये जाने पर अंकेक्षण आख्या उपलब्ध करायी जायेगी।

(17) शैक्षणिक स्तर बनाये रखने तथा निष्पादन की निगरानी के साथ–साथ मूल्यांकन करने हेतु पाठ्यक्रम से सम्बन्धित सांविधिक/विनियामक निकाय/शासन/उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्देशित किये जाने पर महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा वांछित सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित सांविधिक/विनियामक निकाय/शासन/उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत सभी आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(18) प्रत्येक महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा वैबसाइट बनायी जानी अनिवार्य होगी जिसमें महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त महत्वपूर्ण सूचनाओं जैसे नाम, पता, स्थापना का वर्ष, संस्था तथा उसके पदाधिकारियों का विवरण, समस्त स्टॉफ का विवरण, संचालित पाठ्यक्रम, शुल्क ढांचा, मान्यता, उपलब्ध सुविधायें तथा वार्षिक लेखों इत्यादि की समस्त सूचनाओं का प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया

12.06– (1) नवीन महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान की स्थापना एवं सम्बद्धता के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था अथवा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अन्तर्गत स्थापित न्यास जिसके संविधान में शिक्षा प्रचार/प्रसार/उन्नयन का उद्देश्य स्पष्टतः अंकित हो द्वारा संस्था के पैड पर सम्बद्धता के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम का उल्लेख करते हुए आवेदन पत्र विहित शुल्क सहित (राजकीय महाविद्यालय हेतु ₹ 2500/– तथा अन्य महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं हेतु ₹ 5000/–) प्रस्तुत किया जायेगा, यह शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा। यदि किसी पाठ्यक्रम की सम्बद्धता हेतु सम्बन्धित सांविधिक/विनियामक आयोग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक हो तो आवेदन पत्र के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक संस्था को विश्वविद्यालय द्वारा एक माह के भीतर सम्बद्धता का प्रारूप उपलब्ध कराया जायेगा तथा आवेदक संस्था द्वारा विश्वविद्यालय का सत्र प्रारम्भ होने से 06 माह पूर्व सम्बद्धता प्रारूप पूर्ण कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना होगा। सम्बद्धता प्रारूप के साथ शासन द्वारा निर्धारित समस्त प्रारूप एवं शपत्र पत्र भी प्रस्तुत किये जायेंगे, इसके साथ–2 शासन द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर एक परियोजना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) नये महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के सम्बद्धता प्रस्तावों के परीक्षण, स्थलीय निरीक्षण एवं अन्य कार्यों के व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु राजकीय महाविद्यालयों द्वारा ₹ 10000/– तथा अन्य महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं द्वारा ₹ 50000/– का प्रक्रिया शुल्क विश्वविद्यालय में जमा करना होगा, प्रक्रिया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

(3) सम्बद्धता के लिए इच्छुक प्रस्तावित महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को निरीक्षण किये जाने के समय सम्बन्धित सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण करना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावक संस्था/न्यास/सोसाइटी का प्रस्ताव, औचित्यपूर्ण एवं संतोषजनक पाये जाने के उपरान्त निम्नानुसार गठित समिति के माध्यम से प्रस्तावित महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान का स्थलीय निरीक्षण करवाया जायेगा।

1. कुलपति द्वारा नामित एक विषय विशेषज्ञ।
2. कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के सम्बन्धित संकाय के डीन अथवा समकक्ष शिक्षाविद।

3. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तर पर नामित उप निदेशक/प्राचार्य स्तर से अनिम्न स्तर का अधिकारी।

4. लोक निर्माण विभाग द्वारा नामित विभाग का अधिशासी अभियन्ता से अनिम्न स्तर का अभियन्ता।

कुलपति द्वारा नामित किसी भी एक विषय का विशेषज्ञ जो कि प्रोफेसर के स्तर का हो, समिति का अध्यक्ष होगा।

(4) महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं, सांविधिक/विनियामक निकाय के मानकों तथा निरीक्षण आख्या के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान किये जाने वाले विषयों/पाठ्यक्रमों में सीटों का निर्धारण किया जायेगा।

(5) महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को सम्बद्धता प्रदान करने के लिए मा0 कुलाधिपति की सहमति प्राप्त होने के उपरान्त कार्यपरिषद् के अनुमोदन के उपरान्त सम्बन्धित महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थियों को प्रवेश, शिक्षण, परीक्षा एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियों का संचालन किया जायेगा।

(6) महाविद्यालय/शिक्षण संस्था को प्रदान की गयी अस्थायी सम्बद्धता का विस्तारण भी उपर्युक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(7) महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को सम्बद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया के किसी भी चरण में निर्धारित मानकों/प्रक्रियाओं के पूर्ण न करने पर सम्बद्धता प्रस्ताव अस्वीकृत होने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा तदनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को यथासमय सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान की प्रतिभूति ही वापस लौटायी जायेगी। यदि बाद में महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं को पूर्ण किया जाता है तो आवेदन अस्वीकृत होने के दिनांक से 06 माह बाद पुनः सम्बद्धता हेतु उपरोक्त प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा।

स्थायी सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु अर्हता मानदण्ड तथा प्रक्रिया

12.07— (1) स्थायी सम्बद्धता का इच्छुक प्रस्तावित महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सांविधिक/विनियामक निकाय/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा विहित मानदण्डों के अनुरूप महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में शैक्षणिक तथा प्रशासनिक स्तर बनाए रखते हुए तथा अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त किये हुए संतोषजनक निष्पादन के न्यूनतम 05 वर्ष पूर्ण कर लिए हों।

(2) महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा अस्थायी सम्बद्धता के लिए विहित मानकों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया हो तथा उसमें सभी वांछित संरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था कर ली गयी हो।

(3) महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा अस्थायी सम्बद्धता के लिए विहित मानकों व प्रक्रियाओं के अनुरूप सभी शैक्षणिक तथा गैर–शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति निर्धारित वेतनमानों में कर ली गयी हो।

(4) स्थायी सम्बद्धता हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा अस्थायी सम्बद्धता के पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर स्थायी सम्बद्धता हेतु आवेदन किया जायेगा। आवेदन के साथ सम्बद्धता प्रस्तावों के परीक्षण, स्थलीय निरीक्षण एवं अन्य कार्यों के व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु राजकीय महाविद्यालयों द्वारा ₹ 10000/– तथा अन्य महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं द्वारा ₹ 50000/– का प्रक्रिया शुल्क विश्वविद्यालय में जमा करना होगा, प्रक्रिया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

(5) स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने की प्रक्रिया के समान ही होगी लेकिन परियोजना प्रतिवेदन में 10 वर्षों के लिए प्रस्तावित विकास परियोजना प्रस्तुत की जायेगी।

(6) महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को सुचारू संचालन, विकास एवं भावी योजनाओं पर विचार विमर्श के लिए स्टॉफ व चयनित छात्र–छात्राओं की एक विकास परिषद् का गठन महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

(7) महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान का राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं प्रमाणन परिषद् अथवा अन्य किसी सांविधिक प्रत्यायन अभिकरण से प्रत्यायन कराया जाना आवश्यक होगा।'

नये विषय/पाठ्यक्रम/स्नातकोत्तर स्तर की सम्बद्धता के मानक तथा प्रक्रिया

12.08– पूर्व से स्थापित महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में नये विषय/पाठ्यक्रम तथा स्नातक महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए सम्बद्धता पर केवल उसी दशा में विचार किया जायेगा जबकि महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में संचालित विषय/पाठ्यक्रमों में स्थायी सम्बद्धता प्रदान कर दी गयी हो। नये विषय/पाठ्यक्रम/स्नातकोत्तर स्तर की सम्बद्धता प्रदान करने के मानदण्ड व प्रक्रिया व प्रक्रिया अस्थायी सम्बद्धता हेतु विहित मानदण्ड एवं प्रक्रियानुसार होगी।

सम्बद्धता समाप्त करना तथा शास्तियां

12.09– (1) महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा सम्बद्धता के लिए निर्धारित मानकों के उल्लंघन करने अथवा निर्देशों का अनुपालन न करने अथवा अन्य किसी भी स्तर पर प्रकरण/शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण/शिकायत की जांच समिति द्वारा विधिवत जांच करने पर यदि महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, परिनियम या अध्यादेश के उपबन्धों या नियमों अथवा शासन/विश्वविद्यालय/सांविधिक/विनियामक निकाय के निर्देशों या अनुदेशों का पालन करने में असफल सिद्ध होता होता है अथवा सम्बद्धता की किसी शर्त का पालन करने में असफल सिद्ध होता है, या इस प्रकार का आचरण करता है जो कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक तथा प्रशासनिक स्तर तथा विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, तो उक्त महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को प्रदान की गयी सम्बद्धता आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त किये जाने हेतु मा0 कुलाधिपति को संस्तुति की जायेगी।

(2) यदि कोई सम्बद्ध महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान पाठ्यक्रम का संचालन करना बन्द कर देता है अथवा विश्वविद्यालय/शासन की बिना अनुमति के वह किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित हो जाता है या किसी पृथक समाज, व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह के पास हस्तांतरित हो जाता है, तो महाविद्यालय/संस्थान को प्रदत्त सम्बद्धता, हस्तांतरण स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा इसे भावी सम्बद्धता के प्रयोजन हेतु नया महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान माना जायेगा। महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान/ट्रस्ट/सोसाइटी के इस कृत्य को कदाचार माना जायेगा तथा ऐसी स्थिति में उसे अंतिम रूप से प्रतिबन्धित भी किया जा सकता है।

(3) यदि विश्वविद्यालय, सम्बन्धित महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस करने का निर्णय लेता है अथवा विश्वविद्यालय के आदेश से सम्बद्धता, अस्थायी या स्थायी रूप से समाप्त हो जाती है तो इस प्रकार का निर्णय महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के छात्रों के हितों को प्रभावित नहीं करेगा जो कि आदेश जारी किये जाने के समय इसमें अध्ययनरत थे जब तक कि वे पाठ्यक्रम की सामान्य अवधि के तहत् सम्बन्धित पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण नहीं कर लेते जिसमें उन्होंने उस समय पंजीकरण करवाया था। विश्वविद्यालय/शासन द्वारा यथोचित निर्णय/कार्यवाही द्वारा प्रभावित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा की जायेगी।

(4) सम्बद्धता की शर्तों को पूर्ण न करने पर अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा निर्धारित मानकों की अवहेलना करने पर सम्बन्धित महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के अन्तर्गत अनुरक्षित सूची से पृथक करने अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) की सूची से पृथक करने की संस्तुति विश्वविद्यालय द्वारा की जा सकेगी।

ख. सम्बद्ध महाविद्यालयों की वित्त, संपरीक्षा तथा लेखा

12.10– **(क)** प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र की सहायता के लिये एक वित्त समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :– धारा 35(1)

(i) प्रबन्धतंत्र का सभापति अथवा सचिव, जो अध्यक्ष होगा;
(ii) प्रबन्धतंत्र के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित दो अन्य सदस्य;
(iii) प्राचार्य (पदेन;)
(iv) प्रबन्धतंत्र का ज्येष्ठतम अध्यापक सदस्य (पदेन)।

(ख) महाविद्यालय का प्राचार्य वित्त समिति का सचिव होगा और अधिवेशन बुलाने का हकदार होगा।

12.11– वित्त समिति महाविद्यालय का वार्षिक बजट (छात्र निधि को छोड़कर) तैयार करेगी जिसे प्रबन्धतंत्र के समक्ष उसके विचार तथा अनुमोदन के लिये रखा जायेगा।

12.12– ऐसा नया व्यय, जो महाविद्यालय के बजट में पहले से ही सम्मिलित न हो, वित्त समिति को निर्दिष्ट किये बिना नहीं किया जायेगा।

12.13– बजट में व्यवस्थित आवर्ती व्यय का नियंत्रण किन्ही विनिर्दिष्ट निर्देशों के अधीन रहते हुए जो वित्त समिति द्वारा दिये जायें, प्राचार्य द्वारा किया जायेगा।

12.14– सभी छात्र निधि प्राचार्य द्वारा विभिन्न समितियों की, जैसे कि खेलकूद समिति, पत्रिका समिति, अध्ययन कक्ष समिति और इसी प्रकार की अन्य समिति, जिसमें सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रों के प्रतिनिधि भी होंगे, सहायता से प्रशासित होगी।

12.15– छात्र निधि के लेखों की संपरीक्षा प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्त किसी अर्ह संपरीक्षक द्वारा, जो इसके सदस्यों में से न होगा, की जायेगी। संपरीक्षा फीस महाविद्यालय की छात्र निधियों पर विधि संगत प्रभार होगी, संपरीक्षा रिपोर्ट को प्रबन्धतंत्र के समक्ष रखा जायेगा। धारा 3(3)

12.16– छात्र निधि तथा छात्रावासों से फीस सम्बन्धी आय अन्य निधि में अन्तरित नहीं की जायेगी और इन निधियों से कोई ऋण किसी भी प्रयोजन के लिये नहीं लिया जायेगा। धारा 3(3)

अध्याय 13

उपाधियां और डिप्लोमा प्रदान करना और वापस लेना

13.01– (1) डॉक्टर ऑफ लेटर्स (डी. लिट.) अथवा महामहोपाध्याय की सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने साहित्य, दर्शन शास्त्र, कला, संगीत, चित्रकारी अथवा संकाय को सौंपे गये किसी अन्य विषय की प्रगति में पर्याप्त रुप से योगदान किया हो, अथवा जिन्होंने शिक्षा के लिये उल्लेखनीय सेवा की हो, प्रदान की जायेगी। धारा 33

(2) डॉक्टर ऑफ साइन्स (डी. एस–सी.) की सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने विज्ञान अथवा प्रौद्योगिक (टेक्नालोजी) की किसी शाखा की प्रगति अथवा देश में विज्ञान और प्रौद्योगिक संस्थाओं के आयोजन,संगठन अथवा विकास में पर्याप्त योगदान किया हो, प्रदान की जायेगी। धारा 35(1)

(3) डॉक्टर ऑफ लॉज (एल.एल.डी.) की सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों को, जो विख्यात वकील, न्यायाधीश अथवा विधिवेत्ता अथवा राजनयज्ञ हों, जिन्होंने लोक कल्याण के लिये महात्त्वपूर्ण योगदान किया हो, प्रदान की जायेगी।

13.02– कार्य परिषद् स्वतः अथवा विद्या परिषद् की सिफारिश पर, जो उसकी कुल सदस्यता के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किया जाय, सम्मानित उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति को धारा 9 (2) के अधीन पुष्टि के लिये पुष्टि के लिये प्रस्तुत कर सकती है:

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का सदस्य हो, ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

13.03– विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृति किसी उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र को वापस लेने के लिये धारा 44 के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, सम्बद्ध व्यक्ति को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को स्पष्ट करने के लिये अवसर दिया जायेगा। कुलसचिव उसके विरुद्ध निमित्त आरोपों की सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा और सम्बद्ध व्यक्ति से अपेक्षा की जायेगी कि वह आरोपों की प्राप्ति से कम पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। धारा 35(1)

13.04– सम्मानार्थ उपाधि को वापस लेने के प्रत्येक प्रस्ताव पर कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी। धारा 35(1)

13.05– **(क)** किसी संस्थान को सम्बद्ध संकाय बोर्ड की सहमति से शैक्षिक परिषद् की सिफारिश के पश्चात् कार्य परिषद् द्वारा ऐसी संस्था के रुप में, जहां अधिनियम की धारा 7 की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये अनुसंधान कार्य किया जा सकता है, मान्यता दी जा सकती है इस प्रकार की दी गयी मान्यता सम्बद्ध संकाय बोर्ड को सहमति से शैक्षिक परिषद् द्वारा दी गयी सिफारिश पर कार्य परिषद द्वारा वापस ली जा सकती है। धारा 35(1)

(ख) इस प्रकार मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रबन्ध–

(i) संस्थान का अनुरक्षण करने वाले व्यक्ति या निकाय द्वारा नियुक्त प्रबन्ध समिति या अन्य समकक्ष निकाय जिसके गठन की सूचना कार्य परिषद् को दी जायेगी; या धारा 35(1)

(ii) संस्थान का अनुरक्षण करने वाले व्यक्ति या निकाय द्वारा नियुक्त निदेशक, में निहित होगा।

(ग) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अनुसंधान कार्य का मार्ग दर्शन, संस्थान के निदेशक और अन्य अध्यापकों द्वारा किया जा सकता है जिन्हें विश्वविद्यालय की डी. लिट. या डी.एस–सी. या एल–एल.डी या डी. फिल की उपाधियों के लिये पर्यवेक्षक या सलाहकार के रुप में मान्यता दी जा सकती है। धारा 35(1)

(घ) संस्थान के निदेशक और अन्य अध्यापक, यदि वे इस बात से सहमत हो, सम्बद्ध विभागाध्यक्ष की सम्मति से विश्वविद्यालय के अनुसंधान छात्रों को उच्च कोटि की व्याख्यानमाला में व्याख्यान दे सकते हैं।

(ङ) कोई व्यक्ति जो अपेक्षित अर्हतायें रखता हो और जो विश्वविद्यालय की अनुसंधान उपाधि के लिये संस्थान में अनुसंधान कार्य करने का इच्छुक हो, संस्थान के निदेशक के माध्यम से कुल सचिव को आवेदन पत्र देगा। इस प्रकार प्राप्त आवेदन पत्रों को अध्यादेशों के अधीन गठित विश्वविद्यालय की अनुसंधान उपाधि समिति के समक्ष रखा जायेगा और यदि समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया जाय, तो आवेदक को ऐसी फीस का भुगतान करने पर, जैसी अध्यादेशों द्वारा विहित की जाय, प्रारम्भ करने की अनुज्ञा दी जायेगी। धारा 35(1) धारा 7(ङ), 9(2) और 35(1)(ङ)

(च) संस्थान के लिए प्राप्त विशिष्ट अनुदान या दान संस्थान के निमित्त रखा जायेगा और उसे संस्थान के लिये व्यय किया जायेगा। विश्वविद्यालय में किसी तत्सम्मान शिक्षण विभाग के किसी अनुदान का कोई भाग किसी संस्थान के लिये व्यय नहीं किया जायेगा।

अध्याय 14

दीक्षान्त समारोह

14.01– **(1)** विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, डिप्लोमा और विद्या संबंधी अन्य विशिष्टतायें प्रदान करने के लिये वर्ष में एक बार ऐसे दिनांक की और ऐसे समय पर जैसा कार्य परिषद् नियत करे, एक दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है। धारा 7(ङ), 9(2) और 35(1)(ङ)

(2) कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा विशेष दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।

(3) दीक्षान्त समारोह में कुलाधिपति, कुलपति, कार्य परिषद् के सदस्य, सभा तथा शैक्षिक परिषद् में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे।

14.02– प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय में स्थानीय दीक्षान्त समारोह ऐसे दिनांक को और ऐसे समय पर जैसा प्राचार्य, कुलपति के लिखित पूर्वानुमोदन के नियत करें, आयोजित किया जा सकता है।

14.03– दो या अधिक महाविद्यालयों द्वारा संयुक्त दीक्षान्त समारोह परिनियम 14.02 में विहित रीति से आयोजित किया जा सकता है। धारा 44

14.04– इस अध्याय में निर्दिष्ट दीक्षान्त समारोह में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और इससे सम्बन्धित अन्य विषय ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों में निर्धारित हो।

14.05– जहां विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिये परिनियम 14.01 से परिनियम 14.04 के अनुसार दीक्षान्त समारोह आयोजित करना सुविधाजनक न हो वहां उपाधि, डिप्लोमा और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टता सम्बन्धित अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है। धारा 45

अध्याय 15

भाग 1

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवा शर्तें

15.01— परिनियम 10.02(1) में निर्दिष्ट नियुक्ति या किसी अध्यापक को 10 मास से अनाधिक अवधि के लिये छुट्टी स्वीकृत किये जाने के कारण हुई रिक्ति में विश्वविद्यालय के अध्यापक **परिशिष्ट 'ग'** में दिये गये प्रपत्र में लिखित संविदा द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। धारा 7 और धारा 35

15.02— विश्वविद्यालय का अध्यापक सर्वदा पूर्ण सत्यनिष्ठ एवं कर्त्तव्यनिष्ठ रहेगा और **परिशिष्ट 'घ'** में दी गई आचरण संहिता का पालन करेगा जो नियुक्ति के समय अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किये जाने वाले करार का एक भाग होगा।

15.03— **परिशिष्ट 'घ'** में दी गई आचरण संहिता के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन परिनियम 15.04(1) के अर्थान्तर्गत दुराचरण समझा जायेगा।

15.04— **(1)** निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या अधिक कारण से विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक पदच्युत किया जा हटाया जा सकता है या उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं:—

(क) कर्तव्य की जान—बूझकर उपेक्षा;

(ख) दुराचरण;

(ग) सेवा संविदा की किसी शर्त का उल्लंघन;

(घ) विश्वविद्यालय की परिक्षाओं के सम्बन्ध में बेईमानी;

(ङ) लोकापवादुक्त आचरण या नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिये दोषसिद्धि;

(च) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता;

(छ) अक्षमता;

(ज) पद की समाप्ति ।

(2) की गयी व्यवस्था के सिवाय संविदा समाप्त करने के लिये, किसी भी पक्ष द्वारा कम से कम तीन मास की नोटिस (या जब नोटिस अक्टूबर मास के पश्चात् दी जाय तब तीन मास या सत्र समाप्त होने तक की नोटिस, जो भी अधिक हो) दी जायेगी, या ऐसी नोटिस के बदले में, यथास्थिति तीन मास (या उपर्युक्त अधिक अवधि) का वेतन दिया या वापस किया जायेगा।

परन्तु जहां विश्वविद्यालय खण्ड (1) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करे अथवा हटाये या उसकी सेवायें समाप्त करे या यदि कोई अध्यापक संविदा को विश्वविद्यालय द्वारा उसकी शर्तो का उल्लंघन किये जाने के कारण समाप्त करे, वहां ऐसी नोटिस की आवश्यकता न होगी : धारा 35(1)(छ)

परन्तु यह भी कि पक्षकार आपसी समझौते द्वारा पूर्ण या आंशिक रुप में नोटिस की शर्त का परित्याग करने के लिये स्वतंत्र होंगे।

15.05— (1) परिनियम 15.04 के खण्ड (1) में उल्लिखित किसी कारण से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का कोई आदेश (सिवाय नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिये सिद्ध दोष होने या पद समाप्त किये जाने की स्थिति में) तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि अध्यापक को, उसके विरुद्ध आरोप लगातार, उसकी सूचना जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव है उसके विवरण सहित न दे दी जाय, और उसकी :— धारा 35(1)(ङ) और (छ)

(i) अपने प्रतिवाद के लिये लिखित बयान प्रस्तुत करने का;

(ii) व्यक्तिगत सुनवाई का, यदि वह ऐसा चाहे, और

(iii) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने का जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाये,

परन्तु कार्य परिषद् या उसके द्वारा जांच करने के लिये, प्राधिकृत अधिकारी पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करते हुए किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है।

(2) कार्य परिषद् या उसके द्वारा जांच अधिकारी की रिपोर्ट के दिनांक से साधारणतया दो मास के भीतर सम्बद्ध अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिसमें पदच्युत करने हटाने या सेवा समाप्त करने के कारण उल्लिखित किये जायेंगे। धारा 35(1)

(3) प्रस्ताव की सूचना सम्बद्ध अध्यापक को तुरन्त दी जायेगी।

(4) कार्य परिषद्, अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवा समाप्त करने के बजाय एक या अधिक अपेक्षाकृत हल्का दण्ड देने का संकल्प पारित कर सकती है अर्थात अधिक से अधिक तीन वर्ष की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अध्यापक का वेतन कम करना, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये उसकी वेतन–वृद्धि रोकना और अध्यापक को उसकी निलम्बन की अवधि के यदि कोई हो, वेतन से, किन्तु जीवन निर्वाह भत्ते से नहीं, वंचित करना।

15.06— (1) यदि किसी अध्यापक के विरुद्ध कोई जांच विचाराधीन हो या विचार हो तो परिनियम 8.01 में निर्दिष्ट अनुशासनिक समिति उसको परिनियम 15.04 के खण्ड (1)के उपखण्ड (क) से (ङ) तक में उल्लिखित आधार पर निलंबन का आदेश की सिफारिश कर सकती है। यदि इस आधार पर निलंबन का आदेश दिया कि अध्यापक के विरुद्ध जांच प्रारम्भ करने का विचार है, तो निलम्बन आदेश उसके प्रवर्तन के चार सप्ताह बीत जाने पर समाप्त बीत जाने पर समाप्त हो जायेगा तब तक इस बीच अध्यापक को उस आरोप या उन आरोंपों की सूचना न दे दी जाय जिनके बारे में जांच कराने का विचार था।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को—

(क) यदि किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि की स्थिति में उसे 48 घंटे से अधिक अवधि का कारावास का दण्ड दिया जाय और उसे इस प्रकार दोषसिद्धि के परिणामस्वरुप तुरन्त पदच्युत न किया जाय या सेवा से हटाया न जाय तो उसकी दोषसिद्धि के दिनांक से,

(ख) किसी अन्य स्थिति में, यदि वह अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाय, चाहे निरोध किसी आपराधिक आरोप के कारण हो या अन्यथा, उसके निरोध की अवधि तक के लिए निलम्बित समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण–इस खण्ड के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट 48 घंटे की अवधि की गणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास की सविराम अवधि पर भी, यदि कोई हो, विचार किया जायेगा।

(3) जहां विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करने या सेवा से हटाने का आदेश अधिनियम या इस परिनियमावली के अधीन किसी कार्यवाही के परिणामस्वरुप या अन्यथा अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या हो जाय, और विश्वविद्यालय का समुचित अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय उसके विरुद्ध अग्रसर जांच करने का विनिश्चय करे, वहां यदि अध्यापक पदच्युत होने या हटाने के ठीक पूर्व निलम्बित था, तो यह समझा जायेगा कि निलम्बन का आदेश पदच्युत या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और से प्रवृत्त है।

(4) विश्वविद्यालय का अध्यापक अपने निलम्बन की अवधि में समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकार के फाइनेंशियल हैण्डबुक, खण्ड 2 के भाग 2 के अध्याय 8 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के उपबन्धों के अनुसार, जो आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे, निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा।

15.07– परिनियम 15.05 के खण्ड (2) या परिनियम 15.06 के खण्ड (1) के प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि की गणना करने में, वह अवधि जिसमें किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रवर्तन में हो, सम्मिलित नहीं की जायेगी।

15.08– विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक किसी कलेण्डर वर्ष में निर्दिष्ट किसी परीक्षा के सम्बन्ध में सम्पादित किसी कर्त्तव्य के लिए उस कलेण्डर वर्ष में पच्चीस हजार रुपये से अधिक कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा।

15.09– इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी–

(i) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक जो संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य हो, अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण नहीं करेगा;

(ii) यदि विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रुप में अपने निर्वाचन या नाम–निर्देशन के दिनांक के पूर्व से विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण किये हो, तो वह ऐसे निर्वाचन या नाम–निर्देशन के दिनांक से या इस प्रारम्भ होने के दिनांक से जो भी पश्चात्वर्ती हो, उस पद पर नहीं रह जायेगा;

(iii) विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापक से, जो संसद या राज्य विधान मण्डल के लिए निर्वाचित या नाम–निर्दिष्ट किया जाय अपनी सदस्यता की अवधि में या परिनियम 15.10 द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी सदन या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए विश्वविद्यालय से त्याग–पत्र देने या छुट्टी लेने की उपेक्षा नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण–इस परिनियम के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता या किसी संकाय के संकायाध्यक्ष का पद या किसी महाविद्यालय के प्राचार्य का पद कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद नहीं समझा जायेगा।

15.10– कार्य परिषद् दिवसों की न्यूनतम संख्या नियत करेगी जब कि ऐसा अध्यापक अपने शैक्षिक कर्त्तव्यों के लिये विश्वविद्यालय में उपलब्ध होगा :

परन्तु जहां विश्वद्यिालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो, वहां उसे छुट्टी पर समझा जायेगा जो उसे देय हो और यदि कोई छुट्टी देय न हो तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायेगा।

भाग 2
विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिये छुट्टी संबंधी नियम

15.11– छुट्टी निम्नलिखित प्रकार की होगी :–

(क) आकस्मिक छुट्टी;

(ख) विशेषाधिकार की छुट्टी;

(ग) बीमारी की छुट्टी;

(घ) कर्त्तव्यस्थ (ड्यूटी) छुट्टी;

(ङ) दीर्घकालीन छुट्टी;

(च) असाधारण छुट्टी;

(छ) प्रसूति छुट्टी

(ज) पितृत्व छुट्टी

15.12– आकस्मिक छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी जो एक मास में सात दिन अथवा एक सत्र में चौदह दिन से अधिक न होगी और यह संचित नहीं होगी। यह साधारणतया अवकाश के दिन के साथ मिलाई नहीं जा सकेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, इस शर्त को अधित्यजित कर सकता है।

15.13– एक सत्र में दस कार्य–दिवस तक की विशेषाधिकार की छुट्टी पूर्ण वेतन पर होगी, और वह 60 कार्य–दिवस तक संचित की जा सकती है।

15.14– बीमारी की छुट्टी,वेतन की चालू दर और यदि छुट्टी के समय के लिये कोई प्रबन्ध किया जाय तो उसके कुल व्यय के अन्तर पर, किन्तु कम से कम आधे वेतन पर, एक सत्र में एक मास के लिये दी जायेगी और संचित नहीं होगी।

15.15– विश्वविद्यालय के ऐसे निकायों, तदर्थ समितियों तथा सम्मेलनों के, जिसमें कोई अध्यापक पदेन सदस्य हों, अथवा जिसमें वह विश्वविद्यालय द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो, किसी अधिवेशन में सम्मिलित होने तथा विश्वविद्यालय की परिक्षायें संचालित करने के लिये 15 कार्यदिवस तक की कर्त्तव्यस्थ (ड्यूटी) छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी।

15.16– किसी एक सत्र में एक मास के लिये दीर्घकालीन छुट्टी, जो आधे वेतन पर होगी और जो बारह मास तक संचित की जा सकती है, उन कारणों से, यथा लम्बी बीमारी, आवश्यक कार्य, अनुमोदित अध्ययन अथवा निवृत्ति पूर्वता के लिए दी सकती है :

परन्तु ऐसी छुट्टी लम्बी बीमारी को छोडकर, केवल पांच वर्ष की लगातार सेवा के पश्चात् दी जा सकती है।

परन्तु यह भी कि लम्बी बीमारी की दशा में छुट्टी कार्य–परिषद् के विवेकानुसार छः मास से अनधिक अवधि के लिये पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है।

परन्तु यह भी कि ऐसे अध्यापकों को जिनका चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा "अध्यापक अधिछात्रवृत्ति" के लिये या आयोग द्वारा प्रायोजित किसी अन्य योजना के अधीन विदेश में प्रशिक्षण या अध्ययन के लिए किया गया हो, ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसी अधिछात्रवृति, प्रशिक्षण या अध्ययन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर छुट्टी दी सकती है।

15.17– असाधारण छुट्टी बिना वेतन के होगी यह प्रारम्भ में ऐसे कारणों से जिन्हें कार्य–परिषद् उचित समझे, तीन वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये दी सकती है, किन्तु परिनियम 15.09 में उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर, या विशेष परिस्थितियों में दो वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये बढ़ायी जा सकती है।

स्पष्टीकरण (1)– कोई अध्यापक जो कोई स्थायी पद धृत करता हो या जो किसी निम्न पद पर स्थायी होने पर तीन वर्ष से अधिक अवधि से किसी उच्च पद पर स्थानापत्र रुप से कार्य कर रहा हो, राज्य सरकार की सहमति के अधीन रहते हुये, उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिए स्वीकृत की गई असाधारण छुट्टी की अवधि की गणना समय–मान में अपनी वेतन वृद्धि में किये जाने का हकदार होगा, धारा 35(1)

स्पष्टीकरण (2)– राज्य सरकार की सहमति के अधीन रहते हुए, कोई अध्यापक जो अस्थायी पद धृत करता हो और जिसे ऐसी छुट्टी स्वीकृत की गई हो, ऐसी छुट्टी से वापस आने पर, फाइनेंशियल हैण्डबुक, भाग 2 से 4 के फण्डामेंटल नियम 27 के अनुसार अपना वेतन समय–मान में ऐसे प्रक्रम पर निर्धारित कराने का हकदार होगा जो उसे उस समय मिलता यदि वह ऐसी छुट्टी पर न गया होता परन्तु यह कि वह अध्ययन जिसके लिये छुट्टी स्वीकृत की गई थी, लोकहित में रहा हो।

15.18– अध्यापिकाओं को ऐसी अवधि के लिये प्रसूति छुट्टी जो प्रसूति के प्रारम्भ होने के दिनांक से छः मास तक अथवा प्रसवावस्था के दिनांक से छः सप्ताह तक जो भी पहले हो, पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है:

परन्तु ऐसी छुट्टी अध्यापिका की सम्पूर्ण सेवा–अवधि में दो जीवित बच्चो की सीमा तक तीन बार से अधिक नहीं दी जायेगी।

15.19– छुट्टी अधिकार स्वरुप नहीं मांगी जा सकती है। परिस्थिति की आवश्यकता को देखते हुये स्वीकृति प्राधिकारी किसी प्रकार की छुट्टी स्वीकृत करने से इन्कार कर सकता है और पहले स्वीकृत करने से इन्कार कर सकता है और पहले स्वीकृत की गई छुट्टी को भी रद्द कर सकता है।

15.20– किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बीमारी की छुट्टी अथवा लम्बी बीमारी के कारण दीर्घकालीन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यदि ऐसी छुट्टी 14 दिन से अधिक हो तो कुलपति किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक को जो उनके द्वारा अनुमोदित हो, द्वितीय प्रमाण पत्र मॉगने के लिए सक्षम होगा।

15.21– दीर्घकालीन छुट्टी तथा असाधारण छुट्टी को छोड़कर जो कार्य–परिषद् द्वारा स्वीकृत की जायेगी, छुट्टी स्वीकृति करने के लिये सक्षम प्राधिकारी कुलपति होगा।

15.22– पितृत्व अवकाश अधिकतम 15 दिन की अवधि हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में 02 बार देय होगा।

भाग 3

अधिवर्षता की आयु

15.23— अधिवर्षिता की आयु के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन के समय–समय पर यथा संशोधित शासनादेश लागू होगें।

भाग 4

अन्य उपबन्ध

15.24— इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी अध्यापक और विश्वविद्यालय के बीच की गई कोई नियुक्ति संविदा इस अध्याय में दिये गये परिनियमों के उपबन्धों के अधीन होगी, और इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार तथा **परिशिष्ट 'ग'** के साथ पठित **परिशिष्ट 'घ'** में दिये गये प्रपत्र की शर्तो के अनुसार समझी जायेगी।

15.25— परिनियम 15.04(1) के खण्ड (ख),खण्ड (ग), खण्ड (घ),या खण्ड (ङ) में उल्लिखित किसी कारण से सेवा से पदच्युत किया गया विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, किसी विश्वविद्यालय या ऐसे किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में किसी भी रुप में फिर से नियोजित नहीं किया जायेगा।

15.26— (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक **परिशिष्ट 'ङ'** के प्रपत्र 3 में अपनी वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट दो प्रति में तैयार करेगा। मूल रिपोर्ट कुलपति के पास रखी जायेगी और उसकी प्रति अध्यापक अपने पास रखेगा।

(2) मूल रिपोर्ट पर उसे कुलपति को देने के पूर्व, विभागाध्यक्ष से भिन्न अध्यापक की दशा में सम्बद्ध विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

(3) किसी शिक्षा सत्र के सम्बद्ध में रिपोर्ट उक्त सत्र के अनुवर्ती जुलाई के अन्त तक, या सत्र समाप्त होने के एक मास के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, दी जायेगी।

15.27— विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के सम्बंध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्राधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा।

15.28— जहां अधिनियम या इस परिनियमावली या अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन किसी अध्यापक पर कोई नोटिस तामील करना अपेक्षित हो और ऐसा अध्यापक नगर में न हो, यहां ऐसी नोटिस उसे उसके अन्तिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्री डाक से भेजी सकती है।

अध्याय 16

भाग–1

सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा की शर्तें

16.01— इस अध्याय के उपबन्ध राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्यरुप से पोषित किसी महाविद्यालय के अध्यापकों पर लागू नहीं होंगे।

16.02— किसी अध्यापक को दस मास से अनाधिक अवधि के लिये छुट्टी दिये जाने के कारण हुई किसी रिक्ति में सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक **परिशिष्ट "घ"** में दिये गये यथास्थिति प्रपत्र (1)या (2)में लिखित संविदा पर नियुक्त किये जायेंगे।

16.03— **(1)** सम्बद्ध महाविद्यालय का अध्यापक सर्वदा सत्यनिष्ठ एंव कर्तव्यनिष्ठ रहेगा और परिशिष्ट 'ग' में दी गयी आचार संहिता का पालन करेगा जो नियुक्ति के समय अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किये जाने वाले करार का एक भाग होगा

(2) परिशिष्ट 'ग' में दी गयी आचार संहिता के किसी उपबन्ध का उल्लंघन परिनियम 16.04(1) के अर्थान्तर्गत दुराचरण समझा जायेगा।

16.04— **(1)** सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक (प्राचार्य को छोड़कर) निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या उससे अधिक कारण से पदच्युत किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं :— **धारा 35(1)(छ)**

(क) कर्तव्य की जानबूझ कर उपेक्षा;

(ख) दुराचरण जिसके अन्तर्गत प्राचार्य के आदेशों की अवज्ञा भी है;

(ग) संविदा की किसी शर्त का उल्लंघन;

(घ) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की परीक्षाओं के सम्बन्ध में बेईमानी;

(ङ) लोकापवादयुक्त आचरण अथवा नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिये सिद्धदोष होना;

(च) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता;

(छ) अक्षमता; तथा

(ज) कुलपति के पूर्वानुमोदन से पद का समाप्त किया जाना।

(2) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्राचार्य खण्ड (1) में उल्लिखित कारणों से या महाविद्यालय के निरन्तर कुप्रबन्धक के कारण पद्च्युत किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(3) सिवाय खण्ड (4) में की गयी व्यवस्था के, सेवा संविदा समाप्त करने के लिये किसी भी पक्ष द्वारा कम से कम तीन मास की नोटिस (या जब नोटिस अक्टूबर मास के पश्चात् दी जाय, तब तीन मास की नोटिस या सत्र समाप्त होने तक की नोटिस, जो भी अधिक हो) दी जायेगी, या ऐसी नोटिस के बदले में यथास्थिति तीन मास (या उपर्युक्त दीर्घावधि) का वेतन दिया या वापस किया जायेगा :

परन्तु प्रबन्धतंत्र खण्ड (1) या खण्ड (2) के अधीन किसी अध्यापक को पदच्युत करे अथवा हटाये या उसकी सेवायें समाप्त करे या जब कोई अध्यापक प्रबन्धतंत्र द्वारा संविदा की शर्तों में से किसी का उल्लंघन किये जाने के कारण उसे समाप्त करे, तो ऐसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि पक्षकार आपसी समझौते द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से नोटिस की शर्त को अधित्यजित करने के लिये स्वतंत्र होंगे।

(4) अस्थायी या स्थानापन्न रूप में नियुक्त किसी अन्य अध्यापक की स्थिति में, उसकी सेवायें किसी भी पक्ष द्वारा एक मास की नोटिस या उसके बदले में वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।

16.05— किसी प्राचार्य या अन्य अध्यापकों की नियुक्ति की मूल संविदा नियुक्ति के दिनांक के तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिये विश्वविद्यालय के पास जमा की जायेगी।

16.06— (1) परिनियम 16.04 के खण्ड (1) या खण्ड (2) में उल्लिखित किसी कारण से किसी अध्यापक को पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का कोई आदेश (सिवाय नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिये सिद्ध–दोष होने या पद के समाप्त किये जाने की दशा में) तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि अध्यापक के विरूद्ध आरोप लगा न दिया जाय और जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव है उसका विवरण उस अध्यापक को न दे दिया जाय, और उसे

(i) अपने प्रतिवाद के लिये लिखित बयान प्रस्तुत करने का,

(ii) व्यक्तिगत सुनवाई का, यदि वह ऐसा चाहे, और

(iii) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने के लिये, जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जायः

परन्तु प्रबन्धतंत्र या उसके द्वारा जांच करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है।

धारा 35(1)

(2) प्रबन्धतंत्र किसी समय, साधारणतया जांच अधिकारी की रिपोर्ट के दिनांक से दो मास के भीतर, सम्बद्ध अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या हटाने सा उसकी सेवायें समाप्त करने का संकल्प पारित कर सकता है जिसमें पदच्युत करने, हटाने या सेवा समाप्त करने का कारण उल्लिखित होगा।

(3) संकल्प की सूचना सम्बद्ध अध्यापक को तुरन्त दी जायेगी और अनुमोदन के लिये कुलपति को उसकी रिपोर्ट की जायेगी और वह तब तक प्रवर्तनीय न होगी जब तक कि कुलपति उसका अनुमोदन न कर दे।

(4) प्रबन्धतंत्र अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने के बजाय निम्नलिखित एक या एकाधिक अपेक्षाकृत हल्का दण्ड देने का संकल्प पारित कर सकता है अर्थात् –

(1) विनिर्दिष्ट अवधि के लिये वेतन कम करना,

(2) तीन वर्ष से अनाधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिये वार्षिक वृद्धि रोकना, तथा

(3) उसको निलम्बन की अवधि में, यदि कोई हो, वेतन से, जिसके अन्तर्गत निर्वाह भत्ता नहीं है, वंचित करना।

प्रबन्धतंत्र द्वारा ऐसा दण्ड देने के संकल्प की सूचना कुलपति को दी जायेगी और वह तभी प्रवर्तनीय होगा जब और जिस सीमा तक कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाय।

16.07— यदि किसी अध्यापक के विरूद्ध कोई जांच विचाराधीन हो या करने का विचार हो तो प्रबन्धतंत्र उसको परिनियम 16.04 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) से (ङ) तक में उल्लिखित आधार पर निलम्बित करने के लिये शक्ति सम्पन्न होगा। किसी आपातस्थिति में, (प्राचार्य से भिन्न किसी अध्यापक की स्थिति में) इस शक्ति का प्रयोग प्रबन्धतंत्र के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्राचार्य द्वारा किया जायेगा। प्राचार्य ऐसे मामले की सूचना प्रबन्धतंत्र को शीघ्र देगा। यदि इस आधार पर निलम्बन का आदेश दिया जाय कि अध्यापक के विरूद्ध जांच प्रारम्भ करने का विचार है तो निलम्बन आदेश जारी किये जाने के पश्चात् चार सप्ताह की समाप्ति पर भंग हो जायेगा जब तक कि इस बीच अध्यापक को उन आरोपों की संसूचना न दे दी जाय जिनके बारे में जांच कराये जाने का विचार था।

16.08— परिनियम 16.06 के खण्ड (2) और परिनियम 16.07 के प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि की गणना करने में ऐसी कोई अवधि जिसमें किसी न्यायालय का स्थगन आदेश कायम हो सम्मिलित नहीं की जायेगी।

16.09— सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक किसी कलेण्डर वर्ष में किसी परीक्षा के सम्बद्ध में सम्पादित किसी कर्तव्य के लिये उस कलेण्डर वर्ष में पच्चीस हजार रूपये से अधिक कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा।

16.10– इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुये भी–

(i) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक जो संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो, अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण नहीं करेगा।

(ii) यदि सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचित या नाम–निर्देशन के दिनांक के पूर्व से महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में, कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण किये हो तो वह ऐसे निर्वाचन या नाम–निर्देशन के दिनांक से या इस परिनियमावली के आरम्भ होने के दिनांक से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, उस पद पर नहीं रह जायेगा;

(iii) सम्बद्ध महाविद्यालय के ऐसे अध्यापक से जो संसद या राज्य विधान मण्डल के लिये निर्वाचन या नाम–निर्दिष्ट किया जाय, अपनी सदस्यता की अवधि में या, परिनियम 16.11 द्वारा उपबन्धित के सिवाय, किसी सदन या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिये महाविद्यालय से त्याग–पत्र देने या छुट्टी लेने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण–इस परिनियम के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता या किसी संकाय के संकायाध्यक्ष का पद या किसी महाविद्यालय के प्राचार्य का पद कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद नहीं समझा जायेगा।

16.11– किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र, कुलपति के पूर्वानुमोदन से उतने न्यूनतम दिन नियत करेगा जितने दिन ऐसा अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तव्यों के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध होगा :

परन्तु जहां महाविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो, वहां उसे ऐसी छुट्टी पर समझा जाये जो उसे देय हो, और यदि कोई छुट्टी देय न हो तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायेगा।

भाग–2

सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों के लिये छुट्टी सम्बन्धी नियम

16.12– विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिये छुट्टी सम्बन्धी नियम से सम्बद्ध परिनियम 15.11 से 15.21 के उपबन्ध सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों के सम्बन्ध में इस प्रकार लागू होंगे मानों क्रमशः शब्द "कार्य परिषद् और "कुलपति" के स्थान पर शब्द "प्रबन्धतंत्र" और "प्राचार्य" रखे गये हों।

भाग–3

सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु

16.13– इस भाग में, पद ''नये वेतनमान'' का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित सम्बन्धित उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश से है।

16.14— (1) नये वेतनमान द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को अधिवर्षिता की आयु पैंसठ वर्ष होगी।

(2) विश्वविद्यालय के किसी ऐसे अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु, जो नये वेतनमान द्वारा नियंत्रित न हो, साठ वर्ष होगी।

(3) इस परिनियमावली के प्रारम्भ के दिनांक के पश्चात् किसी अध्यापक की सेवा में अधिवर्षिता की आयु के उपरान्त कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।

भाग—4

अन्य उपबन्ध

16.15— इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य या अन्य अध्यापक और प्रबन्धतंत्र के बीच की गई कोई नियुक्ति संविदा इस अध्याय में दिये गये परिनियमों के उपबन्धों के अधीन होगी, और इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार तथा परिशिष्ट 'घ' के साथ पठित परिशिष्ट 'ड.' में दिये गये यथास्थिति प्रपत्र (1) या (2) की शर्तों के अनुसार परिष्कृत समझी जायेगी।

16.16— परिनियम 16.04 (1) के खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में उल्लिखित किसी कारण से सेवा से पदच्युत किया गया सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में किसी भी रूप में फिर से नियोजित नहीं किया जायेगा।

16.17— परिनियम 15.06 के खण्ड (2) से (4), परिनियम 15.28 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रत्येक अध्यापक पर निम्नलिखित परिष्कार के साथ लागू होंगे, अर्थात्

(क) परिनियम 15.06 के खण्ड (2) से (4) में, शब्द "कुलपति" और "कार्य परिषद्", के स्थान पर क्रमशः शब्द "प्राचार्य" और 'प्रबन्धतंत्र' रख दिये जायेंगे।

(ख) परिनियम 15.28 में, शब्द "कुलपति" और "विभागाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "प्राचार्य" और "विभाग का ज्येष्ठतम प्राध्यापक" रख दिये जायेंगे।

अध्याय 17

भाग 1

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता

17.01— इस अध्याय के परिनियमों से इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व से विश्वविद्यालय में नियोजित प्राध्यापकों की परस्पर ज्येष्ठता पर प्रभाव नहीं पडेंगा।

17.02— कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह आगे आये हुये उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों के संबंध में एक पूर्ण और अद्यावधि ज्येष्ठता सूची तैयार करे और रखें।

17.03— संकायों के संकायाध्यक्षों में ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा संकाय के संकायाध्यक्ष के रूप में की गयी सेवा के कुल अवधि से किया जायेगा :

परन्तु जब दो या इससे अधिक संकायाध्यक्ष उक्त पद पर समान समयावधि तक रहे हों तो आयु में ज्येष्ठ संकायाध्यक्ष इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायेगा।

17.04– विभागाध्यक्षों में ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायेगा।

परन्तु जब दो या इससे अधिक विभागाध्यक्ष उक्त पद पर समान समयावधि तक रहे हों तो आयु में ज्येष्ठ विभागाध्यक्ष इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायेगा। **धारा35(1)**

17.05– विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों को पालन किया जायेगा।

(क) किसी प्रोफेसर को प्रत्येक सह प्रोफेसर से ज्येष्ठ समझा जायेगा और किसी सह प्रोफेसर को प्रत्येक सहायक प्रोफेसर से ज्येष्ठ समझा जायेगा।

(ख) एक ही संवर्ग में वैयक्तिक पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति अध्यापकों की पारम्परिक ज्येष्ठता ऐसे संवर्ग में निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार अवधारित की जायेगी।

परन्तु जहां सीधी भर्ती द्वारा एक से अधिक नियुक्तियां एक ही समय में की गयी हों और यथास्थिति, चयन समिति या कार्य परिषद् द्वारा अधिमानता या योग्यता का क्रम इंगित किया हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को पारम्परिक ज्येष्ठता इस प्रकार इंगित क्रम द्वारा नियंत्रित होगी : **धारा35(1)**

परन्तु यह और कि जहां एक से अधिक नियुक्तियां एक ही बार में की गयी हों, वहां इस प्रकार नियुक्त अध्यापकों की पारम्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धृत पद पर थी।

(ग) जब किसी विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय या किसी संस्थान में चाहे वह उत्तराखण्ड राज्य में या उत्तराखण्ड के बाहर स्थित हो, मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक विश्वविद्यालय में तत्स्थानी पंक्ति या श्रेणी के पद पर नियुक्त किया जाय, तब उस अध्यापक द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय में उस श्रेणी या पंक्ति में की गयी सेवा अवधि को उसके सेवा–काल में सम्मिलित किया जायेगा।

(घ) जब किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक चाहे इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात्, विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त किया जाय तब उस अध्यापक की ऐसे महाविद्यालयों में मौलिक रूप में की गयी सेवा–अवधि की आधी अवधि को उसकी सेवा–अवधि में सम्मिलित किया जायेगा। **धारा 35(1)**

(ङ) किसी विश्वविद्यालय या संस्थान में प्रशासकीय पद के प्रति की गयी सेवा की गणना ज्येष्ठता के प्रयोजनार्थ नहीं की जायेगी।

17.06– जहां एक ही संवर्ग के एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की अनवरत सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों वहां ऐसे अध्यापकों की आपेक्ष ज्येष्ठता निम्नलिखित प्रकार से अवधारित की जायेगी

(i) प्रोफेसरों की स्थिति में, सह प्रोफेसर के रूप में की गई मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा;

(ii) सह प्रोफेसर की स्थिति में, सहायक प्रोफेसर के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा;

(iii) उन प्रोफेसरों की स्थिति में जिनकी सह प्रोफेसर के रूप में भी सेवा की अवधि उतनी ही हो, तो सहायक प्रोफेसर के रूप में उनकी सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा।

17.07– जहां एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों और उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता किन्हीं पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसार अवधारित नहीं की जा सकती है, वहां ऐसे अध्यापकों की ज्येष्ठता वयोवृद्धता के आधार पर अवधारित की जायेगी।

17.08– (1) किसी अन्य परिनियम में किसी बात के होते हुये भी यदि कार्य परिषद्–

(क) चयन समिति की सिफारिश से सहमत हो, और एक ही विभाग में अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिये दो या अधिक व्यक्तियों के नाम को अनुमोदित करे तो वह ऐसा अनुमोदन अभिलिखित करते समय, ऐसे अध्यापकों की योग्यता–क्रम अवधारित करेगी; धारा 35(1)

(ख) चयन समिति की सिफारिशों से सहमत न हो और धारा 45 के अधीन मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करे तो कुलाधिपति उन मामलों में जहां एक ही विभाग में दो या अधिक अध्यापकों की नियुक्ति अन्तर्ग्रस्त हो ऐसे निर्देश का अवधारण करते समय ऐसे अध्यापकों की योग्यता–क्रम अवधारित करेंगे।

(2) ऐसे योग्यता–क्रम की जिसमें खण्ड (1) के अधीन दो या अधिक अध्यापक रखे जायें, सूचना सम्बद्ध अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व दी जायेगी।

17.09– (1) कुलपति समय–समय पर एक या अधिक ज्येष्ठता समिति गठित करेंगे। जिसमें/जिनमें अध्यक्ष के रूप में कुलपति और कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जाने वाले दो संकायाध्यक्ष होंगे :

परन्तु उस संकाय का, जिससे अध्यापकों का (जिनकी ज्येष्ठता विवादग्रस्त हो) सम्बन्ध हो, संकायाध्यक्ष सापेक्ष ज्येष्ठता समिति का सदस्य नहीं होगा।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की ज्येष्ठता के बारे में प्रत्येक विवाद ज्येष्ठता समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो विनिश्चय के कारण उल्लिखित करते हुए, उसे विनिश्चय करेगी।

(3) ज्येष्ठता समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय संसूचित किये जाने के दिनांक से सात दिन के भीतर कार्य परिषद् को अपील कर सकता है। यदि कार्य परिषद् समिति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण बतायेगी।

भाग 2

सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों की ज्येष्ठता

17.10— सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा :—

(क) प्राचार्य महाविद्यालय के अन्य अध्यापकों से ज्येष्ठ समझा जायेगा।

(ख) स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य उपाधि महाविद्यालय के प्राचार्य से ज्येष्ठ समझा जायेगा।

(ग) सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों को ज्येष्ठता मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने के दिनांक से अनवरत सेवा की अवधि के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(घ) प्रत्येक हैसियत में (उदाहरणार्थ प्राचार्य या अध्यापक के रूप में की गयी सेवा की गणना मौलिक नियुक्ति के अनुसार कार्य–भार ग्रहण करने के दिनांक से की जायेगी।

(ङ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या अन्य उपाधि या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में, चाहे वह विश्वविद्यालय या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त हो, मौलिक रूप में की गयी सेवा को उसकी सेवा की अवधि में सम्मिलित किया जायेगा।

17.11— जहां एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की अनवरत सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों, वहां ऐसे अध्यापकों की सापेक्ष ज्येष्ठता निम्नलिखित प्रकार से अवधारित की जायेगी :—

(i) प्राचार्यों की स्थिति में, सहायक प्रोफेसर के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा :—

(ii) सहायक प्रोफेसरों की स्थिति में, आयु की ज्येष्ठता पर विचार किया जायेगा।

17.12— जहां विश्वविद्यालय के प्राधिकारी में प्राचार्य के रूप में प्रतिनिधित्व करने या नियुक्ति के प्रयोजनार्थ, प्राचार्य के रूप में किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता अवधारित की जानी हो, वहां केवल प्राचार्य के रूप में की गयी सेवा की अवधि पर ध्यान दिया जायेगा।

17.13— **(1)** जब दो या अधिक व्यक्ति एक ही विभाग में या एक ही विषय के लिए अध्यापक नियुक्त किये जायें तो उनका सापेक्ष उस अधिमानता या योग्यता–क्रम में, जिसमें चयन समिति द्वारा उनके नाम की सिफारिश की गयी थी, अवधारित की जायेगी।

(2) यदि दो या अधिक अध्यापकों की ज्येष्ठता खण्ड (1) के अधीन अवधारित की गयी हो तो उसकी सूचना अध्यापकों को उनको नियुक्ति के पूर्व दी जायेगी।

17.14— अध्यापकों (प्राचार्य से भिन्न) की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में समस्त विवाद महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे जो विनिश्चय के कारण उल्लिखित करेगा। प्राचार्य के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर कुलपति को अपील कर सकता है। यदि कुलपति–प्राचार्य से सहमत न हों तो वह ऐसी असहमति के कारण उल्लिखित करेंगे।

17.15— सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में समस्त विवाद कुलपति द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे जो विनिश्चय के कारण उल्लिखित करेंगे। कुलपति के विनिश्चय से व्यथित कोई प्राचार्य ऐसा विनिश्चय संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर कार्य परिषद् को अपील कर सकता है। यदि कार्य परिषद् कुलपति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण उल्लिखित करेगी।

17.16— परिनियम 17.01,17.02,17.05 और 17.08 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों और प्राचार्यों पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे विश्वविद्यालय के अध्यापकों पर लागू होते हैं।

अध्याय 18

स्वायत्त महाविद्यालय

18.01— किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र जो स्वायत्त महाविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त करने का इच्छुक हो, निम्नलिखित बातों को स्पष्टतया विनिर्दिष्ट करते हुए कुलसचिव को आवेदन–पत्र देगा :–

(क) विश्वविद्यालय द्वारा विहित शिक्षा पाठक्रम में या उससे प्रस्तावित परिवर्तन जिसके अन्तर्गत ऐसे विषय में, जिसके लिये विश्वविद्यालय द्वारा व्यवस्था न की गयी हो, पाठक्रम प्रारम्भ करना तथा विश्वविद्यालय द्वारा विहित पाठक्रम के स्थान पर किसी अन्य पाठक्रम का प्रतिस्थापन भी है;

(ख) वह रीति जिसके अनुसार महाविद्यालय का इस प्रकार परिवर्तित पाठक्रमों में परीक्षायें लेने का प्रस्ताव है;

(ग) अपने वित्त तथा आस्तियों के ब्योरे, अपने अध्यापक वर्ग की संख्या तथा अर्हतायें, उच्च अनुसंधान कार्य के लिये उपलब्ध सुविधायें तथा किया गया उच्च अनुसंधान कार्य, यदि कोई हो।

18.02— परिनियम 18.01 के अधीन कोई भी आवेदन–पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि महाविद्यालय निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करे–

(क) उसमें, कम से कम दो संकायों में स्नातकोत्तर स्तर तक कम से कम छः विषयों में शिक्षण देने के लिये सुस्थापित अध्यापन विभाग है; **धारा 35(1)**

(ख) उसमें पर्याप्त तथा उत्तम अर्हत्तासंपन्न अध्यापक वर्ग है या होने की संभावना है;

(ग) उसका प्राचार्य असाधारण योग्यता का अध्यापक अथवा विद्वान है तथा उसे प्रशासनिक अनुभव है;

(घ) उसके पास समस्त पाठन (ट्यूटोरियल) प्रयोजनों तथा पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशालाओं के निमित्त पर्याप्त तथा संतोषजनक भवन है और भविष्य में उनके प्रसार के लिये भूमि है;

(ङ) उसके पास एक अच्छा पुस्तकालय है और उसके नियमित विकास के लिये व्यवस्था है अथवा होने की संभावना है;

(च) उसके पास, उसमें पढाये जाने वाले विषयों के निमित्त, यदि आवश्यक हो सुसज्जित प्रयोगशालायें हैं और उसमें नवीन उपलब्धियों तथा उनके प्रतिस्थापनार्थ पर्याप्त व्यवस्था है अथवा होने की संभावना है;

(छ) महाविद्यालय को स्वायत्त महाविद्यालय की स्थिति प्राप्त करने में अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिये प्रबन्धतंत्र के पास पर्याप्त संसाधन है।

18.03— परिनियम 18.01 के अधीन प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ विश्वविद्यालय को देय 20000/– रूपये (रुपये बीस हजार मात्र) की धनराशि का एक बैंक ड्राफ्ट होगा जिसे वापस नहीं किया जायेगा।

18.04— (1) परिनियम 18.01 के अधीन प्रत्येक आवेदन–पत्र संवीक्षार्थ प्रत्येक संकाय की सम्बद्ध स्थायी समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) प्रत्येक सम्बद्ध संकाय की स्थायी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(क) संकाय का संकायाध्यक्ष (संयोजक);

(ख) उत्तराखण्ड में विधि द्वारा स्थापित किन्हीं दो विश्वविद्यालयों से कार्य परिषद् द्वारा चयन किये गये तत्स्थानी प्रत्येक संकाय का एक प्रतिनिधि।

(3) यदि समिति की रिपोर्ट पक्ष में हो तो कार्य परिषद् महाविद्यालय का निरीक्षण करने तथा उसे स्वायत्त महाविद्यालय घोषित किये जाने की उपयुक्तता पर रिपोर्ट देने के लिये (छः सदस्यों से अनाधिक का) एक निरीक्षक बोर्ड नियुक्त करेगी।

(4) निरीक्षक–बार्ड में संयोजक के रूप में कुलपति, तथा सदस्यों के रूप में शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) और विषयों के ऐसे अन्य विशेषज्ञ होंगे जिन्हे कार्य परिषद् नियुक्त करना उचित समझे।

18.05— निरीक्षक–बोर्ड की रिपोर्ट पर सम्बद्ध संकाय के बोर्ड तथा शैक्षिक परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा, और उसे इन निकायों के दृष्टिकोण सहित कार्य परिषद् के समक्ष रखा जायेगा।

18.06— (1) निरीक्षक–बोर्ड को सिफारिश और परिनियम 18.05 में निर्दिष्ट दो निकायों की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यदि कार्य परिषद् की राय हो कि महाविद्यालय धारा 35(1) में उल्लिखित विशेषाधिकारों का हकदार है तो वह अपना प्रस्ताव कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

(2) खण्ड (1) के अधीन प्रस्ताव और अन्य सम्बद्ध पत्रादि प्राप्त होने पर और ऐसी जांच, जिसे कुलाधिपति आवश्यक समझे, करने के पश्चात् कुलाधिपति प्रस्ताव का अनुमोदन या अनानुमोदन कर सकते है:

परन्तु किसी ऐसे प्रस्ताव का अनुमोदन करने के पूर्व कुलाधिपति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श कर सकते हैं।

18.07— परिनियम 18.06 के अधीन कुलाधिपति द्वारा कार्य–परिषद् की सिफारिश का अनुमोदन कर लेने के पश्चात् कार्य–परिषद् महाविद्यालय को स्वायत्त महाविद्यालय घोषित करेगी और ऐसे विषयों को विनिर्दिष्ट करेगी जिनके सम्बन्ध में तथा जिस सीमा तक महाविद्यालय स्वायत्त महाविद्यालय के विशेषाधिकारों का प्रयोग कर सकता है। धारा 35(1)

18.08— (1) धारा 35 (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, स्वायत्त महाविद्यालय निम्नलिखित का हकदार होगा :–

(क) अपने विशेषाधिकारों के अन्तर्गत आने वाले विषयों का पाठक्रम तैयार करना;

(ख) ऐसे विषयों में आन्तरिक या वाह्य परीक्षकों के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये अर्हता–सम्पन्न व्यक्तियों की नियुक्ति करना ;

(ग) परीक्षायें आयोजित करना और परीक्षा तथा अध्यापन कार्य की विधि में ऐसे परिवर्तन करना, जो उसकी राय में शिक्षा के स्तर को बनाये रखने में सहायक हों।

(2) सम्बद्ध संकाय–बोर्ड, शैक्षिक–परिषद् और परीक्षा समिति खण्ड (1) के अधीन स्वायत्त महाविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही पर विचार कर सकती है और किसी परिवर्तन का, यदि आवश्यक हो, सुझाव दे सकती है।

18.09— (1) स्वायत्त महाविद्यालय का परीक्षाफल विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तथा प्रकाशित किया जायेगा जो उस महाविद्यालय का नाम उल्लिखित करेगा जिसने घोषणा और प्रकाशन के लिए परीक्षा–फल प्रस्तुत किया हो।

(2) प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालय ऐसी रिपोर्ट, विवरणी और अन्य सूचना देगा जैसी कार्य परिषद् महाविद्यालय की दक्षता का अनुभव के लिये समय–समय पर अपेक्षा करे।

(3) विश्वविद्यालय स्वायत्त महाविद्यालय का सामान्य पर्यवेक्षण करता रहेगा और महाविद्यालय के ऐसे छात्रों को उपाधियां प्रदत्त करता रहेगा जो विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिये कोई अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करे।

18.10— कार्य परिषद् किसी भी समय निरीक्षक–बोर्ड द्वारा किसी स्वायत्त महाविद्यालय का निरीक्षण करा सकती है, और यदि निरीक्षण की रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात् उसकी यह राय हो कि महाविद्यालय अपेक्षित स्तर को बनाये रखने में या अपेक्षित संसाधनों से सम्पन्न होने में असफल रहा है या यह कि शिक्षा के हित में परिनियम 18.07 द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों को वापस लेना आवश्यक है तो कार्य–परिषद् कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से, ऐसे विशेषाधिकारों को वापस ले सकती है और तदुपरान्त सम्बन्धित महाविद्यालय की स्थिति में प्रतिवर्तित हो जायेगा।

18.11— (1) अपने कार्य के समुचित नियोजन तथा संचालन के लिये प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालय की एक शैक्षिक–परिषद् और प्रत्येक संकाय में समाविष्ट विषयों के संबंध में एक संकाय बोर्ड होगा।

(2) शैक्षिक परिषद् में समस्त विभागाध्यक्ष, पदेन और स्नातकोत्तर उपाधि के लिए पढाये जाने वाले प्रत्येक विषय के दो अन्य अध्यापक तथा प्रथम उपाधि के लिये पढाये जाने वाले प्रत्येक विषय के एक अध्यापक होंगे, जिसका अध्यक्ष प्राचार्य होगा। अध्यापक एक बार में तीन वर्ष की अवधि के लिये ज्येष्ठता–क्रम में, चक्रानुक्रम से, परिषद् के सदस्य होंगे, परन्तु चार वर्ष से कम की अवस्थिति का कोई भी अध्यापक सदस्य न होगा।

(3) शैक्षिक–परिषद् तिमाही अधिवेशनों में महाविद्यालय के शैक्षिक कार्य का पुनर्विलोकन करेगी और पाठ्यक्रम, परीक्षा आदि के सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा किये गये समस्त प्रस्ताव उक्त परिषद् के माध्यम से भेजे जायेंगे।

(4) संकाय बोर्ड में, संकाय में समाविष्ट विषयों के ऐसे सभी अध्यापक होंगे जिनकी उपाधि कक्षाओं के अध्यापक के रूप में तीन वर्ष की अवस्थिति हो। शैक्षिक मामलों पर विचार करने के लिये संकाय बोर्ड का अधिवेशन नियमित अन्तरालों पर (यदि संभव हो, मास में एक बार) होगा और प्राचार्य को सलाह देगा। इन संकाय के बोर्डों में पाठक्रम, परीक्षा आदि से सम्बन्धित प्रस्ताव या तो व्युत्पन्न होंगे अथवा उन पर विचार किया जायेगा।

18.12— इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी स्वायत्त महाविद्यालय से सम्बन्धित शिक्षा पाठ्यक्रम तथा अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि अध्यादेशों में निर्धारित की जायें।

अध्याय 19

भाग 1

सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अर्हतायें व सेवा संबंधी शर्तें

19.01— जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्याय में–

(1) चतुर्थ वर्ग का पद तात्पर्य नैत्यिक लिपिक के वेतनमान से कम वेतनमान के पद से है और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी तथा चतुर्थ वर्ग के कर्मचारीवर्ग का तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा।

(2) महाविद्यालय का तात्पर्य अधिनियम या विश्वविद्यालय के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय से है, किन्तु इसमें राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पोषित महाविद्यालय सम्मिलित नहीं है।

(3) कर्मचारी का तात्पर्य किसी महाविद्यालय के वेतन भोगी कर्मचारी (जो अध्यापक न हो) से है और इसके व्याकर्णिक रूपभेद तथा सजातीय पदों का तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा।

(4) संघ की सशस्त्र सेना का तात्पर्य संघ की नौसेना, सेना या वायु सेना से है और इसके अन्तर्गत भूतपूर्व भारतीय राज्यों का सशस्त्र सेना भी हैं।

(5) अंगहीन भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य उस भूतपूर्व सैनिक से है जो संघ की सशस्त्र सेना में सेवा करते हुए शत्रु के विरूद्ध कार्यवाही के दौरान या उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में अंगहीन हुआ हो।

(6) भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने संघ की सशस्त्र सेना में किसी कोटि में (चाहे योधक के रूप में या अनायोधक के रूप में) कम से कम छः मास की अवधि के लिए लगातार सेवा की हो और जिसे –

(i) दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त किये जाने से भिन्न रूप में निर्मुक्त किया गया हो या निर्मुक्त होने तक रिजर्व में स्थानान्तरित किया हो ; या

(ii) इस प्रकार निर्मुक्त किये जाने या रिजर्व स्थानान्तरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की अवधि पूरी करने के लिये छः मास से अनाधिक सेवा करनी है।

19.02– (1) इस परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा की जायेगी और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति प्राचार्य द्वारा की जायेगी।

(2) खण्ड (1) में निर्दिष्ट नियुक्त प्राधिकारी को उस वर्ग के कर्मचारियों के विरूद्ध जिसका वह नियुक्ति प्राधिकारी है, अनुशासनिक कार्यवाही करने और दण्ड देने की शक्ति होगी।

(3) खण्ड (2) में निर्दिष्ट नियुक्त प्राधिकारी के प्रत्येक विनिश्चय की सूचना कर्मचारी को संसूचित किये जाने के पूर्व मुख्य शिक्षा अधिकारी को दी जायेगी और वह तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा उसका अनुमोदन लिखित रूप से न कर दिया जाय :

परन्तु इस खण्ड की कोई बात पर उस अवधि के जब तक के लिये कर्मचारी नियुक्त किया गया हो, व्यतीत हो जाने पर सेवा–समाप्त करने पर लागू नहीं होगाः

परन्तु इस खण्ड की कोई बात ऐसे निलम्बन के आदेश पर जिसमें जांच विचाराधीन हो, लागू नहीं होगी, किन्तु कोई ऐसा आदेश मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थगित प्रतिसंहृत या उपान्तरित किया जा सकता है।

(4) खण्ड (2) और खण्ड (3) में निर्दिष्ट आदेश के विरूद्ध कोई अपील सम्भागीय अपर शिक्षा निदेशक को दी जायेगी।

19.03— (1) नैत्यिक लिपिक के पदों पर या खण्ड (2) या खण्ड (3) में उल्लिखित पदों से भिन्न नैत्यिक लिपिक के वेतनमान में या उससे उच्च वेतनमान में किसी अन्य पद पर नियुक्त समाचार पत्रों में रिक्ति का विज्ञापन करने पश्चात् खण्ड (6) में उपबंधित रीति से चयन समिति की संस्तुति पर सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी :

(2) सहायक के पद पर नियुक्ति, नैत्यिक लिपिकों में से उपयुक्तता और योग्यता के अधीन रहते हुए, ज्येष्ठता के अनुसार पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

(3) मुख्य लिपिक एंव लेखाकार, मुख्य लिपिक, कार्यालय अधीक्षक और वर्सर के पद पर नियुक्ति अपेक्षित अर्हता रखने वाले वर्तमान कर्मचारियों में से उपयुक्तता और योग्यता के अधीन रहते हुए, ज्येष्ठता के अनुसार पदोन्नति द्वारा की जायेगी और सहायक लेखाकार के पद पर नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी। वर्तमान कर्मचारीवर्ग में से अर्ह और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में, मुख्य लिपिक एवं लेखाकार, मुख्य लिपिक, कार्यालय अधीक्षक और वर्सर के पदों पर नियुक्ति समाचार पत्रों में रिक्ति को विज्ञापित करने के पश्चात् चयन के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

(4) कर्मचारियों की नियुक्ति शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन से की जायेगी। यदि अनुमोदन प्राधिकारी अनुमोदन का प्रस्ताव प्राप्त होने के दो मास के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को अनुमोदन न करने की सूचना न दे या ऐसे प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई सूचना न भेजे तो यह समझा जायेगा कि अनुमोदन प्राधिकारी ने नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है।

(5) स्थायी पदों पर नियुक्ति एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर की जायेगी। यदि अभ्यर्थी का कार्य संतोषजनक न पाया जाय तो परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिये बढाई जा सकती है परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक न होगी। परिवीक्षा की बढाई हुई अवधि वेतन वृद्धि के लिये मान्य नही होगी।

19.04— परिनियम 19.07 में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार किया जायेगा।

19.05— महाविद्यालय में नियोजन के लिये अभ्यर्थी का –

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का व्यक्ति, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका और केन्या, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (जिसका पहले तांगानिका और जंजीबार नाम था) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवजन किया हो, होना आवश्यक है :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह उप–पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले।

19.06– (1) किसी महाविद्यालय में नीचे विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता वही होगी जो प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लिखित है :–

(एक) लिपिक वर्ग –

नैत्यिक लिपिक, सहायक, मुख्य लिपिक एंव लेखाकार और मुख्य लिपिक के पद के लिए इण्टरमीडिएट या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा :

परन्तु मुख्य लिपिक एंव लेखाकार और मुख्य लिपिक की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि किसीं स्नातकोत्तर या उपाधि या इण्टरमीडिएट, महाविद्यालय में नैत्यिक लिपिक या सहायक के पद पर कार्य करने का कम से कम दस वर्ष की अवधि का अनुभव हो।

(दो) प्रयोगशाला सहायक –

प्रयोगशाला सहायक के पद के लिए, उन विषयों में जिनसे प्रयोगशाला का सम्बन्ध हो, इण्टरमीडिएट या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा, या हाईस्कूल या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा और सम्बद्ध विषय के प्रयोगशाला में प्रयोगशाला वेयरर के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो।

(तीन) कार्यालय अधीक्षक–

कार्यालय अधीक्षक के पद के लिये विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि और किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में या इसी प्रकार की किसी अन्य संस्था में मुख्य लिपिक या लेखाकार के रूप में कार्य करने का दस वर्ष का अनुभव।

(चार) सहायक लेखाकार–

विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की लेखाशास्त्र/लेखा परीक्षा के साथ वाणिज्य में स्नातक की उपाधि।

(पांच) वर्सर –

वर्सर के पद के लिये विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि और किसी उपाधि या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यालय अधीक्षक या लेखाकार के रूप में कार्य करने का कम से कम दस वर्ष का अनुभव।

(छः) चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी वर्ग –

चतुर्थ वर्ग के पदों के लिये किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा पांच उत्तीर्ण की हो:

परन्तु सफाईकार के पद के लिये किसी शैक्षिक अर्हता की अपेक्षा नहीं की जायेगी किन्तु ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जायेगा जो शिक्षित हो या कम से कम देवनागरी लिपि में हिन्दी पढ़ और लिख सकता हो।

(सात) अन्य पद–

पूर्ववर्ती खण्डों के अन्तर्गत न आने वाले किसी अन्य पद के लिये, ऐसी न्यूनतम अर्हता जैसी राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

(क) खण्ड (1) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी,–

(एक) तृतीय वर्ग की सेवाओं और पदों की आरक्षित रिक्तियों में किसी भूतपूर्व सैनिक की नियुक्ति के लिये न्यूनतम अर्हता जहां कहीं इस परिनियम में विहित अर्हता किसी विश्वविद्यालय की उपाधि हो, वहां हाईस्कूल या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी और जहां विहित अर्हता हाईस्कूल या उसके समकक्ष कोई अर्हता हो, वहां शिथिलता नहीं दी जायेगी :

(दो) चतुर्थ वर्ग की सेवाओं और पदों के लिये ऐसी सेवाओं और पदों की आरक्षित रिक्तियों में अन्यथा उपयुक्त समझे गये भूतपूर्व सैनिकों के लिये कोई शैक्षिक अर्हता अपेक्षित न होगी।

(2) ऐसा कोई कर्मचारी जिसके पास इस परिनियमावली के प्रारम्भ के पश्चात खण्ड (1) में विहित अर्हता न हो, पदोन्नति या स्थायी किये जाने के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह–उपर्युक्त अर्हतायें प्राप्त न कर ले :

परन्तु खण्ड (1) किसी बात का प्रभाव इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व की गयी पदोन्नति और स्थायीकरण पर नहीं पड़ेगा।

19.07– **(1)** किसी महाविद्यालय में, सीधी भर्ती द्वारा किसी कर्मचारी की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा राजकीय कर्मचारियों हेतु समय–समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार होगी :

परन्तु यह और कि परिनियम 19.16 में निर्दिष्ट कर्मचारी पर अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी :

(2) जिस वर्ष भर्ती की जाय उस वर्ष जुलाई के प्रथम दिनांक की आयु, खण्ड (1) के प्रयोजनार्थ आयु होगी।

(3) चतुर्थ वर्ग के किसी ऐसे कर्मचारी की स्थिति में, जिसने तीन वर्ष या इससे अधिक की निरन्तर सेवा की हो और जो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले नैत्यिक लिपिक के पद या उसके समकक्ष पद पर नियुक्ति के लिये विहित अर्हता रखता हो, अधिकतम आयु सीमा में करके 10 वर्ष तक शिथिलीकरण किया जा सकता है।

19.08– नियुक्ति प्राधिकारी का वह कर्त्तव्य होगा कि वह अपना समाधान कर ले कि सीधी भर्ती द्वारा नियोजन के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह महाविद्यालय में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो।

टिप्पणी–राज्य सरकार, संघ सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पदच्युत व्यक्ति पात्र नहीं समझे जायेंगे।

19.09– कोई व्यक्ति किसी महाविद्यालय में तब तक नियुक्त नही किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे।

19.10– कर्मचारी को वही वेतनमान और भत्ता दिया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया जाय।

स्पष्टीकरण–भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित किसी रिक्ति में नियुक्त कोई भूतपूर्व सैनिक केवल संघ की सशस्त्र सेना में अपनी पिछली सेवा के कारण कोई उच्च वेतन पाने का हकदार नहीं होगा।

19.11– (1) प्रत्येक कर्मचारी अपने कार्य और आचरण के संबंध में उच्चतम कोटि की सत्यनिष्ठा बनाये रखेगा **धारा 7**

(2) प्रत्येक कर्मचारी प्रबन्धतंत्र या प्राचार्य के आदेशों या निर्देशों का, जिसमें राज्य सरकार के या विश्वविद्यालय के आदेशों के कार्यान्वयन में जारी किये गये आदेश या निर्देश भी सम्मिलित हैं, अनुपालन करेगा।

(3) महाविद्यालय का प्राचार्य प्रत्येक कर्मचारी की चरित्र पंजी रखेगा। जिसमें उसके कार्य और आचरण के सम्बन्ध में गोपनीय रिपोर्ट प्रति वर्ष लिखी जायेगी। सम्बद्ध कर्मचारी को प्रतिकूल प्रविष्टि की सूचना यथाशीघ्र दी जायेगी जिससे कि वह अपना कार्य और आचरण तद्नुसार सुधार सके।

(4) प्रतिकूल प्रविष्टि से व्यथित कोई कर्मचारी प्रतिकूल प्रविष्टि को हटाने के लिए प्राचार्य के माध्यम से महाविद्यालय के प्रबन्धक को अभ्यावेदन कर सकता है। प्रतिकूल प्रविष्टि को निकालने के औचित्य के आधार पर, प्रतिकूल प्रविष्टि की शक्ति सम्बद्ध महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति में निहित होगी।

(5) प्रत्येक कर्मचारी की सेवा–पुस्तिका प्राचार्य के नियंत्रण में रखी जायेगी।

19.12– कोई कर्मचारी जो परिनियम 19.11 के खण्ड (1) और (2) में से किसी एक या दोनों उपबन्ध का पालन नहीं करता है अनुशासनिक कार्यवाही की भागी होगी।

19.13– (1) किसी कर्मचारी को निम्नलिखित किसी एक से अधिक कारण से सेवा से हटाया जा सकेगा–

(क) कर्त्तव्यों की घोर उपेक्षा;

(ख) दुराचरण;

(ग) अधीनता या अवज्ञा;

(घ) कर्त्तव्यों के पालन में शारीरिक या मानसिक दृष्टि से अनुपयुक्तता;

(ङ) सरकार या सम्बद्ध विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के विरूद्ध प्रतिकूल आचरण या कार्य–कलाप;

(च) नैतिक पतन समन्वित आरोप पर किसी विधि न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध।

(2) यदि कोई अस्थायी कर्मचारी सेवा से त्याग–पत्र देता है तो वह महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र को एक मास पहले इस आशय की लिखित नोटिस देगा अन्यथा उसे नोटिस के बदले में एक मास का वेतन महाविद्यालय के पास जमा करना होगा। उसी प्रकार, महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त करने का विनिश्चय करता है तो प्रबन्धतंत्र कर्मचारी को एक मास की नोटिस या उसके बदले में एक मास का वेतन देगा।

(3) किसी स्थायी कर्मचारी को सेवा से, पद समाप्त किये जाने के आधार पर, उसे तीन मास की लिखित नोटिस देने या उसके बदले में तीन मास का वेतन देने के पश्चात् मुक्त किया जा सकता है। किसी पद को निम्नलिखित एक अथवा उससे अधिक किसी आधार पर समाप्त किया जा सकता है–

(क) वित्तीय कठिनाई के कारण छटनी।

(ख) छात्रों की भर्ती में कमी,

(ग) उस विषय में, जिससे पद सम्बन्धित हो, अध्यापन–कार्य का बन्द किया जाना।

19.14— किसी कर्मचारी की अधिवर्षिता की आयु साठ वर्ष होगी।

19.15— (1) समान स्तर के सरकारी सेवकों पर प्रयोज्य छुट्टी सम्बन्धी नियम, आवश्यक परिवर्तन सहित कर्मचारी पर लागू होंगे।

(2) प्राचार्य को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सभी प्रकार के अवकाश तथा अन्य कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का प्राधिकार होगा।

(3) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों को आकस्मिक छुट्टी से भिन्न छुट्टी के लिए कर्मचारी के आवेदन–पत्र को प्राचार्य अपनी सिफारिश के साथ महाविद्यालय के प्रबन्धक को भेजेगा, जिसे छुट्टी स्वीकृति करने का प्राधिकार होगा।

(4) छुट्टी से सम्बन्धित समस्त अभिलेख प्राचार्य द्वारा रखे जायेंगे। (आकस्मिक छुट्टी से भिन्न) छुट्टी स्वीकृत किये जाने के आदेश की प्रतियां उस व्यक्ति को, जो उसके द्वारा कर्मचारी के वेतन का संवितरण करने के लिए प्राधिकृत हो, भेजेगा। प्राचार्य वेतन बिल में छुट्टी की अवधि और उसका प्रकार भी उल्लिखित करेगा।

19.16— राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान पाने वाले किसी एक महाविद्यालय का पूर्णकालिक कर्मचारी, जो किसी दूसरे महाविद्यालय में नियुक्त किया जाय, नियमित चयन के पश्चात्, उस वेतन से जो वह उस महाविद्यालय में पा रहा था, जिसमें वह पहले कार्य कर रहा था, कम वेतन पाने का हकदार नहीं होगा, यदि कर्मचारी–

(क) पूर्ववर्ती महाविद्यालय में अपने पद पर स्थायी था और ऐसा महाविद्यालय सहायता अनुदान सूची में था।

(ख) नये महाविद्यालय में सेवा के लिए पूर्ववर्ती महाविद्यालय के प्रबन्धक की अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो और पूर्ववर्ती महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र को उसे अमुक्त करने में कोई आपत्ति न हो।

(ग) पूर्ववर्ती महाविद्यालय मे प्रबन्ध में इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे कि ऐसी कोई असामान्य और प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं थी जिसमें कर्मचारी ने उस महाविद्यालय को छोडा।

(घ) पूर्ववर्ती महाविद्यालय से अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे जो सम्बद्ध वेतन संवितरण करने वाले प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रतिहस्ताक्षरित हो।

स्पष्टीकरण :–

(1) नये महाविद्यालय में नियुक्ति किये जाने पर, पूर्ववर्ती महाविद्यालय में की गयी सेवा की गणना ज्येष्ठता के लिये नहीं की जायेगी। नये महाविद्यालय में ज्येष्ठता की गणना नये महाविद्यालय नियुक्ति के दिनांक से की जायेगी और वार्षिक वेतन वृद्धि नये महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उस महाविद्यालय में एक वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् देय होगी।

(2) कर्मचारी नये महाविद्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिये की गयी यात्रा के लिए कोई यात्रा भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा। फिर भी, उसे निम्नलिखित दरों पर यात्रा अवधि अनुमन्य होगी :–

(क) रेल यात्रा से सम्बन्धित स्थानों के लिये प्रति 500 किलोमीटर पर एक दिन।

(ख) उन स्थानों के लिये जो रेल से सम्बन्धित नहीं है परन्तु बस से सम्बद्ध है प्रति 150 किलोमीटर पर एक दिन।

(ग) उन स्थानों के लिये जो न तो रेल से सम्बद्ध है और न बस से सम्बद्ध है प्रति 25 किलोमीटर पर एक दिन।

भाग 2

महाविद्यालय के मृत कर्मचारियों के आश्रित का सेवायोजन

19.17— यदि किसी स्थायी कर्मचारी या ऐसे कर्मचारी की जो कम से कम लगातार तीन वर्ष से किसी अस्थायी पद पर हो सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाय तो ऐसे मृत कर्मचारी के एक आश्रित को जो महाविद्यालय में किसी रिक्त शिक्षणेत्तर पद के लिए आवेदन–पत्र देता है और ऐसे पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखता हो, प्रबन्धतंत्र द्वारा निदेशक (उच्च शिक्षा) के पूर्वानुमोदन से, चयन की प्रक्रिया और अधिकतम आयु सीमा को शिथिल करके नियुक्त किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण– इस परिनियम के प्रयोजन के लिए –

(1) आश्रित का तात्पर्य कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित शासनादेशों में किये गये प्रावधान से है।

(2) कर्मचारी के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में नियोजित अध्यापक भी हैं।

अध्याय 20

प्रकीर्ण

20.01— विश्वविद्यालय अध्यादेशों में निर्धारित उपबन्धों के अनुसार छात्रवृतियां, अधिछात्रवृतियां (जिनके अन्तर्गत यात्रिक अधिछात्रवृतियां भी हैं) विद्यावृतियां, पदक तथा पारितोषिक संस्थित और प्रदान कर सकता है। धारा 7 (ठ)

20.02— विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के सभी निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा **परिशिष्ट 'ख'** में निर्धारित रीति से होगा।

20.03— धारा 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में बैठने की अनुमति दे सकता है परन्तु–

(क) ऐसा व्यक्ति अध्यादेशों में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करता हो; और

(ख) ऐसी परीक्षा ऐसे विषय या शिक्षा पाठ्यक्रम से सम्बन्धित न हो जिसमें व्यावहारिक परीक्षा पाठयक्रम का भाग हो।

20.04— परिनियम 20.03 का उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, पत्राचार पाठयक्रम पर लागू होगा।

20.05— इस परिनियमावली या विश्वविद्यालय के अध्यादेश में दी गई किसी बात के होते हुए भी–

(i) किसी शैक्षिक वर्ष में 31 अगस्त के पश्चात् कोई प्रवेश नहीं किया जायेगा;

(ii) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी परीक्षाएं 30 अप्रैल तक पूरी हो जायेंगी;

(iii) 15 जून तक परीक्षाफल घोषित कर दिये जायेंगे:

परन्तु विशेष परिस्थिति में कुलपति के अनुमोदन से इन तिथियों को परिवर्तित व विस्तारित किया जा सकता है।

20.06— किसी अभ्यर्थी को अपने परीक्षाफल में सुधार करने की दृष्टि से विश्वविद्यालय की अगली नियमित परीक्षा में, पूर्व स्नातक परीक्षा के किसी भाग के एक विषय में और बी.एड. परीक्षा के, या एल.एल.बी. के किसी एक वर्ष की परीक्षा के या स्नातकोत्तर परीक्षा के एक भाग के एक प्रश्नपत्र की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है।

अध्याय–21

अधिभार

21.01– जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस परिनियमावली में,–

(1) परीक्षक से स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तराखण्ड अभिप्रेत हैं।

(2) सरकार से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है।

(3) विश्वविद्यालय का अधिकारी से अधिनियम की धारा 8 के खण्ड (ख) से (च) तक के किसी भी खण्ड में उल्लिखित अधिकारी और परिनियम 2.01–क के अधीन इस रूप में घोषित अधिकारी अभिप्रेत है।

21.02– **(1)** किसी भी ऐसे मामले में जिसमें परीक्षक की राय को ही किसी अधिकारी की उपेक्षा या अवधार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के किसी धन या संपत्ति की हानि, अपव्यय या दुरूपयोग जिनके अन्तर्गत दुर्विनियोग या अनुचित व्यय भी है, हुआ है तो वह अधिकारी से लिखित रूप में स्पष्टीकरण देने के लिये कह सकता है कि क्यों न ऐसे अधिकारी पर ऐसी धनराशि की हानि, धन के अपव्यय या दुरूपयोग के लिए या ऐसी धनराशि संपत्ति की हानि, अपव्यय या दुरूपयोग के बराबर हो, अधिभार लगाया जाय और ऐसा स्पष्टीकरण संबद्ध व्यक्ति और ऐसी अध्यपेक्षा के संसूचित किये जाने के दिनांक से दो मास से अनाधिक अवधि के भीतर किया जायेगा :

परन्तु कुलपति से भिन्न किसी भी अधिकारी से स्पष्टीकरण कुलपति के माध्यम से मांगा जायेगा।

टिप्पणी–(1) परीक्षक द्वारा या प्रयोजन के लिये उसके द्वारा नियुक्ति व्यक्ति द्वारा प्रारम्भिक जांच के लिये अपेक्षिक कोई सूचना और समस्त सम्बन्धित पत्रादि और अभिलेख अधिकारी द्वारा (या यदि ऐसी सूचना पत्रादि और अभिलेख उक्त अधिकारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा) किसी भी स्थिति में दो सप्ताह से अनाधिक युक्ति युक्त समय के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा और दिखाया जायेगा।

(2) खण्ड (1) में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परीक्षक निम्नलिखित मामलों में स्पष्टीकरण मांग सकता है :–

(क) जहां व्यय इस परिनियमावली के या अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये अध्यादेशों या विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया हो :

(ख) जहां हानि पर्याप्त अभिलिखित कारणों के बिना कोई उच्च टेन्डर स्वीकार करने से हुई हो :

(ग) जहां विश्विद्यालय को देय किसी धनराशि का परिद्वार इस परिनियमावली के या अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये अध्यादेशों या विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया हो।

(घ) जहां विश्विद्यालय को अपने देयों को वसूल करने में उपेक्षा के कारण हानि हो :

(ङ) जहां विश्विद्यालय की निधि या सम्पत्ति को ऐसे धन या सम्पत्ति को अभिरक्षा के लिये युक्तियुक्त सावधानी न बरतने के कारण हानि हुई हो :

(3) उस अधिकारी को जिससे स्पष्टीकरण मांगा गया हो, लिखित अध्यपेक्षा पर विश्वविद्यालय उसे सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधायें देगा। परीक्षक सम्बद्ध अधिकारी के आवेदन–पत्र पर, उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए समय को युक्तियुक्त अवधि तक बढा सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि आरोपित/अधिकारी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने प्रयोजन के लिए सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण अपने नियंत्रण से नहीं कर सका।

स्पष्टीकरण :–अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों या कोई नियुक्ति करने को अवचार करना समझा जायेगा और ऐसी अनियमित नियुक्ति के कारण सम्बद्ध व्यक्ति को वेतन या अन्य देयों का भुगतान विश्वविद्यालय के धन की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग समझा जायेगा।

21.03– विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात् और स्पष्टीकरण पर, यदि समय के भीतर प्राप्त हों, विचार करने पश्चात् परिक्षक अधिकारी पर सम्पूर्ण धनराशि या उसके किसी भाग के लिए, जिसके लिए ऐसा अधिकारी उसकी राय में उत्तरदायी हो अधिभार लगा सकता है:

परन्तु यदि दो या अधिक अधिकारियों की उपेक्षा या अवचार के परिणामस्वरूप हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग हो तो प्रत्येक ऐसा अधिकारी संयुक्ततः और पृथक्तः देनदार होगा :

परन्तु यह भी कि कोई अधिकारी किसी ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग के दिनांक से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या उसके ऐसा अधिकारी न रह जाने के दिनांक से छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इसमें जो भी पश्चात्वर्ती हो, किसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग के लिए उत्तरदायी न होगा।

21.04– परीक्षक द्वारा दिये गये अधिभार के आदेश से व्यथित अधिकारी, उस मण्डल के आयुक्त को जिसमें विश्वविद्यालय स्थित हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है। आयुक्त परीक्षक द्वारा दिये गये आदेश को पुष्ट, विखण्डित या परिवर्तित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे। इस प्रकार दिया गया आदेश अन्तिम होगा और इसके विरूद्ध कोई अपील न हो सकेगी।

21.05– (1) अधिकारी जिस पर अधिभार लगाया गया हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर या ऐसे अग्रेतर समय के भीतर जो उक्त दिनांक से एक वर्ष से अधिक न हो, जैसा परीक्षक द्वारा अनुमति दी जाय, अधिभार की धनराशि का भुगतान करेगा :

परन्तु यदि परीक्षक द्वारा दिये गये अधिभार के आदेश के विरूद्ध परिनियम 21.04 के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गयी हो तो अपील प्रस्तुत की गयी हो तो अपील प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से धनराशि की वसूली के लिए समस्त कार्यवाहियां आयुक्त द्वारा रोकी जा सकती हैं जब तक कि अपील का अन्तिम रूप से विनिश्चय न हो जाय।

(2) यदि अधिभार की धनराशि का भुगतान खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो वह भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किये जाने योग्य होगी।

21.06– जहां अधिभार के किसी आदेश पर आपत्ति करने के लिये किसी न्यायालय में कोई वाद संस्थित किया जाय और ऐसे वाद में परीक्षक या राज्य सरकार प्रतिवादी हो, वहां वाद का प्रतिवाद करने में उपगत समस्त खर्चे का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा और विश्वविद्यालय का यह कर्त्तव्य होगा कि वह भुगतान बिना किसी विलम्ब के करे।

परिशिष्ट ख
(परिनियम 4.12 देखिये)
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन
भाग 1
सामान्य

1. जब तक कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किसी निर्वाचन के प्रति निर्देश से विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो :

(i) अभ्यर्थी का तात्पर्य निर्वाचन लड़ने के लिये सम्यक् रूप से अर्ह ऐसे व्यक्ति से है जो सम्यक् रूप से नाम–निर्दिष्ट किया गया हो;

(ii) अनवरत अभ्यर्थी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो न तो निर्वाचित हुआ हो और न किसी समय विशेष पर मतदान से अपराजित हुआ हो;

(iii) निर्वाचन का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निर्वाचन में अपना मत देने के लिए सम्यक् रूप से अर्ह हो;

(iv) विशेष पत्र का तात्पर्य ऐसे मत–पत्र से है जिस पर किसी अनवरत अभ्यर्थी के लिए कोई अग्रेतर अधिमान अभिलिखित न हो, परन्तु कोई पत्र तब भी निःशेषित समझा जायेगा, यदि–

(क) उसमें दो अथवा अधिक अभ्यर्थियों के नाम, चाहे वे अनवरत हों या न हों, समान अंक से नियुक्त हो और उनका स्थान अधिमान क्रम में अगला हो; या

(ख) अधिमान–क्रम में अगले अभ्यर्थी का नाम, चाहे वह अनवरत हों या न हो–

(1) ऐसे अंक से चिन्हित हो जो मतपत्र में किसी अन्य अंक के पश्चात् क्रमानुसार न हो, या

(2) दो अथवा अधिक अंको से चिन्हित हो।

(v) प्रथम अधिमान मत का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में मत से है जिनके नाम के सामने मतपत्र में अंक 1 लिखा हो, द्वितीय अधिमान–मत का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में मत से है जिसके नाम के सामने अंक 2 लिखा हो, तृतीय अधिमान मत का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में मत से है जिसके सामने अंक 3 लिखा हो और इसी प्रकार क्रम में आगे भी लिखा हो;

(vi) किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में, मूल मत का तात्पर्य ऐसे मतपत्र द्वारा प्राप्त मत है जिस पर उस अभ्यर्थी के लिये प्रथम अधिमान अभिलिखित हो;

(vii) कोटा का तात्पर्य मतों के उस न्यूनतम मूल्यांक से है जो किसी अभ्यर्थी के निर्वाचित होने के लिए पर्याप्त हो;

(viii) आधिक्य का तात्पर्य उस संख्या से है जितने से किसी अभ्यर्थी के मूल और सवंमित मतों का मूल्यांकन कोटा से अधिक हो;

(ix) किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में, सवंमित मत का तात्पर्य ऐसे मतपत्र द्वारा प्राप्त मत से है जिस पर उस अभ्यर्थी के लिये द्वितीय अथवा उसके बाद वाला कोई अधिमान लिखा हो और जिसका मूल्यांक या मूल्यांक का भाग उस अभ्यर्थी के पक्ष में जोडा जाय;

(x) अनिःशेष का तात्पर्य ऐसे मतपत्र से है जिस पर किसी अनवरत अभ्यर्थी के लिये अग्रतल अधिमान अधिलिखित हो।

कुलसचिव

2. कुलसचिव रिटर्निंग आफिसर होगा जो सभी निर्वाचनों के संचालन के लिये उत्तरदायी होगा।

कुलपति

3.(i) प्रत्येक निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों के लिये परिनियम के उपबन्धों के अनुरूप दिनांक नियत करेगा तथा उसे आपातिक स्थिति में इन दिनांकों में परिवर्तन करने की, सिवाय उस दशा में जब ऐसे परिवर्तन से परिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन होता हो, शक्ति होगी।

(ii) सन्देह की दशा में, किसी अभिलिखित मत की वैद्यता अथवा अवैद्यता का विनिश्चय करेगा।

4. सभा के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का निर्वाचन (तथा अन्य ऐसे निर्वाचन जिनके विषय में कुलपति सुविधा तथा मिततव्ययिता के कारण निर्देश दे) डाक द्वारा मतपत्र से किया जायेगा। अन्य निर्वाचित सम्बन्धित प्राधिकारियों अथवा निकायों के अधिवेशन में किये जायेंगें।

5. मतपत्र निम्नलिखित प्रपत्र में होगा –

विश्वविद्यालय का नाम

.....निर्वाचन–क्षेत्र द्वारा निर्वाचन–

अभ्यर्थियों के नाम तथा अधिमान–क्रम 1,2,3 इत्यादि अंकों द्वारा (रिक्त स्थान में) इंगित किये जायेंगे।

.....

.....

.....

6. निर्वाचन अपना मत देने में–

(i) अपने मतपत्र पर अंक 1 उस अभ्यर्थी के नाम के सामने लिखेगा जिसको कि वह अपना मत देय और

(ii) इसके अतिरिक्त जितने अन्य अभ्यर्थियों को वह चाहे अपनी पसन्द या अधिमानता को उस अभ्यर्थियों के नाम के सामने क्रमशः 2,3,4, तथा इसी प्रकार अविछिन्न अंकों द्वारा लिखकर व्यक्त कर सकता है।

7. वह मत पत्र अविधिमान्य होगा।

(i) जिस पर अंक 1 न लिखा हो; या

(ii) जिस पर से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के आगे अंक 1 लिखा हो; या

(iii) जिस पर एक ही अभ्यर्थियों के नाम के आगे अंक 1 तथा कोई अंक लिखा हो; या

(iv) जिस पर अंक 1 ऐसा लिखा हो जिससे यह सन्देह हो कि वह किस अभ्यर्थी के लिए अभिप्रेरित है; या

(v) मतपत्र द्वारा निर्वाचन की दशा में जिस पर कोई ऐसा चिह्न बना हो जिससे कि मतदाता बाद में पहिचाना जा सके; या

(vi) जिस पर मतदाता के अधिमान को व्यक्त करने वाला अंक मिटाया हो या उसमें परिवर्तन किया गया हो; या

(vii) जो उक्त प्रयोजन के लिये व्यवस्थित प्रपत्र में न हो।

भाग 2

डाक मतपत्र द्वारा संचालित निर्वाचन

8. डाक मतपत्र द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां होने के कम से कम तीन मास पहले कुलसचिव प्रत्येक अर्ह मतदाता के पास उनके रजिस्ट्री कृत पते पर रजिस्ट्री कृत डाक से नोटिस भिजवायेगा, जिसमें उससे नोटिस भेजे जाने के पन्द्रह दिन के भीतर नाम–निर्देशन–पत्र प्रस्तुत करने को कहा जायेगा। नोटिस के साथ निर्वाचकों की एक सूची होगी।

9. कुलसचिव को मतदाताओं की सूची की प्रत्येक ऐसी अशुद्धि तथा लोप को, जो उसकी जानकारी में लाया जाय, ठीक करने की शक्ति होगी। यदि किसी व्यक्ति का नाम सूची से निकाल दिया जाय तो उसके मत की गणना नहीं की जायेगी, भले ही उसे मतपत्र मिल गया हो और उसने अपना मत दे दिया हो, और एक प्रमाण–पत्र कि ऐसा किया गया है, कुलसचिव तथा निर्वाचन तैयार करने में उससे सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा, यदि कोई हों, अभिलिखित किया जायेगा।

10. प्रत्येक निर्वाचन को भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनाधिक अभ्यर्थियों का नाम–निर्देशन करने का विकल्प होगा।

11. प्रत्येक नाम निर्देशन–पत्र पर प्रस्तावक द्वारा जो स्वयं निर्वाचक होगा, हस्ताक्षर किया जायेगा,और उसके साथ निर्वाचन के लिये नाम–निर्दिष्ट अभ्यर्थी की सहमति होगी जो या तो लिखित होगी या नाम–निर्देशित पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा की गई होगी। उसमें नाम–निर्देशन के समर्थकों के रूप में अन्य निर्वाचकों के हस्ताक्षर हो सकते हैं। किन्तु कोई भी अभ्यर्थी किसी ऐसे नाम–निर्देशन–पत्र पर, जिसमें उसका नाम अभ्यर्थी के रूप में लिखा हो, प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर नहीं करेगा।

12. नाम–निर्देशन–पत्र नोटिस में उल्लिखित समय के भीतर कुलसचिव को बन्द लिफाफे में या तो स्वयं प्रस्तावक या किसी ऐसे निर्वाचक द्वारा दिया जायेगा जो नाम–निर्देशन का समर्थन करता हो या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जायेगा।

13. कोई अभ्यर्थी निर्वाचन से अपना नाम वापस लेने की लिखित सूचना,जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और जो किसी वैतनिक मजिस्ट्रेट, राजपत्रित अधिकारी या विश्वविद्यालय से सहायुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अनुप्रमाणित होगा, कुलसचिव को इस प्रकार भेजकर कि वह नाम–निर्देशन की प्राप्ति के लिये अन्तिम दिन के रूप में निश्चित दिन तथा समय के पूर्व पहुंच जाय, निर्वाचन से अपना नाम वापस ले सकता है। अनूप्रमाणन पर सम्बन्धित अधिकारी की मुहर लगी होनी चाहिए।

14. कुलसचिव नाम–निर्देशन–पत्रों के लिफाफों को खोलने का स्थान, दिनांक और समय अधिसूचित करेगा। ऐसे अभ्यर्थी या निर्वाचक जो उपस्थित होना चाहे, उस अवसर पर उपस्थित हो सकते हैं।

15. कुलसचिव विधिमान्य नाम–निर्देशनों की एक सूची तैयार करेगा। यदि कोई नाम निर्देशन पत्र कुलसचिव द्वारा अस्वीकृत किया जाय, तो वह अस्वीकृत करने के कारणों की सूचना अभ्यर्थी को दो दिन के भीतर देगा। यह अभ्यर्थी पर निर्भर होगा कि वह ऐसी संसूचना की प्राप्ति के तीन दिन के भी आवेदन–पत्र भेजे कि मामला कुलपति को निर्दिष्ट किया जाय। तत्पश्चात् वह मामला कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा। जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

16. यदि सम्यक् रूप से नाम–निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक न हो तो कुलसचिव उन्हें निर्वाचित घोषित कर देगा। यदि कोई स्थान भरने से रह जाय तो उसे भरने के लिये पूर्वोक्त रीति से नया निर्वाचन किया जायेगा और ऐसा निर्वाचन सामान्य निर्वाचन का भाग समझा जायेगा।

17. यदि सम्यक् रूप से नाम–निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या, भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक हो तो निर्वाचन किया जायेगा।

18. कुलसचिव संवीक्षा पूरी होने के 15 दिन के भीतर प्रत्येक निर्वाचक को रजिस्ट्रीकृत डाक से उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर एक मतपत्र के साथ एक लिफाफा भेजेगा जिस पर केवल निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखा होगा और एक बड़ा लिफाफा भी भेजेगा जिसके बांई ओर निर्वाचन नामावली में निर्वाचकों की संख्या, निर्वाचन क्षेत्र का नाम और दाहिनी ओर विश्वविद्यालय के कुलसचिव का पता लिखा अथवा छपा होगा। कुलसचिव अभिज्ञान का एक प्रमाण पत्र भी संलग्न करेगा।

19. (i) निर्वाचन अभिज्ञान के प्रमाण–पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और उसे निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी से सम्यक् रूप में अनुप्रमाणित करायेगा :–

(क) तत्समय भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलसचिव;

(ख) किसी ऐसे विश्वविद्यालय से सहायुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय का प्राचार्य अथवा उस विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग का अध्यक्ष;

(ग) सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी।

(ii) अनुप्रमाणक अधिकारी अपने पूर्ण हस्ताक्षर और अपनी मुहर से अनुप्रमाणित करेगा।

(iii) निर्वाचन मतपत्र को, बिना अपने नाम अथवा हस्ताक्षर के, सम्यक् रूप से भरकर छोटे लिफाफे में बन्द करेगा, और तब उसे सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित अभिज्ञान के प्रमाण–पत्र के साथ बड़े लिफाफे में बन्द कर देगा और उसे सम्यक् रूप से मुहर बन्द करके या तो रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कुलसचिव के पास भेज देगा या उन्हें स्वयं देगा।

20. मतपत्र कुलसचिव के पास निश्चित समय और दिनांक तक अवश्य पहुंच जाना चाहिये। यदि मतपत्र नियत समय और दिनांक के पश्चात् प्राप्त हो तो वह उसके द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

21. यदि दो या उससे अधिक मतपत्र एक ही लिफाफे में भेजे जायं, तो उनकी गणना नहीं की जायेगी।

22. कोई मतदाता जिसे अपना मतपत्र तथा अन्य सम्बन्धित पत्रादि प्राप्त न हुए हों अथवा जिससे वे खो गये हों अथवा जिससे पत्रादि कुलसचिव को वापस किये जाने के पूर्व विकृत हो गये हों, इस आशय का स्वहस्ताक्षरित घोषणापत्र कुलसचिव को भेजकर उनसे प्राप्त न हुये, खो गये अथवा विकृत पत्रादि के स्थान पर, पत्रादि की दूसरी प्रति भेजने का अनुरोध कर सकता है। कुलसचिव, प्राप्त न हुये, खो गये या विकृत पत्रादि के स्थान पर यदि उसका समाधान हो जाय, द्वितीय प्रति अंकित करके, दूसरी प्रति जारी कर सकता है।

23. कुलसचिव मतपत्रों को उनकी समीक्षा के लिए निश्चित दिनांक और समय तक मुहरबन्द तथा बिना खोले सुरक्षित अभिरक्षा कक्ष में रखेगा।

24. संवीक्षा के दिनांक, समय तथा स्थान की सम्यक् सूचना कुलसचिव द्वारा सभी अभ्यर्थियों को दी जायेगी जिन्हें समीक्षा के समय उपस्थित होने का अधिकार होगा:

परन्तु किसी अभ्यर्थी को किसी मतपत्र का निरीक्षण करने की मांग करने का हक न होगा।

25. कुलसचिव को, यदि आवश्यक हो, ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा सहायता दी जायेगी जिन्हें कुलपति संमीक्षा कार्य में सहायता देने के लिये नियुक्त करे।

26. नियत दिनांक, समय तथा स्थान पर कुलसचिव मतपत्रों के लिफाफे खोलेगा तथा उनकी समीक्षा करेगा और जो विधिमान्य न हों उन्हें अलग कर देगा।

27. विधिमान्य मतपत्रों को छांटकर उनकी पार्सल बनायी जायेगी। एक पार्सल में वे समस्त मतपत्र होंगे जिसमें किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए प्रथम अधिमान अभिलिखित हो।

28. इस परिनियम द्वारा विहित प्रक्रिया को सुगम बनाने के प्रयोजन से प्रत्येक मतपत्र का मूल्यांकन एक सौ समझा जायेगा।

29. इस परिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये कुलसचिव–

(i) सभी भिन्न की उपेक्षा करेगा;

(ii) निर्वाचित हो चुके अथवा मतदान से अपवर्जित अभ्यर्थियों के लिए अभिलिखित सभी अधिमानों पर ध्यान न देगा।

30. कुलसचिव तब समस्त पार्सलों के मतपत्रों के मूल्यांकन का योग निकालेगा। उस योग को ऐसी संख्या से भाग देगा जो कि भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से एक अधिक हो तथा भागफल में एक जोड़ेगा। इस प्रकार प्राप्त संख्या कोटा होगी।

31. यदि किसी समय उतनी संख्या में अभ्यर्थी कोटा प्राप्त कर लें जितने कि निर्वाचित होते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को निर्वाचित समझा जायेगा और आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

32. (i) प्रत्येक ऐसा अभ्यर्थी जिसके पार्सल का मूल्यांक प्रथम अधिमान गिनने पर कोटा के बराबर अथवा उससे अधिक हो, निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

(ii) यदि किसी ऐसे पार्सल में मतपत्रों का मूल्यांक कोटा के बराबर हो तो वे मतपत्र अन्तिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिये जायेंगे।

(iii) यदि किसी ऐसे पार्सल में मतपत्रों का मूल्यांक कोटा से अधिक हो तो आधिक्य उन अनवरत अभ्यर्थियों को इस परिनियम में आगे दी गई रीति से संक्रमित कर दिया जायेगा जो कि मतपत्रों में निर्वाचक के अधिमानक्रम में निकटतम अनुगामी के रूप से इंगित हों।

33. (i) यदि उपर्युक्त परिनियम द्वारा विहित किसी प्रयोग के फलस्वरूप जब कभी किसी अभ्यर्थी को कुछ आधिक्य प्राप्त हो तो वह आधित्य इस परिनियम के उपबन्धों के अनुसार संक्रमित किया जायेगा।

(ii) यदि एक से अधिक अभ्यर्थी को आधिक्य प्राप्त हो तो अधिकतम आधिक्य पहले बरता जायेगा तथा परिमाण के न्यूनता–क्रम के अनुसार दूसरों से बरता जायेगा, परन्तु मतों की प्रथम गणना में उद्भूत प्रत्येक आधिक्य दूसरी गणना में उद्भूत आधिक्य से पहले बरता जायेगा, और यही क्रम आगे भी चलेगा।

(iii) यदि दो अथवा उससे अधिक आधिक्य बराबर हों तो कुलसचिव उपर्युक्त उपखण्ड (ii) में विहित शर्तों के अनुसार यह विनिश्चय करेगा कि किसके सम्बन्ध में पहले बरता जाय।

(iv) (क) यदि किसी अभ्यर्थी का संक्रमित किया जाने वाला आधिक्य केवल मूलमतों से उद्भूत हों, तो कुलसचिव उस अभ्यर्थी के, जिसका कि आधिक्य संक्रमित किया जाने वाला हो, पार्सल के सब मतपत्रों को जांच करेगा और अनिःशेष पत्रों की उनमें अभिलिखित निकटतम अनुगामी अधिमानों के अनुसार उप–पार्सलों में विभाजित करेगा। वह निःशेष पत्रों का एक भी एक पृथक् उप पार्सल बनायेगा।

(ख) वह प्रत्येक उप पार्सल के मतपत्रों का तथा अनिःशेष मत पत्रों का मूल्यांक अभिनिश्चित करेगा।

(ग) यदि अनिःशेष मतपत्रों का मूल्यांक आधिक्य के बराबर अथवा उससे कम हो तो वह सब अनिःशेष मतपत्रों को उस मूल्यांक पर, जिस पर कि वे उस अभ्यर्थी को प्राप्त हुए थे, जिसका आधिक्य संक्रमित किया जा रहा हो संक्रमित करेगा।

(घ) यदि अनिःशेष पत्रों का मूल्यांक आधिक्य से अधिक हो तो वह अनिःशेष पत्रों के उप पार्सलों का संक्रमण करेगा और वह मूल्यांक जिस पर प्रत्येक मतपत्र संक्रमित किया जायेगा, आधिक्य को अनिःशेष पत्रों की कुल संख्या से विभाजित करके अभिनिश्चय किया जायेगा।

(v) यदि किसी अभ्यर्थी का संक्रमित किया जाने वाला आधिक्य संक्रमित तथा मूलमतों से उद्भूत हुआ तो कुलसचिव अभ्यर्थी की सबसे अन्त में संक्रमित उप पार्सल के समस्त मतपत्रों की पुनः जांच करेगा तथा अनिःशेष पत्रों को उन पर अभिलिखित अनुगामी अधिमानों के अनुसार उप पार्सलों में विभाजित करेगा। तदुपरांत वह उप पार्सलों से उसी रीति से बरतेगा जैसी कि पूर्वगामी अन्तिम उपखण्ड में निर्दिष्ट उप पार्सलों के सम्बन्ध में व्यवस्थित है।

(vi) प्रत्येक अभ्यर्थी को संक्रामित मतपत्र ऐसे अभ्यर्थी के पहले के ही मतपत्रों में उप पार्सल के रुप में मिला दिये जायेंगे।

(vii) निर्वाचित अभ्यर्थी के पार्सल अथवा उप पार्सल के वे मतपत्र जो इस खण्ड के अधीन सवंमित न किये गये हों, अन्तिम रुप से बरते गये के रुप में अलग रखे जायेंगे।

34. (i) यदि उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार सब आधिक्यों के संक्रामित कर दिये जाने के पश्चात् अपेक्षित संख्या से कम अभ्यर्थी निर्वाचित हुये हों तो कुलसचिव मतदान के निम्नतम अभ्यर्थी में उन अनुगामी अधिमानों के अनुसार वितरित कर देगा जो उन पर अभिलिखित हों। कोई निःशेष पत्र अन्तिम रुप से बरते गये के रुप में अलग रखा जायेगा।

(ii) उन पत्रों को जिनमें अपवर्जित अभ्यर्थी का मूलमत अन्तर्विष्ट हो, सर्वप्रथम किया जायेगा, प्रत्येक मतपत्र का संक्रामण मूल्यांक एक सौ होगा।

(iii) फिर उन पत्रों को, जिनमें किसी अपवर्जित अभ्यर्थी के सक्रामित मत हों, संक्रामण के उसी क्रम में सवंमित किया जायेगा जिस क्रम में और जिस मूल्यांक पर उसे प्राप्त हुये हैं।

(iv) ऐसा प्रत्येक संक्रमण पृथक संक्रमण समझा जायेगा।

(v) मतदान में एक के बाद दूसरे निम्नतम अभ्यर्थियों के अपवर्जन पर इस खण्ड द्वारा निर्देशित प्रक्रिया तब तक दोहराई जायेगी जब तक कि अन्तिम रिक्ति की पूर्ति किसी अभ्यर्थी के कोटा प्राप्त कर लेने पर निर्वाचन द्वारा अथवा आगे के उपबन्धों के अनुसार न हों जाय।

35. यदि मतपत्रों के संक्रमण के फलस्वरुप अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों का मूल्यांक कोटा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाय तो संक्रमण की कार्यवाही पूरी की जायेगी, किन्तु अग्रसर कोई मतपत्रो उसमें सवंमित नहीं किया जायेगा।

36. (i) यदि उक्त खण्ड के अधीन किसी संक्रमण के पूरा होने के पश्चात् किसी अभ्यर्थी के मतों का मूल्यांक कोटा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाय तो उसे निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

(ii) यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी के मतों का मूल्यांक कोटा के बराबर हो जाय तो सभी मतपत्र, जिन पर ऐसे मत अभिलिखित हों, अन्तिम रुप से बरते गये के रुप में अलगा रख दिये जायेंगे।

(iii) यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी के मतपत्रों का मूल्यांक कोटा से अधिक हो जाय तो तदुपरान्त किसी अन्य अभ्यर्थी को अपवर्जित करने के पूर्व उसका आधिक्य एतद्पूर्व व्यवस्थित रीति से वितरित कर दिया जायेगा।

37. (i) जब अनवरत अभ्यर्थियों की संख्या घटकर अपूर्त रिक्त स्थानों की संख्या के बराबर रह जाये, तो अनवरत अभ्यर्थियों को निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

(ii) जब केवल एक रिक्त स्थान अपूर्त रह जाये और किसी अनवरत अभ्यर्थी के मतपत्रों का मूल्यांक अन्य अनवरत अभ्यर्थियों के सभी मूल्यांक के पूर्ण योग तथा असंक्रमित आधिक्य से अधिक हो जाय तो वह अभ्यर्थी निर्वाचित किया जायेगा।

(iii) जब केवल एक ही रिक्त अपूर्त रह जाये और केवल दो अनवरत अभ्यर्थी हो और उन दोनों अभ्यर्थियों में से प्रत्येक में मतों का मूल्यांक एक बराबर हो और संक्रामण के योग्य कोई आधिक्य न रह जाय तो अपने खण्ड के अधीन एक अभ्यर्थी को अपवर्जित तथा दूसरे को निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

38. जब कभी एक से अधिक आधिक्य वितरण के लिये हो, और दो या उससे अधिक आधिक्य बराबर हों अथवा यदि किसी समय किसी अभ्यर्थी को अपवर्जित करना आवश्यक करना आवश्यक हो जाय और दो या उससे अधिक अभ्यर्थी मतदान में निम्नतम हों और उनके मतपत्रों का मूल्यांक बराबर हों तो प्रत्येक अभ्यर्थी के मूल मतों पर ध्यान दिया जायेगा, और जिस अभ्यर्थी के सबसे कम मूल मत हों, तो यथास्थिति, उसका आधिक्य पहले वितरित किया जायेगा अथवा उसको पहले अपवर्जित किया जायेगा। यदि उनके मूल मतपत्रों का मूल्यांक बराबर हो तो कुलसचिव पर्ची डालकर यह विनिश्चय करेगा कि किस अभ्यर्थी का आधिक्य वितरित किया जाय अथवा किसको अपवर्जित किया जाय।

39. पुनर्गणना–यदि कुलसचिव पूर्वतन गणना की शुद्धता के विषय में सतुष्ट न हो तो वह या तो स्वतः या किसी अभ्यर्थी के अनुरोध पर मतों की पुनर्गणना एक या उससे अधिक बार करा सकता है।

परन्तु यहां दी गयी किसी बात से कुलसचिव के लिये यह बाध्यकर नहीं कि वह उन्हीं मतों की एक से अधिक बार पुनर्गणना कराये।

40. समीक्षा पूरी हो जाने के पश्चात् कुलसचिव निर्वाचन परिणाम की रिपोर्ट कुलपति को तुरन्त देगा।

41. कुलसचिव नाम–निर्देशन पत्र तथा मत पत्रों को मुहरबन्द पैकेट में रखेगा, जिन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखा जायेगा।

भाग 3
अधिवेशनों में निर्वाचनों का किया जाना

42. विश्वविद्यालय प्राधिकारी या निकाय के किसी अधिवेशन में आयोजित किसी निर्वाचन की स्थिति में दावा, तथा आपत्तियां आमंत्रित करने के प्रयोजन से पहले से निर्वाचक नामावली को प्रकाशित करना अथवा नाम–निर्देशन आमंत्रित करना आवश्यक नहीं होगा। सम्यक रुप से बुलाये गये अधिवेशन में सम्बद्ध प्राधिकारी या निकाय के उपस्थित सदस्यगण निर्वाचन में भाग लेंगे। निर्वाचन के लिये नाम अग्रिम रुप से अथवा अधिवेशन में प्रस्तावित किये तथा वापस लिये जा सकते है। मतदाताओं को दिये गये मतपत्रों में वो नाम होंगे जिनकी सूचना छपने के लिये ठीक समय पर प्राप्त हो गई हो तथा उसमें अन्य नाम जिनके अन्तर्गत अधिवेशन में प्रस्तावित नाम भी हैं, बढ़ाने के लिये रिक्त स्थान होगा। कुलसचिव प्रत्येक सदस्य को ऐसे अधिवेशन का समय, दिनांक और स्थान का उल्लेख होगा। सूचना की अवधि कुलपति द्वारा निश्चित की जायेगी।

परिशिष्ट–ग

(परिनियम 15.01 देखिये)

विश्वविद्यालय के अध्यापक– वर्ग के सदस्यों के साथ करार का प्रपत्र

यह करार आज दिनांक.....20.....को श्री/श्रीमती/कुमारी..... प्रथम पक्ष तथा श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय कहा गया है) दूसरे पक्ष के माध्य किया गयाः एतद् द्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है :–

1. विश्वविद्यालय एतद् द्वारा प्रथम पक्ष के पक्षकार श्री/श्रीमती /कुमारी..... .....को दिनांक .....से जब प्रथम पक्ष का पक्षकार जिसे आगे अध्यापक एतद् द्वारा नियुक्ति स्वीकार करता है और विश्वविद्यालय के ऐसे कार्यो में भाग लेने तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करने का बचन देता है जिनकी उससे अपेक्षा की जाय, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय की सम्पत्ति या निधियों का प्रबन्ध और संरक्षण, शिक्षण का संगठन, औपचारिक या अनौपचारिक अध्यापन और छात्रों का परीक्षण, अनुशासन बनाये रखना और किसी पाठचर्या या नैवासिक कार्यकलाप के सम्बन्ध में छात्र–कल्याण की प्रोन्नति और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य पाठचर्यातिरिक्त कर्त्तव्यों का पालन करना भी है जो उसे सौंपे जायें, तथा ऐसे अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करता है जिनके अधीन वह विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा तत्समय रखा जाय और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यापकों की आचरण संहिता का, जैसा कि समय–समय पर उसे संशोधित किया जाय, पालन करेगा और उसके अनुरुप चलेगा।

परन्तु अध्यापक, प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा और कार्यपरिषद् स्वविवेकानुसार परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

2. अध्यापक विश्वद्यिालय के परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवानिवृत्त होगा।

3. अध्यापक के पद का , जिस पर वह नियुक्त किया गया है, वेतनमान..... होंगा। अध्यापक को उस दिनांक से जब से वह अपने उक्त कर्त्तव्यों का भार ग्रहण करता है, उपयुक्त वेतनमान में.....रुपया प्रतिमास की दर से वेतन दिया और वह, जब तक कि परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी नहीं जाती है, अनुवर्ती प्रक्रमों पर वेतन प्राप्त करेगा।

परन्तु जहां समयमान में कोई दक्षता रोक विहित है वहां दक्षता रोक के ऊपर अगली वेतन वृद्धि अध्यापक को वेतन–वृद्धि रोकने के लिये सशक्त प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं दी जायेगी।

4. अध्यापक विश्वविद्यालय के किसी ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के, जिसकी प्राधिकारिता के अधीन वह, जब यह करार प्रवृत्त हो, उक्त अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किन्ही परिनियमों के अधीन हो, विधिपूर्ण निर्देशों का पालन करेगा और अपनी योग्यता से उन्हें कार्यान्वित करेगा।

5. अध्यापक एतदद्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यापकों की आचरण संहिता का जैसा कि समय–समय पर उसे संशोधित किया जाय, पालन करने और उसके अनुरुप चलने का बचन देता है।

6. किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति पर अध्यापक विश्वविद्यालय की समस्त पुस्तके, साचित्र अभिलेख और अन्य वस्तुयें, जो उससे कब्जे में हों, विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा जिन्हें इसमें समाविष्ट और उसी प्रकार से इस करार का भाग समझा जायेगा मानों वे इसमें प्रत्युप्पादित किये गये हों, और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होगे।

7. समस्त मामलों में, इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और दायित्व तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा इसमें समाविष्ट और उसी प्रकार से इस करार का भाग समझा जायेगा। मानों वे इससे प्रत्युत्पादित किये गये हों, और विश्वविद्यालय अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे।

8. प्रत्येक विश्वविद्यालय के अध्यापक को प्रत्येक शैक्षिक सत्र के अन्त में स्व–मूल्यांकन विवरण निर्धारित प्रपत्र ड़ पर (तीन प्रतियों में) कुलसचिव को जमा करना होगा। जिसके साक्ष्य में इन पक्षकारों ने प्रथम उपरिलिखित दिनांक तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये और मुहर लगाई।

....

अध्यापक के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर।

साक्षी

1.....

2.....

परिशिष्ट–घ

(परिनियम 15.02, 15.27, 16.03 और 16.17 देखिए)

अध्यापकों के लिये आचरण संहिता

अतः जो अध्यापक अपने उत्तरदायित्व के प्रति तथा युवकों के चरित्र निर्माण एंव ज्ञान,बौद्धिक स्वतंत्रता और प्रगति को अग्रसर करने के सम्बन्ध में,जो विश्वास उसमें निहित किया गया है उसके प्रति जागरुक है, उस अध्यापक में इस बात का अनुभव करने की आशा की जाती है कि वह नैतिकता सम्बन्धी नेतृत्व की अपनी भूमिका का निर्वाह, समर्पण, नैतिक निष्ठा तथा मन, वचन एवं कर्म में परित्रता की भावना से ओतप्रोत रहकर उपदेश की अपेक्षा आचरण द्वारा अधिक कर सकता है।

अतः उसकी वृत्ति की गरिमा के अनुरुप यह आचरण सहिता बनाई जाती है कि इसका पालन वस्तुतः निष्ठापूर्वक किया जाय;

1. प्रत्येक अध्यापक अपनी शैक्षिक कर्त्तव्यों का पालन पूर्णनिष्ठा एवं कर्त्तव्य परायणता से करेगा।
2. कोई भी अध्यापक किसी छात्र को अभिनिर्धारण करने में न तो कोई पक्षपात या पूर्वाग्रह प्रदर्शित करेगा न उन्हें उत्पीड़ित करेंगा।
3. कोई भी अध्यापक किसी छात्र को अन्य छात्र के विरुद्ध अपने साथी या विश्वविद्यालय के विरुद्ध उत्तेजित नहीं करेगा।
4. कोई भी अध्यापक जाति, मत, पंथ, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता या भाषा के आधार पर भेद भाव न करेगा। वह अपने साथियों, अधीनस्थ व्यक्तियों तथा छात्रों में भी ऐसी प्रवत्तियों को हतोत्साहित करेगा और भविष्य की उन्नति के लिये उपर्युक्त विचारों का प्रयोग करने की चेष्टा नहीं करेगा।
5. कोई भी अध्यापक, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के समुचित निकायों तथा कुत्यकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने से इन्कार नहीं करेगा।
6. कोई भी अध्यापक, यथा स्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के कार्य कलापों से सम्बन्धित कोई गोपनीय सूचना किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रकट नहीं करेगा जो उसके सम्बन्ध में प्राधिकृत न हो।
7. कोई भी अध्यापक अन्य कोई रोजगार, अंशकालिक गृह शिक्षण (ट्यूशन)तथा कोचिंग कक्षायें नही चलायेगा।
8. कक्षा शिक्षण अवधि के उपरान्त भी छात्रों को आवश्यक सहायता और मार्ग दर्शन प्रदान करने के लिए बिना किसी पारिश्रमिक के उपलब्ध रहेंगे।
9. शैक्षिक कार्यक्रम पूरा करने की दृष्टि से काई भी अध्यापक जहां तक सम्भव हो पूर्व अनुमति से अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश लेगा।
10. निरन्तर अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा अपनी शैक्षिक उपलब्धियों का विकास करता रहेगा।
11. यथास्थिति विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय के शैक्षिक उत्तरदायित्व यथा प्रवेश, छात्रों को परामर्श एवं सहायता, परीक्षा संचालन, निरीक्षण, परिप्रेक्ष्य, उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा पाठ्य एवं पाठ्येत्तर गतिविधियों प्रदान करेगा।
12. लोकतंत्र, देश–भक्ति और शान्ति के आदर्शों के अनुरुप छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा शारीरिक श्रम के प्रति आदर भाव उत्पन्न करेगा।

परिशिष्ट–ङ

(परिनियम 15.28, 16.02, तथा 16.16 देखिए)

1. सम्बद्ध महाविद्यालयों में (प्राचार्य से भिन्न) अध्यापक के साथ करार का प्रपत्रः

यह करार आज दिनांक.....20.....को .....प्रथम पक्ष जिसे आगे अध्यापक कहा गया है तथा प्राचार्य सचिव के माध्यम से..... महाविद्यालय.....के प्रबन्धतंत्र द्वितीय पक्ष के जिसे आगे महाविद्यालय कहा गया है, कि मध्य किया गया।

महाविद्यालय ने प्रथम पक्ष के पक्षकार को, आगे दी गयी शर्तें और निबन्धनों पर महाविद्यालय में कार्य करने के लिये..... के रुप में नियुक्त किया है। अतः अब यह करार इस बात का साक्षी है कि अध्यापक और महावद्यिालय एतदद्वारा संविदा करते हैं और निम्नलिखित के लिये सहमत हैं :–

1. नियुक्ति दिनांक.....20.....से प्रारम्भ होगी और एतदद्वारा व्यवस्थित रीति से समाप्त की जा सकेगी :–

2. अध्यापक प्रथमतः एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियोजित और उसे.....रुपये का मासिक वेतन दिया जायेगा। परिवीक्षा अवधि उतनी और अवधि के लिये बढ़ाई जा सकती है जितनी कि महाविद्यालय उचित समझे, किन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि किसी भी स्थिति में दो वर्ष से अधिक न होगी।

3. परिवीक्षा अवधि के पश्चात् स्थायी किये जाने पर महाविद्यालय अध्यापक को उसकी सेवाओं के लिये.....रुपये(प्रतिमास की दर से देगा जिसे.....रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि से बढ़ाकर.....रुपये प्रतिमास कर दिया जायेगा। वेतनमान ऐसे पुनरीक्षण के अधीन होगा जो समय–समय पर राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा किया जाय।

4. उक्त मासिक वेतन, जिस मास में वह अर्जित किया जाय, उसके अगले मास के प्रथम दिनांक को देय हो जायेगी और महाविद्यालय प्रत्येक मास के अधिक से अधिक पन्द्रहवें दिनांक तक अध्यापक को उसका भुगतान कर देगा।

5. अध्यापक विश्वविद्यालय या प्रबन्धतंत्र के किसी सदस्य को कोई अभ्यावेदन नहीं देगा सिवाय प्राचार्य के माध्यम से, जो उसे प्राधिकारियों के पास भेज देगा।

6. अध्यापक साधारण कर्त्तव्यों के अतिरिक्त,ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो उसे प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय के आन्तरिक प्रशासन या क्रिया–कलापों के सम्बन्ध में सौंपे जायं।

7. अन्य समस्त मामलों में इन पक्षकारों के वापसी अधिकार और दायित्व समय–समय पर यथासंशोधित विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा और विश्वविद्यालय अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,1973 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे।

आज दिनांक.....20.....को.....द्वारा प्रबन्धतंत्र की ओर हस्ताक्षरित,.....की उपस्थिति

हस्ताक्षरित,.....की उपस्थिति में साक्षी

1.....

2.....

सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य के साथ करार का प्रपत्र –

यह करार आज दिनांक .....20.....को .....(जिसे आगे प्राचार्य कहा गया है) प्रथम पक्ष, तथा सभापति के माध्यम से .....महाविद्यालय के ..... (जिसे आगे प्रबन्धतंत्र कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य किया गया।

प्रबन्धतंत्र ने प्रथम पक्षकार को आगे दी गयी शर्ते पर महाविद्यालय के प्राचार्य का कार्य करने के लिये नियुक्त किया है अब यह करार इस बात का साक्षी है कि प्राचार्य और प्रबन्धतंत्र एतदद्वार निम्नलिखित संविदा करते हैं और उसके सहमत है।

1. यह सेवा–संविदा दिनांक.....20.....से प्रारम्भ होगी और आगे व्यवस्थित रीति से समाप्त की जा सकेगी।

2. प्राचार्य, प्रथमतः एक वर्ष की परिवीक्षा–अवधि पर नियोजित है और उसे.....रुपये का मासिक वेतन दिया जायेगा। परिवीक्षा–अवधि, प्रबन्धतंत्र के स्वविवेक से और एक वर्ष के लिये बढ़ायी जा सकती है।

3. परिवीक्षा अवधि के पश्चात् स्थायी किये जाने पर महाविद्यालय अध्यापक को उसकी सेवाओं के लिये.....रूपये (प्रतिमास की दर से देगा जिसे.....रूपये की वार्षिक वेतन वृद्धि से बढ़ाकर..... .....रूपये प्रतिमास कर दिया जायेगा। वेतनमान ऐसे पुनरीक्षण के अधीन होगा जो समय–समय पर राज्य सरकार के अनुमोदन से अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा किया जाये।

4. उक्त मासिक वेतन,जिस मास में वह अर्जित किया जाय,उसके अगले मास के प्रथम दिनांक को देय हो जायेगा और प्रबन्धतंत्र प्रत्येक मास के अधिक से अधिक पन्द्रहवें दिनांक तक प्राचार्य को उसका भुगतान कर देगा।

5. प्राचार्य ऐसे समस्त कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य से सम्बन्धित हो तथा ऐसे समस्त कर्त्तव्यों का पालन के लिये उत्तरदायी होगा।प्राचार्य उक्त महाविद्यालय के आन्तरिक प्रबन्ध तथा अनुशासन के लिये पूर्णरुप के उत्तरदायी होगा जिसके अन्तर्गत ऐसे मामले भी हैं जैसे कि सम्बन्धित विभाग के ज्येष्ठतम अध्यापक के परामर्श से पाठ्य–पुस्तकों का चयन,महाविद्यालय की अध्यापन सारणी की व्यवस्था, महाविद्यालय के अध्यापक वर्ग के समस्त सदस्यों को कार्य वितरण, वार्डनों, पोक्टरों, खेल–कूद अधीक्षकों आदि की नियुक्तियां कर्मचारीवर्ग को छुट्टी स्वीकृत करना, निम्न श्रेणी के कर्मचारीवर्ग यथा चपरासी, दफ्तरी, माली, तकनीशियन आदि की नियुक्ति, पदोन्नति, उन पर नियंत्रण तथा उन्हें हटाना, प्रबन्धतंत्र द्वारा स्वीकृत संख्या के भीतर छात्रों को निःशुल्कता और अर्द्ध निःशुल्कता स्वीकृत कराना, वार्डनों के माध्यम से महाविद्यालय के छात्रावासों का नियंत्रण करना, छात्रों को प्रवेश करना, उन पर अनुशासन करना और उन्हें दण्ड देना तथा खेल–कूद और अन्य कार्यक्रमों को संगठिता करना। वह छात्रों की समस्त निधियो,यथा खेल–कूद निधि, पत्रिका निधि, संघ (यूनियन) निधि, वाचनालय निधि, परीक्षा निधि, आदि का

प्रबन्ध अपने द्वारा नियुक्त समिति की सहायता से, तथा समय–समय पर विश्वविद्यालय से प्राप्त निदेशों के अनुसार तथा प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्ति किसी अर्ह लेखाकार द्वारा जो प्रबन्धतंत्र के सदस्यों में से न होगा, उक्त लेखों की संपरीक्षा तथा संवीक्षा के अधीन रहते हुये, करेगा। लेखाकार की फीस महाविद्यालय की छात्र निधियों पर यथार्थ प्रभार होगा।

उसको इस प्रयोजन के लिये, सभी आवश्यक शक्तियां होगीं जिसमें आपत्तिकाल में अध्यापकों में कर्मचारियों सहित कर्मचारीवर्ग के सदस्यों को प्रबन्धतंत्र को सूचित किये जाने और उसके द्वारा विनिश्चय करने तक, निलम्बित करने की शक्ति भी सम्मिलित है। वह अपने निजी उत्तरदायित्व के क्षेत्र में महाविद्यालय के प्रशासन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अथवा सरकार से प्राप्त निर्देशों का पालन करेगा वित्तीय तथा अन्य मामलों में, जिसके लिये केवल वही उत्तरदायी नहीं है। प्राचार्य प्रबन्धतंत्र के निर्देशों का,जैसा उसे सचिव के माध्यम से लिखित रुप से जारी किया जाय, पालन करेगा। प्रबन्धंतत्र या सचिव द्वारा कर्मचारीवर्ग के सदस्यों को समस्त प्राचार्य, को लिपिकीय तथा प्रशासकीय कर्मचारीवर्ग के सम्बन्ध में नियंत्रण तथा अनुशासन की समस्त शक्तियां होंगी जिसे अन्तर्गत वेतन वृद्धि रोकने की शक्ति भी है। प्राचार्य के कार्यालय में समस्त नियुक्तियां उसकी सहमति से की जायेगी।

6. प्राचार्य, प्रबन्धतंत्र तथा प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्त किसी अन्य समिति का पदेन सदस्या होगा और उसे मत देने की शक्ति होगी :

परन्तु वह समिति का सदस्य न होगा जो उसके आचरण की जांच करने के लिये नियुक्ति की जाय।

7. प्राचार्य के जन्म का दिनांक..... है जिनके प्रमाण में उसने हाईस्कूल का प्रमाण–पत्र.....परीक्षा का प्रमाण–पत्र, जिसे हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष माना गया है, प्रस्तुत किया है और उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की है।

8. अन्य समस्त मामलों में इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और दायित्व समय–समय पर यथा संशोधित विश्वविद्यालय के परिनियमों तथा विश्वविद्यालय अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे।

प्रबन्धतंत्र की ओर से.....द्वारा आज दिनांक.....20.....को हस्ताक्षरित।

निम्नलिखित की उपस्थिति में प्राचार्य द्वारा–

साक्षी (1)

पता.....

साक्षी (2)

पता.....

(3) शैक्षिक सत्र.....की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का प्रपत्र

1. अध्यापक का नाम
2. विभाग जिससे वह सम्बद्ध हो
3. क्या अध्यापक, उपाचार्य, आचार्य, प्राचार्य आदि है?
4. सत्र में प्राप्त शैक्षिक अर्हतायें या विशिष्टतायें,यदि कोई हों,
5. अध्यापक की प्रकाशित रचनायें या उसके द्वारा किये गये अनुसंधान कार्य और/या किसी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन मे पढ़े गये पत्रादि का विवरण।
6. सत्र के दौरान उसके मार्ग दर्शन में कार्य करने वाले अनुसंधान छात्रों की संख्या और क्या उनमें से किसी को अनुसंधान कार्य के लिये उपाधि प्रदान की गयी?
7. सत्र के दौरान विश्वविद्यालय या संस्थान या महाविद्यालय में दिये गये व्याख्यानों (पाठन कक्षा को छोड़कर) की संख्या.....
8. अभ्युक्ति

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट की अन्तर्वस्तुयें मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य हैं।

दिनांक..... अध्यापक का हस्ताक्षर

प्रति हस्ताक्षरित।

परिशिष्ट–च

(परिनियम 11.12–ख देखिए)

अध्यापको की सीधी भर्ती एवं कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत प्रोन्नति के लिए एकैडमिक परफॉरमेन्स इन्डीकेटर (API) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संशोधित नियमन–24 जुलाई, 2013

(Minimum Qualification for appointment for teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for Maintenance of Standards in Higher Education 2nd Amendment Regulations – 2013, Appendix III)

परिशिष्ट–छ

(परिनियम 12.01 देखिए)

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय

1.

2.

आज्ञा से,
डॉ० रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "**the Constitution of India**", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 741/XXIV(6)/2017-12(02)/2014 Dehradun,** Dated July 25, 2017 for general information.

NOTIFICATION

July 25, 2017

No. 741/XXIV(6)/2017-12(02)/2014--In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Sri Dev Suman Uttarakhand University Act, 2011 (As amended from time to time) the Governor is pleased to make the following First Statutes of University for regulation and matters connected therewith or incidental thereto;

Sri Dev Suman Uttarakhand University First Statutes, 2017

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Short titles and commencement

section 35(1)

1.01 (1) These Statutes may be called the Sri Dev Suman Uttarakhand University Statues, 2017.

(2) These Statutes shall come into force from the date of issue of notification in the official Gazette.

inconsistent Ordinances shall be Rescind

section 35

1.02 All existing statutes and all Ordinances of the University, as are inconsistent with these Statutes are, to the extent of such inconsistency, hereby rescinded and shall forthwith cease to have effect except as respective things done or omitted to be done before the commencement of these Statutes.

Definitions

section 35

1.03 In these Statutes, unless the context otherwise requires –

(a) 'Act' means the Sri Dev Suman Uttarakhand University Act, 2011 (Act No. 22 of 2011) (As amended from time to time) of the Uttarakhand ;

(b) "Clause" means that clause in which said words occurs ;

(c) 'Section' means a section of the Act;

(d) 'University' means the Sri Dev Suman Uttarakhand University; and

(e) Words and expression used in these Statutes but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

Directions

section 35

1.04 In these Statutes all reference to the age of a teacher, shall be construed to be with reference to the date of birth of the teacher concerned as mentioned in the High School certificate or that of any other examination recognized as equivalent thereto.

Chapter-2

Officers of the University and other Functionaries

Chancellor

Chancellor

section 9 (4) and section 35(B)

2.01 (1) The Chancellor may, while considering any matter referred to him under Section 45 call for such documents or information from the University or parties concerned, as he may deem necessary, and may in any other case, call for any documents or information from the University.

(2) Where the Chancellor calls for any documents or information from the University under clause (1), it shall be the duty of the Registrar to ensure that such documents or information are promptly supplied to him after due approval of Vice-chancellor.

Vice-chancellor

Vice-chancellor

Section 12(6) and section 35(b)

2.02 (1) The Vice-Chancellor shall have power to call for such documents and information from an affiliated college in respect of any matter connected with teaching, examination, research, finance or any matter affecting the discipline or efficiency of teaching in the college, as he deemed fit.

(2) The Vice-Chancellor shall be provided well furnished and rent fee accommodation which shall be maintained by the University.

Finance Officer

Finance Officer

Section 8(c)

2.03 When the post of the Finance officer is vacant or when the Finance Officer is on leave by reasons of illness, absence or due to any cause is unable to perform the duties of his office, the duties of the office of Finance Officer shall be performed by any other officers nominated by the Vice Chancellor for this purpose.

Duties of the Finance Officer

Section 13(7) and 35(1)

2.04 (a) shall exercise general supervision over the funds of the University.

(b) may advise it in any financial matter either *suo moto* or on his advice being sought;

(c) shall kept a constant watch on the state of the cash and bank balances and on the state of investments;

(d) shall collect the incomes, disburse the payments and maintain the accounts of the University.

(e) shall ensure that the registers of building, land, furniture and equipment are maintained up-to-date and that stock checking of equipment and other consumable materials is conducted regularly in the University;

(f) shall probe into any unauthorized expenditure and other financial irregularities and suggest to the competent authority, disciplinary action against persons at fault;

(g) may call for any information or return from any Department or unit of the University that he may consider necessary for the performance of his duties;

(h) shall arrange for the conduct of continuous internal audit of the accounts of the University, and shall pre-audit such bills as may be required in accordance with any standing orders in that behalf;

(i) shall perform such other functions in respect of financial matters as may be assigned to him by the Executive Council or the Vice-Chancellor;

(j) shall, subject to the provision of the Act and Statutes, exercise disciplinary control over all the employees in the Audit and Accounts Section of the University below the rank of the Assistant Registrar (Accounts) and shall supervise the work of the Deputy/Assistant Registrar (Account) and the Accounts officer of the clause (2) and (3) of section 2.06 of the Statutes.

2.05 If any difference of opinion arises between the Vice Chancellor and the Finance Officer on any matter concerning the performance of the function of the Finance Officer, the question shall be referred to the State Government whose decision shall be final and binding on both the officers.

The Controller of Examination

The Controller of Examination **2.06** Subject to the provisions of the Act and Statutes:-

(1) The controller of examination be responsible for due custody of records pertaining to his work.

Section 16

(2) The Controller of Examinations shall be responsible to convene meetings of examinations committee under the direction of Vice-chancellor, to produce such all necessary information in the meeting, to keep minutes of the meetings and to correspondence on behalf of the examination committee;

(3) The Controller of Examinations shall be responsible to convene meetings of constitute committees by the examination committee, provide necessary information and records to the committee and to produce recommendation of the committee before the examination committee;

(4) The Controller of Examinations shall be responsible to declare time table of the examination of various syllabus of the University, to prepare and moderation of question papers and to keep custody and to prepare results of concerning examinations and to declare result.

(5) He can demand, as necessary such records and details from any office of the University for discharge of his duties and responsibilities;

(6) He shall administrative control on his subordinate working employees and he can also obtain clarification from any subordinate employee who is employed for the work of examination of the University or related to his duties as a examination controller and he shall recommend for the disciplinary action against the culprit person to the appropriate authority;

(7) He shall perform such other work as may be determined by the Ordinance and assigned by executive council, examination committee and Vice-chancellor from time to time;

(8) A assistant examination controller shall be appointed for co-operations of works of the examination controller.

(9) The educational qualification and selection procedure for the appointment of the post of examination controller and assistant examination controller shall be such as may be determined by the Government after the recommendation of the executive council.

Registrar

Registrar **2.07** Subject to the provision of the Act and the statutes, the Registrar shall have disciplinary control over all employees of the University other than the following, namely:-

Section 14 and 35(1)(g)

(a) Officers of the University;

(b) Deputy Registrar and Assistant Registrars;

(c) Teachers of the University, whether in relation to their work and teacher or while holding any remunerative office or in any other capacity such a examiner or invigilator:

(d) The Librarian;

(e) Employees in the University in the Examination, Accounts and Audit Section.

(2) The power to take disciplinary action under clause (1) shall include the power to order dismissal removal, reduction in rank, reversion, termination or compulsory retirement of an employee referred to in the said clause, and shall also include the power to suspend such employee during the tendency, or in contemplation of an inquiry.

(3) No order shall be made under clause (2) except after an inquiry in which the employee has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges.

Provided that where it is proposed, after such inquiry, to impose upon him any such penalty, such penalty may be imposed on the basis of evidence adduced during such inquiry and it shall not be necessary to give such person any opportunity of making representation on the penalty proposed:

Provided further that this clause shall not apply in the following cases, notwithstanding that the order is based on any charge (including a charge of misconduct or inefficiency), if such order does not disclose on its face that it was passed on such basis:-

(a) An order of reversion of an officiating promotion to his substantive rank.

(b) An order of termination of service of a temporary employee.

(c) An order of compulsory retirement of an employee after he attains the age of fifty year.

(d) An order of suspension.

Appeal

Section 35

2.08 An employee of the University aggrieved by an order referred to in Regulation 2.07 may prefer an appeal (through the Registrar) to the Disciplinary Committee constituted under Statute 8.01 within fifteen days from the date of service of such order on him. The decision of the Committee on such appeal shall be final.

Duties of the Registrar

2.09 Subject to the provisions of the Act, it shall be the duty of the Registrar:-

Section 14

(a) to be the custodian of the property of the University unless otherwise provided for by the Executive Council;

(b) to issue all notices convening meeting of the various authorities referred to in Section 21 with the approval of the competent authority concerned, and to keep the minutes of all such meetings;

(c) to conduct the official correspondence of the Court, Executive Council and the Academic Council;

(d) to exercise all such power as may be necessary or expedient for carrying into effect the orders of the Chancellor, Vice-Chancellor or various authorities or bodies of the University of which he acts as secretary;

(e) to represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign powers of attorney and verify the pleadings.

Deans of Faculties

Deans of Faculties

2.10 No person shall continue to be a Dean after he has ceased to hold one post by virtue of which he came to hold the office of Dean.

Procedure of the appointment for the post of Deans of Faculties

2.11 (1) Except in the case of a Faculty where there is only one teacher, a teacher who on the date of commencement of the Statutes has:-

(a) held the office of Dean for a period of three years or more, shall be deemed to have had his turn and the teacher next eligible in order of seniority shall assume office as Dean with effect from the commencement of these statutes;

Section 20 and 35(1) (b). section 20 and 41(2)

(b) not completed three years as Dean shall continue to hold the office of dean till the completion of the period of three years and on such completion the teacher next eligible in order of seniority shall assume office as Dean.

(2) For the purpose of computing the period during which a teacher has held the office of Dean:-

(a) any period during which such teacher was prevented from entering upon or continuing in the office of Dean by an order of any Officer of the University or of any court, shall be excluded;

(b) any period during which any teacher has, under an order of any officer of the University or of any court, been allowed to hold the office of Dean, it being ultimately found that he was not legally entitled to hold such office during that period shall count towards his term of office of Dean when be next gets his turn.

Duties and powers of the Deans of Faculties

2.12 The Dean of the Faculty shall have the following duties and powers:-

(a) He shall preside at all meetings of the Board of Faculty and shall see that the various decisions of the Board are implemented.

(b) He shall be responsible for bringing the financial and other needs of the Faculty to the notice of the Vice-Chancellor.

Section 20 (2) and 35 (1) (b)

(c) He shall take necessary measures for the proper custody and maintenance of libraries, laboratories and other assets of the Departments comprised in the Faculty.

(d) He shall have the right to be present and to speak at any meeting of the Boards of Studies pertaining to his Faculty but shall have no right to vote thereat unless he is a member thereof.

The Dean of Students Welfare

The Dean of Students Welfare

2.13 The Dean of Students Welfare shall be appointed from amongst the teachers of the University, who possess teaching experience of not less than ten years and who are not below the rank of a Associate Professor, by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor.

Additional duties

Section 21(f) and 35(1)(b)

2.14 The teacher who is appointed as Dean of Students Welfare shall perform his duties as Dean in addition to his own duties as a teacher.

Tenure

Section 21(f) and 35(1)(b)

2.15 The term of office of the Dean of Students Welfare shall be three years unless otherwise determined earlier by the Executive Council.

Assistant of the Dean of Students Welfare

2.16 (1) The Dean of Students Welfare shall be assisted by a set of teachers (to be selected in the manner laid down by Ordinances) who shall perform their duties in addition to their normal duties of teachers. The teachers so selected shall be called Assistant Deans of Student's Welfare.

(2) One of the Assistant Deans of students welfare shall be appointed from amongst the lady teachers of the university who shall look after the welfare of the girl students.

Assistant and direction of the Dean of Students Welfare

Section 21(f) and 35(1)

2.17 (1) It shall be the duty of the Dean of Students Welfare and the Assistant Deans of Students Welfare to assist generally the students in matters requiring help and guidance, and in particular, to help and advice students and prospective students in :-

(a) obtaining admission to the university and its courses;

(b) the choice of suitable courses and hobbies;

(c) finding living accommodation;

(d) making messing arrangements;

(e) obtaining medical advice and assistance;

(f) Securing scholarship stipends, part time employment and mother pecuniary assistance.

(2) The Dean of the Students Welfare may communicate with the guardian of the student in respect of any matter requiring his assistance when necessary.

Duties about student election	**2.18**	Dean of student welfare shall provide guide lines and directions in relation of student union elections.
Affiliated degree colleges	**2.19**	The provisions of the statutes 2.12 to 2.17 for the affiliated degree colleges for Dean of student welfare shall be applicable as they were words respectably in place of "Management Committee" and "Principal" the words "Executive Council" and "Vice-chancellor". The honorarium may be paid to the Dean of student welfare and others from funds of the degree college with prior approval of the managing committee.
Honorarium	**2.20**	Such honorarium may be paid to the Dean of student welfare from the funds of the University as may be determined by the Vice-chancellor with prior approval of the State Government.

Head of Department

Head of Department	**2.21**	The Head of the department shall be a teacher in teaching of each department in the University of this department.

The Librarian

The Librarian **Section 21(f) and section 35**	**2.22**	The University may, with the prior approval of the State Government appoint a whole time Librarian. The Librarian shall be appointed and qualifications by the UGC under the provisions time to time.
Duties of the Librarian **Section 35**	**2.23**	It shall be the duty of the Librarian to maintain the Library of the University and to organize its service in the manner most conductive to the interest of teaching and research.
Appeal	**2.24**	The librarian shall be under the disciplinary control of the Vice-Chancellor: Provided that he shall have a right of appeal to the Executive Council against any order of the Vice-Chancellor passed in the disciplinary proceedings against him.

The Proctor

The Proctor **Section 31 and 35(1) (b)**	**2.25**	The Chief Proctor shall be appointed from amongst the teachers of the University by the Vice-Chancellor. The Proctor shall assist the Vice-Chancellor in the exercise of his disciplinary authority in respect of students of the University and shall also exercise such power and perform such duties in respect of discipline as may be assigned to him by the Vice-Chancellor in this behalf.
Assistant Proctors	**2.26**	The Proctor shall be assisted by Assistant Proctors whose number shall be fixed by the Executive Council from time to time.
Appointment **Section 35(1)(b)**	**2.27**	The Assistant Proctors shall be appointed by the Vice-Chancellor in consultation with the Proctor.
eligible for re-appointment Assistant Proctors **Section 35(1)(b)**	**2.28**	The proctor and the Assistant Proctors shall hold office for one year and shall be eligible for re-appointment. Provided that for so long as his successor is not appointed every Proctor or Assistant Proctor shall continue in office. Provided further that the Executive Council may, on the recommendation of the Vice-Chancellor, remove the Proctor before the expiry of the said period: Provided also that the Vice-Chancellor may remove an Assistant Proctor before the expiry of the said period.

Honorarium paid to the Proctor and the Assistant Proctor

Section 35(1)(b)

2.29 The Proctor and the Assistant Proctor may be paid such honorarium out of the funds of the University, as may be fixed by the Vice-Chancellor with prior approval of the Executive Council.

Affiliated degree colleges

Section 20(1) (c) section 20(1) (e)

2.30 The provisions of the statutes 2.25 to 2.29 for the affiliated degree colleges for Proctor shall be applicable as they were words respectably in place of "Management Committee" and "Principal" the words "Executive Council" and "Vice-chancellor". The honorarium may be paid to the Proctor from funds of the degree college with prior approval of the managing committee. The words "Executive Council" and "Vice-chancellor" shall be in place of "Director Higher Education" and "Principal" respectively. The honorarium may be paid from the funds of the degree college with prior approval of the Director Higher Education .

Chapter-3

Executive Council

Executive Council

3.01 The Deans of Faculties who shall be members of the Executive Council under Section 25 (1) (c) shall be chosen in the order in which the names of various Faculties are enumerated in Statute 7.01.

Representation of the teachers

Section 25(1) (c)

3.02 The re-presentation of the teachers of the University under clause (1) of section 25(1) (d) shall be as follows--

(a) one Professors to be selected by rotation in order of seniority;

(b) one Associate professor to be selected by rotation in order of seniority;

(c) one Assistant professor to be selected by rotation in order of seniority.

Representation of the Affiliated colleges Section 25(1) (h)

3.03 Three principals from affiliated degree colleges (one from self finance) and two teachers who shall be the members of executive council under section 25(1) (d) and whose selection shall be made in rotation of seniority of such principals and teachers as the case may be.

Member from Hostel

3.04 The person elected under section 25(1) (f) shall not remain the member of the executive council on the acceptance of service of the University, institution, affiliated degree college or students residents or degree colleges or the students of hostel of the University.

member of the Executive Council

section 26 (9)

3.05 No person shall be or continue to be a member of the Executive Council in more than one capacity, and whenever a person becomes a member of the Executive Council in more than one capacity, he shall within two weeks thereof choose the capacity in which he desires to be member of the Executive Council and shall vacate the other seat. Where he does not so choose, the seat held by him earlier in point of time shall be deemed to have been vacated with effect from the date of expiry of the aforesaid period of two weeks.

Resolution

Section 25

and section 35(1)

3.06 The passed resolution by majority of his total membership of the executive council made delegate such powers to the any officer or authority as deem fit on subject to the such restrictions as may be prescribed in the resolution.

Consent of the finance officer

3.07 The executive council in any such resolution in which the financial provisions is involved shall obtain consent of the finance officer before the consideration.

Chapter-4

The Court

Representation of the teachers and others

The Court representation of the teachers and others

4.01 Two provosts and wardens of the hostels and halls of the University and its constituent Colleges and Institutes who shall be members of the Court under part 2(c) of Section 22 (1), shall be selected by rotation on the basis of longest continuous service as such provosts or wardens.

Section 22 (2) (e)

members of the meeting

4.02 Whose fifteen teachers shall be members of the meeting under section 22(2) (e), the selection shall be following methods -

Section 22 (2) (f)

(a) One professor of the University;

(b) One Associate Professor of the University;

(c) two Assistant professors of the University;

(d) Deans of student welfare;

(e) four principals of Affiliated colleges;

(f) six other teachers of Affiliated colleges.

Members of affiliated colleges

4.03 (1) Two representative of the management of affiliated degree college who shall be the member of Court under category 2(f) of section 22(2), his selection shall be made by nomination from rotation by the Vice-chancellor.

(2) The Management represented shall be free to send to any meeting of the Court any of its members (including Chairman).

Registration of graduates and his representation in the Court

Registered graduates

4.04 The Registrar shall maintain a register of registered graduates in his office who shall be referred hereinafter as register in this chapter.

Particulars of the Registers

Section 22 (3) and 35 (1) (a)

4.05 The registrar will be following particulars, namely-

(a) Name and address of the Registration of graduates;

(b) of their year of graduation;

(c) Name of University and Colleges, from which they were graduate;

(d) The submitted date of the name of graduates in a Register;

(e) Other details of which direction by Executive Council time to time.

Note- such name of graduates who is deceased shall be repealed.

Fee of the Registration

4.06 Every graduate of the University can apply in application in the approved Performa by the examination council and on the payment of Rs. one thousand, may be entitled to enter his name from the date of convocation, was conferred degree to him or confer if he will be present, as his name to be enter. The application shall be made by the graduate himself, and may either be delivered to the Registrar personally or sent by registered post. If two or more applications are received in the same cover, they shall be rejected;

Provided that every graduate from a college, originally affiliated to any other University and now affiliated to the University, may also apply for Registration as a Registered Graduate in the University, provided that he is not Registered Graduate of any other University on the basis of the same degree.

Registration of the applicant

4.07 On the receiving of the application, the Registrar if he is satisfied that the graduate is qualified in due respect and prescribed fee paid by him, than the name of applicant may be entered in the register.

Power of vote

Section 35(1)

4.08 Any registered graduate, which name is registered on the date of notification of election before 30 June or more period, shall be entitled to caste vote in the election of the representatives of the registered graduate.

Provided that the registration of one year on the publication on this statutes shall not be applicable on first election of the registered graduate for the House.

Election procedure

Section 35(1)

4.09 Any registered graduate shall be entitle to fight in election under category 3 of section 22 if his name is registered minimum three years on the date of 30 June or more period;

Provided that the registration of three years on the publication on this statutes shall not be applicable on first election of the registered graduate for the Court.

Representative of the elected registered graduate

Section 22(2)

4.10 A representative of registered graduates elected under class (3) of Section 21(2) shall cease to be a member on entering the service of the University or of an Institute or constituent college, an affiliated college, a hostel, a hall or being connected with the management of an associated college, a hall or hostel or on becoming a student, and the seat so vacated shall be filled up by the person available who secured the next highest votes at the time of the previous election for the residue of his term.

Section 28(2) (v)

4.11 Any registered graduate who is member of the Coourt in any other statutes from earlier than he can fight election as a representative of registered graduate and thus on the election the provision of statutes 3.05 shall be applicable *mutatis mutandis*.

Election of the registered graduate

4.12 Under this chapter the election of the registered graduate shall be made by the single transferable vote according the prescribed average representative system in appendix B.

Commencement of tenure

Section 28(2) (g)

4.13 The term of the members of the Court shall commence from the date of the first meeting of the Court.

Chapter-5

Academic Council

Academic Council

Section 28(2) (g)

5.01 Two principals from each affiliated colleges who shall be members of the Academic Council under clause (v) of Section 28(2) shall be selected in order of seniority as principals in that college.

Procedure of selection

Section 28(2) (viii)

5.02 Such fifteen teachers shall be the member of academic council under section 25(2) (g) which selection shall be made following method—

(a) three professors of affiliated degree colleges in a rotation in seniority order;

(b) five Associate professors of affiliated degree colleges in a rotation in seniority order;

(c) three teachers of affiliated degree colleges in a rotation in seniority order (who is not a principal).

Note:- (1) one and more Assistant professor of a faculty and one or more teachers shall not be member under this statutes.

(2) If one or more assistant professor of a faculty and two or more teachers of a degree college than they shall be entitle to be a member of the academic council under this statutes and the senior most professor and two senior most teacher as the case may be shall be the member of the academic council. Such associates professor, assistant professor and teachers who is remain balance, his term shall be come in next from a rotation.

Meetings

Section 28(5) and 35(1)

5.03 Eminent three persons from the field of education who shall be member of the academic council under clause (eight) of section 28(2) his cooperation by the mentioned members in clause (one) to (7) of the said section, which meeting shall be called by the Registrar, shall be made from that persons who is not a employees of University, constituent degree college, institutions, affiliated degree colleges, students residents or hostels.

Tenor of members

5.04 The member in addition of ex-officio members under section 28(2) shall be hold the post for three years.

Powers of Academic Council

5.05 The Academic Council shall have the following powers:-

(a) to review and make decision on proposals relating to syllabus received from Study Board through faculties;

(b) to give report specified to him or any subject by Executive Council;

(c) to give recognization to the post graduate diploma and degrees of the other Universities and institutions and to give consultation to the Executive Council in the subject of post graduate diploma and degrees or their equivalency of the University;

(d) to give consultation to the Executive Council in relation of required qualification of the persons to give teaching in special subject for the different degrees and post graduate diploma of the University;

(e) all such duties to perform in relation of education related subject and do work all such activities who is necessary for appropriate implementation of the provisions of Act, Statutes and Ordinances.

5.06 The meetings of the Academic Council shall be called under the directions of the Vice-Chancellor.

Chapter-6

Finance Committee

Finance Committee Section 35(1)

6.01 The period of membership of the prescribed person in clause (e) of section 29 shall be for a year;

Provided that he shall continue in office till the election of the successor. No such member shall hold office successively for more than three terms.

Financial estimates Section 29 and 35(1)

6.02 Items of new expenditure not already included in the financial estimates, shall be referred to the Finance Committee in the cases of :-

(i) Non-recurring expenditure if it involves an expenditure of One Lakh rupees or above; and

(ii) Recurring expenditure, if it involves an expenditure of twenty thousand rupees or above:

Provided that it shall not be permissible for any officer or authority of the University to treat an item which has been split into several parts falling under a budget head as several items of smaller amount and withhold it from the Finance Committee.

Recommendation on all expenditure

6.03 The financial committee on such date or before that which provision is made for this purpose by the Ordinance under the Statutes 6.02 or statutes 6.04, specified expenditure in all items shall be consider and made recommendation immediately to them and shall intimate to the executive council.

Annual financial estimates **6.04** If the Executive Council, at any time after the consideration of the annual financial estimates (i.e. the budget) proposes any revision thereof involving recurring or non-recurring expenditure of the amount referred to in regulation, the Executive Council shall refer the proposal to the Finance Committee.

Annual Accounts **6.05** The Annual Accounts and the Financial Estimates of the university prepared by the finance officer shall be laid before the Finance Committee for consideration and thereafter submitted to the executive council for approval.

Section 29(3) and 35(1)

Right of Non-concurrence **6.06** Any member of the financial committee shall have power to records non-concurrence if he is not agree with any decision of the finance committee.

Section 26(l)(e)

Finance committee meeting **6.07** The Finance Committee shall meet at least twice every year to examine the accounts and to scrutinize proposals for expenditure.

Meeting of the Finance Committee Section 20 and 35(1) **6.08** The meeting of the Finance Committee shall be convened under the directions of the Vice-Chancellor and all notices for convening such meetings shall be issued by the Finance Officer, who shall keep the minutes of all such meetings.

Chapter-7

Faculty

Faculty **7.01** The following faculty shall be in the University; Provided that for giving affiliation to the syllabus running in any affiliated degree college from the Hemwati Nandan Bhaguna Garhwal, University, the University may grant permit new faculty or new department /syllabus. Which intimation of meeting shall be forward to the Chancellor after the approval of the prescribed authority of University.

(a) Faculty of Art;

(b) Faculty of Commercial and Management ;

(c) Faculty of Law ;

(d) Faculty of Science ;

(e) Faculty of Education ;

(f) Faculty of Agriculture .

Board of Art Faculty **7.02** (1) The Board of Art Faculty shall be constituted as follows:-

Section 35(1) (a)(g)

(i) The Dean of the Faculty who shall be the Chairman.

(ii) five professor and five head of the departments of the rank of professor and co- professors of the rank of professor of University, constituent and affiliated degree colleges.

(iii) Principal of the post-graduate colleges;

(iv) One senior most teacher who is include in principal or faculty and shall be senior most teacher of the department of every subject recognized up to first graduation level.

(v) Three senior-most teachers in the Faculty other than Principals and teachers mentioned in clauses (iii) and (iv) above, provided that no two teachers profess the same subject and belong to the same college, where there is more than one college recognized for the teaching of the subject. The teachers so passed over shall not lose their turn in rotation next time.

(vi) Five persons possessing expert knowledge of the subject comprised in the Faculty or subjects allied to them, not in the service of the University or any of its colleges, to be nominated by the Vice-Chancellor from the following categories:-

(a) Professors and Associate Professors in University;

(b) Present or retired Principals of Post-graduate Colleges;

(c) Directors of research institutes;

Provided that at least three of the above persons shall belong to categories (a) and (c).

(2) The teachers under items (iii), (iv) and (v) of clause (1) shall be chosen by rotation in order of seniority.

Departments of the faculty of Art

7.03 The Departments comprised in the Faculty of Art shall be following :-

(1) Sanskrit and natural languages;

(2) Hindi and modern languages;

(3) Urdu;

(4) English and modern European language and other foreign languages;

(5) Philosophy;

(6) Psychology;

(7) Education Science;

(8) Political Science;

(9) History who have submitted History of ancient India, cultural and Archaeology;

(10) Economics;

(11) Geography;

(12) Music;

(13) Drawing and painting;

(14) Home Science;

(15) Sociology;

(16) Human Science;

(17) Journalism;

(18) Tourism and Elementary of Hoteliaring;

(19) Translation and creative literature;

(20) Library Science;

(21) Regional cultural;

(22) Physical Education;

(23) Social works.

Board of Commercial Faculty

Section 35(1) (a) (g)

7.04 The Board of Commercial Faculty shall be constituted as follows:-

(i) The Dean of the Faculty who shall be the Chairman.

(ii) five professor of the rank of head of the department or Associate professors of the Campus degree college of the faculty and University;

(iii) three principals of post graduates colleges;

(iv) three senior-most teachers in the Faculty other than Principals and teachers mentioned in clauses (iii) above, provided that no two teachers profess the same subject and belong to the same college, where there is more than one college recognized for the teaching of the subject. The teachers so passed over shall not lose their turn in rotation next time.

(v) the coordinator board of studies to economics on the University;

(vi) three persons possessing expert knowledge of the subject comprised in the Faculty or subjects allied to them, not in the service of the University or any of its colleges, to be nominated by the Vice-Chancellor from the following categories:-

(a) Professors and Associate Professors in University;

(b) Present or retired Principals of Post-graduate Colleges;

(c) Directors of research institutes;

Provided that at least two of the above persons shall belong to categories (a) and (c).

Departments of the Faculty of Commercial

Section 35(1) (a) (g)

7.05 The following shall be the Departments comprised in the Faculty of Commercial:-

(1) Commerce;

(2) Business Management;

(3) management and information technology;

(4) Advertising and public relation management;

(5) Hospital administration;

Board of Law Faculty

Section 35(1) (a) (g)

7.06 The Board of Law Faculty shall be constituted as follows:-

(i) The Dean of the Faculty.

(ii) five professors and five head of department or associate professors cadre of professor of the constituent and affiliated colleges of the University;

(iii) Three professors of Post- graduates colleges;

(iv) Three senior-most teachers in the Faculty other than Principals and teachers mentioned in clauses (iii) above, provided that no two teachers profess the same subject and belong to the same college, where there is more than one college recognized for the teaching of the subject. The teachers so passed over shall not lose their turn in rotation next time.

(v) three persons possessing expert knowledge of the subject comprised in the Faculty or subjects allied to them, not in the service of the University or any of its colleges, to be nominated by the Vice-Chancellor from the following categories:-

(a) Professors and Associate Professors in University;

(b) Present or retired Principals of Post-graduate Colleges;

(c) Directors of research institutes;

Provided that at least two of the above persons shall belong to categories (a) and (c).

(vi) District judge Tehri/Dehradun.

Departments of the Faculty of Law

7.07 The following shall be the Departments comprised in the Faculty of Law:-

(1) Department of Law.

Board of Science Faculty

Section 35(1) (a) (g)

7.08 (1) The Board of Science Faculty shall be constituted as follows:-

(i) The Dean of the Faculty –Chairman;

(ii) five professor of the rank of head of the department or Associate professors of the Campus degree college of the faculty and University; ;

(iii) Three principals of Post- graduates colleges;

(iv) One senior most teacher who is includes in principal or faculty and shall be senior most teacher of the department of every subject recognized up to first graduation level.

(v) Three senior-most teachers in the Faculty other than Principals and teachers mentioned in clauses (iii) and (iv) above, provided that no two teachers profess the same subject and belong to the same college, where there is more than one college recognized for the teaching of the subject. The teachers so passed over shall not lose their turn in rotation next time.

(vi) Five persons possessing expert knowledge of the subject comprised in the Faculty or subjects allied to them, not in the service of the University or any of its colleges, to be nominated by the Vice-Chancellor from the following categories:-

(a) Professors and Associate Professors in University;

(b) Present or retired Principals of Post-graduate Colleges;

(c) Directors of research institutes;

Provided that at least two of the above persons shall belong to categories (a) and (c).

(2) The teachers under items (iii), (iv) and (vi) of clause (1) shall be chosen by rotation in order of seniority.

Department of the Faculty of Science

7.09 The following shall be the Departments comprised in the Faculty of Science:-

(1) Physics;

(2) Chemistry;

(3) Mathematic;

(4) Biology and Bio-technology;

(5) Botany and Microbiology;

(6) Geology;

(7) Statistics;

(8) Mineral Exploration;

(9) Forestry Science;

(10) Geo-Mathematic;

(11) Gemology;

(12) Computer science and Information science;

(13) Pharmacy;

(14) Nano Science;

(15) Environment science;

(16) Remote sensing and G.I.S.;

(17) Human Science.

Board of Education Faculty

Section 35(1) (a)(g)

7.10 The Board of Education Faculty shall be constituted as follows:-

(i) The Dean of the Faculty – Chairman;

(ii) five Associate professors and head of department cadre of professor of the faculty constituent colleges and University;

(iii) Three teachers shall be of education who is either principal of the constituent and affiliated degree colleges or shall be senior most teacher of the department from rotation in seniority order from the teachers, Provided that minimum one shall be that department where M.Ed. level is taught.

(iv) Two senior-most teachers in the Faculty other than Principals and teachers mentioned in clauses (iii) above, provided that no two teachers profess the same subject and belong to the same college, where there is more than one college recognized for the teaching of the subject. The teachers so passed over shall not lose their turn in rotation next time.

(v) three persons possessing expert knowledge of the subject comprised in the Faculty or subjects allied to them, not in the service of the University or any of its colleges, to be nominated by the Vice-Chancellor from the following categories:-

(a) Professors and Associate Professors in University;

(b) Present or retired Principals of Post-graduate Colleges;

Department of faculty education

7.11 The following shall be the Departments comprised in the Faculty of Education:-

(1) Education.

Board of Agriculture Faculty

Section 35 (1) (a) (g)

7.12 (1) The Board of Agriculture Faculty shall be constituted as follows:-

(i) The Dean of the Faculty – Chairman;

(ii) Associate professors and head of department cadre of five professor and five associate professors of the faculty constituent colleges and University;

(iii) Three principals of Post- graduates colleges;

(iv) One senior most teacher who is include in principal or faculty and shall be senior most teacher of the department of every subject recognized up to first graduation level.

(v) Three senior-most teachers in the Faculty other than Principals and teachers mentioned in clauses (iii) and (iv) above, provided that no two teachers profess the same subject and belong to the same college, where there is more than one college recognized for the teaching of the subject. The teachers so passed over shall not lose their turn in rotation next time.

(vi) five persons possessing expert knowledge of the subject comprised in the Faculty or subjects allied to them, not in the service of the University or any of its colleges, to be nominated by the Vice-Chancellor from the following categories:-

(a) Professors and Associate Professors in University;

(b) Present or retired Principals of Post-graduate Colleges;

(c) Directors of research institutes;

Provided that at least two of the above persons shall belong to categories (a) and (c).

(2) The teachers under items (iii), (iv) and (v) of clause (1) shall be chosen by rotation in order of seniority.

Department of Agriculture faculty

Section 35(1)(g)

7.13 The following shall be the Departments comprised in the Faculty of Agriculture:-

(1) Agronomy;

(2) Horticulture;

(3) Agriculture extension;

(4) Entomology;

(5) Plant sciences;

(6) Soil science;

(7) Genetics and plant breeding;

(8) Forestry;

(9) Fisheries.

members of the Board of Faculty

7.14 (1) Same as otherwise provided in this Chapter, members of the Board of Faculty other than *ex officio* members, shall hold office for a period of three years.

(2) The meetings of the Board of Faculty shall be convened under the directions of its Chairman.

Powers of the faculty of Board

Section 35(1)(g)

7.15 Subject to the provisions of the Act, the Board of each Faculty shall have the following powers, namely-

(i) To make recommendations to the Academic Council regarding the courses of study, after consulting the Board of Studies concerned;

(ii) To make recommendations to the Academic Council regarding the teaching and research work of the University in the subjects assigned to the Faculty;

(iii) To consider and make recommendation to the Academic Council on any question, pertaining to its sphere of work which may appear to it necessary and on any matter to it by the Academic Council.

Chapter-8

Other Authorities and body of the University

Disciplinary Committee

Disciplinary Committee

Section 35(1)(g)

8.01 (1) The Executive Council shall constitute, for such term as it thinks fit, a Disciplinary Committee in the University which shall consist of the Vice-Chancellor and two other persons nominated by it:

Provided that if the Executive Council considers it expedient, it may constitute more than one such committee to consider different cases of classes of cases.

(2) No teacher against whom any case involving disciplinary action is pending shall serve as a member of the Disciplinary Committee dealing with the case.

(3) The Executive Council may at any stage transfer any case from one Disciplinary Committee to another Disciplinary Committee.

functions of the Disciplinary Committee

Section 35(1)(g)

8.02 (1) The functions of the Disciplinary Committee shall be as follows:-

(a) to decide any appeal preferred by an employee of the University under Statute 2.07;

(b) to hold inquiry into cases involving disciplinary action against a teacher or the Librarian of the University.

(c) to recommend suspension of any employee referred to in sub-clause (b) pending or in contemplation of inquiry against such employee;

(d) to exercise a such other powers and perform such other functions as may, from time to time, be entrusted to it by the Executive Council.

(2) In case of difference of opinion among members of the Committee, the decision of the majority shall prevail.

(3) The decision or the report of the Committee shall be final, and the Executive Council shall be bound to give effect thereto, as early as possible.

Departmental Committees

Departmental Committees

Section 35(1)(g)

8.03 There shall be Departmental Committee in each Department of teaching in the University to assist the Head of the Department appointed under Regulation 2.20.

Members of Departmental Committee

Section 35(1)(g)

8.04 There shall be a Departmental Committee shall consist of:-

(i) The Head of the Department, who shall be the chairman.

(ii) All Professors in the Department, and if there is no Professor, then all Associate Professors in the Department.

(iii) In a Department which has Professors as well as Associate Professors, then all Professors and two Associates by rotation affording to seniority for a period of three years.

(iv) In a Department which has Associate professors as well as Assistant professor, then one Assistant Professor and in a Department which has no Associate Professor, then two Assistant professor, by rotation according to seniority for a period of three years;

Provided that for any matter specialty concerning any Subject or Specialty, the senior most teacher of that subject of specialty, if not already included in the foregoing heads, shall be specially invited for that matter.

function of the Departmental Committee

8.05 The following shall be the function of the Departmental Committee-

(i) to make recommendation regarding distribution of teaching work among the teachers of the Department;

(ii) to make suggestions regarding co-ordination of the research and other activities in the Department;

(iii) to make recommendations regarding appointment of staff in the Department for which the Head of Department is the appointing authority;

(iv) to consider matter of general and academic interest to the Department.

Departmental Committee meeting

Section 35(1)(g)

8.06 The Committee shall meet at least once in a quarter. The minutes of its meeting shall be submitted to the Vice-Chancellor.

Examinations Committee

Examinations Committee

(1) (g)

8.07 (1) following shall be Examinations Committee:-

(1) Vice-chancellor;

(2) Registrar;

(3) All Deans;

(4) Dean of student welfare;

(5) Controller of examinations;

(6) (i) three principals in rotation of seniority of the Affiliated degree colleges;

(ii) three principals in rotation of seniority of the Affiliated Government degree colleges;

(iii) three principals of the Affiliated self financial degree colleges(nominated by Vice chancellor);

(iv) Principals of Constituent degree colleges.

(2) The members shall hold office of three years under the statutes 8.07(1) 6.

Admissions Committee

Admissions Committee

Section 30(1)

8.08 (1) following shall be Admission Committee:-

(a) Vice-chancellor;

(b) Registrar;

(c) All Deans;

(d) Dean of student welfare;

(e) Controller of examinations;

(i) three principals in rotation of seniority of the Affiliated degree colleges;

(ii) three principals in rotation of seniority of the Affiliated Government degree colleges;

(iii) three principals of the Affiliated self financial degree colleges(nominated by Vice chancellor);

(iv) Principals of Constituent degree colleges.

(2) The members shall hold office of under the statutes 8.07(1) 6 of the three years.

(i) three subject experts nominated by Vice chancellor (for others Universities).

Committees of admission committee

8.09 The powers shall be contained to constitute of sub-committees as required in the admission committee.

Policy for admission

8.10 The admission committee shall made admission policy for various courses of the University under sub-clause 8.12 and decision of the academic council and according this policy may nominate a teacher or admission authority of the sub-committee for conduct of courses in the University and affiliated degree colleges.

Limitation of seats for admission

8.11 The University admission committee shall determine number of students on the basis of ratio of the teacher–students by the University Grant Commission and provide basic facilities for any course of constituent or affiliated degree colleges. The compliance of limit of the prescribed students numbers by the admission committee shall be binding for the University.

Reservation for admission **8.12** The University, constituent and affiliated degree colleges shall comply reservation rules for the admission of the students as prescribed by the Uttarakhand Government.

Penalty **8.13** The principal or managing committee of the degree college as the case may be shall can be prosecuted as crime for given admission to the students in more number of the sanctioned seats by the University.

Chapter-9

Board

Board
Section 35(1) (g) **9.01** There shall be a Student welfare Board in addition to Faculty Boards shall a part form faculty board and board of studies in the University.

Students welfare board **9.02** The powers, act and constitution of the students welfare board shall be such as may be determined by the Ordinance;

Section 35(1) (g)

Provided that Ordinances related to the students welfare for representation of the students shall also be provide and the tenure of such students representatives shall be one year.

Chapter-10

classification of the teachers

classification of the teachers **10.01** The University shall following cadres of teachers—

(1) Professor;

(2) Associate Professor;

Section 35(1) (g)

(3) Assistant Professor;

The teachers of the University shall be appointed on full time basis the pay scale approved by the State Government for the subject;

Provided that the part time Assistant Professor may be appointed for that subject in which in opinion of the academic council that the such Assistant Professor is necessary for the interest of the study or otherwise reasons. Such part time Assistant Professor may be get such salary as he is appointed ordinarily of that post and not less than fifty percent of the initial pay. The research fellows or research assistant persons may be say to do work as a part time assistant professor.

Appointment **10.02** The executive council on the recommendation of the academic council may appoint as follows:-

Section 35(g)

(1) on the special contract restrictions according the Ordinance made for this purpose, the professor of eminent and highest qualification in the field of education.

(2) service free without salary professor;

(a) who will give lecture on the specialist subject;

(b) who shall guide of research work;

(c) who is present in the meeting of the affiliated faculty board and shall be entitle to participate in the deliberation but no right to cast vote.

(d) whose facilitate library and laboratory for the research works of the University as may be possible; and

(e) who shall be entitle to attend the convocation but any professor without payment of salary shall not be eligible to hold the post of any authority or body of the University.

Appointment **10.03** The teachers or teaching research assistant can be appointed by the executive council on such terms and conditions which provisions is made in Ordinances.

Full time appointment **10.04** (a) The teachers of the University shall be appointed on full time basis the pay scale approved by the State Government for the subject.

(b) Subject to the provisions of clause (a) of statutes 20.02, the ratio of the part time Assistant Professor in any time shall not be greater of one fourth of the total number of full time teachers the full time teachers in a attached department.

Chapter-11

Part -1

Eligibility, selection , Appointment at the teacher of the University, Constituent college and affiliated colleges

Appointment and qualification of teachers of the University

Section 3(3)

11.01 The qualification and appointment procedure of the teachers of the University, constituent and affiliated degree colleges shall be same as determined from time to time by the University Grant Commission and as approved by the State Government. For the present purposes the University Grant Commission Rules, 2010 (Appendix A) and amended rules 2013 (24 July 2013) (amended Appendix A) and as approved Government Orders by the State Government shall be applicable.

Part -2

Eligibility, selection and Appointment of the non teaching staff of the University

Appointment and qualification non teaching staff of the University **11.02** The procedure of educational eligibility, selection and appointment on the post of non-teaching staff of the University shall be such as may be prescribed by the Government after the recommendation of the executive council from time to time.

Part 3

The employment of the dependents of dying harness of the University

The employment of the dependents of dying harness of the University **11.03** If any permanent employee or such employee dying with service in any temporary post continuously minimum three years then one dependent of such dying harness who is apply for any vacant non teaching post and hold minimum educational qualification for such post, the Registrar with the approval of the Vice chancellor may appoint with the relaxation of the procedure of selection and maximum age limit.

Explanation- For the purpose of this Statute-

(1) dependent means provisions made in the GOs as amended from time to time by the personnel department, Government of Uttarakhand.

(2) employed teachers in the University shall also be include within the meaning of employees.

Chapter-12

Part-1

Campus of the University

Campus of the University

Section 33(8)

12.01 Subject to the provisions of this Act, the University may establish additional campus in such other places with the prior approval of the State Government.

Part -2

Constituent Colleges of the University

Constituent Colleges of the University

Section 33(8)

12.02 Subject to the provisions of this Act, the University may establish constituent colleges in such other places with the prior approval of the State Government.

Part -3

Affiliated Colleges of the University

Affiliated Colleges of the University

12.03 The list of Affiliated colleges of University shall promulgated through the notification time to time by the University.

(a) affiliated to new colleges

affiliated new colleges

Section 35(1)(g)

12.04 The affiliation and non-affiliation shall be made under the University Grant Commission (affiliation to the colleges by the University) Regulation, 2009 but the University have power to levy prescribed fee.

Eligibility criteria for temporary affiliation

12.05 **Eligibility criteria for temporary affiliation**

The college seeking affiliation shall satisfy the following requirements, or the requirements in respect of any of them prescribed by the Statutory/Regulatory body concerned, in the case of technical/professional courses only, at the time of affiliation:

(1) Undisputed ownership and possession of land, free from any or all encumbrances measuring not less than 2 acres if it is located in Metropolitan cities, and 5 acres if it is located in other areas.

(2) Administrative, academic and other buildings with sufficient accommodation to meet the immediate academic and other space requirements as specified by the University for each of the higher education course/programme with adequate scope for future expansion in conformity with those prescribed by the UGC/Statutory/ concerning Regulatory body remember also that all constructed buildings should be as per norms of disabled persons.

(3) Academic building sufficient to accommodate the faculties, lecture/seminar rooms, library and laboratories with minimum of 15 sq ft per student in lecture/seminar rooms/library and 20 sq ft per student in each of the laboratories.

(4) Number of teaching and non-teaching staff should be according the University criterion.

(5) Adequate essential civic facilities like water, electricity, ventilation, toilets, sewerage, etc. in conformity with the norms laid down by Central/State PWD.

(6) A library with at least 1000 books, or 100 books in different titles on each subject, whichever is more, of the proposed programmes to include both text books and reference books, besides two journals per subject, along with a book bank facility for students belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribes and other such sections as may be specified by the UGC from time to time.

(7) Necessary laboratory equipments as prescribed by University/Statutory/ Regulatory body for each higher education for each programme. In which no criteria is fixed by the statutory/ regulatory bodies for the courses / subjects, the criterion made by Executive Council of the University shall be applicable in regard of their Laborites. It shall be essential required budget provisions in the college/ teaching institutions for recurring and non recurring expenditures shall be according the fixed norms of the Laborites.

(8) It shall be essential required numbers of computer (with the internet facility) for conduct management with the necessary equipment and machines and sufficient furniture for the lecture and laborite room, staff and departmental room, principal and office room, library, museum, common room and other all rooms of the degree college /educational institution.

(9) The Management of the Government Degree Colleges shall be conducted according the guide lines and control of the higher education directorate in the higher education department. The Management of the grant-in-aid, private degree colleges and teaching institutions Shall be managed by a duly constituted and registered under the Society Registration Act, 1860 or Indian Trust Act, 1982.

(10) If the degree college/ teaching institutions is not running by the University than shall satisfy the University that adequate financial provision is available for running the College for at least three years without any that adequate financial provision is available for running the College for at least three years without any aid from external source. The degree colleges /teaching institution established by the State Government this is not essential for him. It shall produce evidence of creating and maintaining a Corpus Fund permanently in the name of the College by way of irrevocable Government Securities of Rs. 15 lakh per programme, if the college proposes to conduct programmes only in Arts, Science and Commerce, Rs. 35 lakh per programme or as prescribed by the relevant Statutory body, if it proposes other professional programmes, or FDRs for like amounts jointly held by the College and the University for a minimum lock period of three years. This guaranty /fixed deposit shall be provided with application of affiliation. The interest accrued out of it may be utilized by the college with the prior permission of the University for strengthening infrastructure facilities. The degree colleges/ teaching institutions Shall also provide an undertaking to the University that it has adequate recurring income from its own resources for its continued and efficient functioning.

(11) The criterion of Assistant Professors and Office/library/ laboratory staff in the Government and Government grant-in-aid degree colleges shall be according the worked Burdon fixed by the Government. Regarding the qualification, selection and appointment procedure and payment of salary to the Assistant Professor and Staff shall be in compliance to orders by the Government and the University Grant Commission from time to time. The approval of appointment of the Assistant Professor of the grant-in-aid degree colleges shall be obtain necessarily within the three month from the date of obtain affiliation from the University. The information regarding any type of changes in the all working employees in the Government and grant-in-aid degree colleges shall be made available necessarily to the Government, University and higher education directorate within a two week.

(12) Creation of posts of Lecturer and other Staff and fixation of duties for the private degree colleges/ teaching institutions and self finance courses shall be made as per fix standard by the statutory/ regulatory bodies. If no standard fixed in this regard by these bodies than shall be made according the fixed standard by the Government or University. The eligibility for the appointment on the post of Assistant Professor/ Professor shall be made according the fixed standard by the University Grant Commission or concerning Statutory/ regulatory body. The approval of appointee Lecturer for the private degree colleges/ teaching institutions and self finance courses shall be obtain necessarily within three month of the affiliation.

(13) The fixation of fee for courses in the Government and Grant-in-aid degree colleges shall be made by the Government. The fixation of fee and admission in the private degree colleges / teaching institutions shall be made according the provisions of the Uttarakhand Private Professional Educational Intuitions (Admission and Fee Fixation Regulation) Act, 2006. Regarding admission and fee in which no provisions provided under the provision of this Act, in these matters Rules made by University and approved by the Government shall be complied.

(14) No one degree college/educational institutions give admission to the students in any courses in the anticipation of the affiliation and no one made admission in any courses more than sanctioned seats by the University. Prior approved and conducted courses also not repeal in any degree college/ educational institutions without the permission of the University.

(15) The degree college/ educational institutions shall comply the Government direction on the academic and welfare related activities for the students of Scheduled Caste, Scheduled Tribes and minority with the deprived class.

(16) The account of income –expenditure of all courses conducted by the any degree college/ educational institution and all necessary register and records shall be maintained as per rule and shall be made audit of prior account for 30th June in the end of every financial year and shall provide audit report on the demand by the University, Government / Higher Education Directorate.

(17) To maintain educational status and monitoring of execution with courses for evaluation, the concerning statutory / regulatory body/Government/ higher education directorate, required information made available atonce by the degree college/ teaching institutions. In this regard in compliance of all orders and directions issued by the statutory / regulatory body/Government/ higher education directorate shall be made by the degree college/ educational institutions.

(18) The web site shall be made necessarily by every degree college/ educational institutions in which all important information shall be made show as name, address, year of establishment, detail of institution and their office bearer, detail of all staff, conducted courses, fee structure, recognization, available facilities and annual accounts etc.

Procedure for granting temporary affiliation

12.6 Procedure for granting temporary affiliation

(1) The application to start a new college and to get it affiliation to the University can be submitted by Registered Society under the Society Registration Act, 1860 or Indian Trust Act, 1882 with mentioning the proposed courses for affiliation on the pad of institution by the clearly mentioned the object of educational propaganda/ expansion /promotion in his constitution (with the Rs.2500 for Government degree colleges and Rs. 5000 for the other degree colleges / teaching institutions) shall be produced. The fee shall not be refund in any case. If for affiliation of any courses the no objection certificate is essential by the relevant statutory/regulatory body than the no objection certificate is also necessary enclosed with the application. The affiliation form shall be provided to the applicant institution by the University within a month and completed affiliation form shall be submitted before six month of the academic year of University by the applicant institutions. With the affiliation form all standard forms and affidavit shall also be produced as prescribed by the Government. Simultaneously a project report on fixed points shall be produced as prescribed by the Government.

(2) For reimbursement of expenditure of the inspection, spot inspection and other work of affiliation proposals of the new degree colleges/ educational institute shall deposit process fee Rs. 10000 for Government degree college and 50000 for other degree colleges/ educational institutions in the University. The process fee shall not refund in any case.

(3) The purposed degree college/ educational institutions desired to seeking affiliation at the time of inspection the all standard fixed by the concerning statutory /regulatory body shall be complete essentially. The proposal of proposed institution/ Trust/Society if found satisfactory than the spot inspection of the proposed degree college/ education institution shall be made through the following constituted committee as per rule-

1. One subject expert nominated by the Vice-Chancellor.

2. Concerning Dean or equivalent educationist nominated by the Vice-Chancellor.

3. A representative District level officer by the higher educational department of the Government not below the rank Deputy Director/ principal.

4. An Engineer from the PWD not below the rank of Executive Engineer.

One of the subject experts at the level of the Professor, as nominated by the Vice-chancellor, shall be the Chairperson of the Committee.

(4) The fixation of seats in the subjects/ courses would be provide to the affiliation by the University shall be fixed on the basic of available facilities, standard of statutory/ regulatory bodies and inspection report of the degree college/ educational institutions.

(5) After the approval of the Hon'ble Chancellor and approved of executive council for providing affiliation to the degree college/ educational institutions, the admission of the students, teaching, examination and other than teachers activities shall be conducted by the concerned degree college/ educational institutions.

(6) The extension of providing temporary affiliation to the degree college/ educational institutions shall also made according the said fixed procedure.

(7) In any stage of procedure of the providing affiliation to the degree college/ educational institutions if fixed standard /procedure is incomplete and the proposal of affiliation is rejected than intimation to the concerned degree college/ educational institutions shall be given accordingly in due course and only security money shall be returned to the degree college/ educational institutions. If after that any degree college/ educational institutions complete the prescribed procedure than after six month from the date of application rejection for re-affiliation, the above procedure shall be complied.

Eligibility criteria and procedure for obtaining permanent affiliation

12.7 Eligibility criteria and procedure for obtaining permanent affiliation :

(1) The college shall have completed at least minimum five years of satisfactory performance after getting temporary affiliation and attained the academic and administrative standards as prescribed by the UGC/ Statutory/Regulatory bodies/ Government/University seeking permanent affiliation by the proposed degree college.

(2) The degree college/educational institutions shall have completed construction of building and all infrastructure facilities as prescribe standard and procedure by the degree college/ educational institutions.

(3) All the teaching and non-teaching staffs are appointed for temporary affiliation against standard prescribed by the degree college/ educational institutions.

(4) For permanent affiliation the concerning degree college /educational intuitions shall apply for permanent affiliation on prescribed form after completing five years of temporary affiliation. For reimbursement of expenditure of the inspection, spot inspection and other work of affiliation proposals of the new degree colleges/ educational institute shall deposit process fee Rs. 10000 for Government degree college and Rs. 50000 for other degree colleges/ educational institutions in the University. The process fee shall not refund in any case.

(5) The procedure for according permanent affiliation shall be the same as for granting temporary affiliation but project report of any proposed development plan for the ten year shall be produced.

(6) The degree college / educational institutions shall compulsory constitute a development council of the selected students and staff for discussion on future project by the degree college/ educational institutions.

(7) The accreditation by national accreditation and certification council and any other statutory accreditation agency of the degree college/ educational institutions shall be compulsory.

procedure and criteria of affiliation of postgraduate level / syllabus / new subject

12.8 New subject/ courses in established degree college/ teaching institutions from prior and affiliation for conducting courses on master degree level to the graduate degree colleges / teaching institutions shall be consider on those cases when conducting subject / courses permanent affiliation is provided. The norms and procedure provide affiliation of new subject/ courses/ master degree level, the procedure shall be according prescribed norm and procedure for temporary affiliation.

Withdrawal of affiliation and penalties

12.9 Withdrawal of affiliation and penalties

(1) The privileges conferred on a college by affiliation may be withdrawn in part or in full, suspended or modified, if the college, on due enquiry, is found to have failed to comply with any of the provisions of the Act, the Statutes, the Ordinances, the Rules and /regulations or any other direction or instruction on the UGC/ University/ Statutory body concerned, or failed to observe any of the conditions of affiliation, or has conducted itself in a manner prejudicial to the academic and administrative standards and interests of the University.

(2) If an affiliated college ceases to function or is shifted to a different location or is transferred to a different Society, Trust, individual or a group of individuals without the prior approval of the University, the affiliation granted to the college shall lapse automatically on such ceaser, shifting or transfer, as the case may be, and it shall be treated as a new college for the purpose of future affiliation. The University/Government shall alleviate the educational future of the affected students of the college who were on rolls at the time of issue of the order till they pass out the normal duration of programmes to which they are registered at that time in an appropriate manner as per its decision.

(3) If the university decides to withdraw the affiliation of the college, or the affiliation stands terminated by the order of the university, temporarily or permanently, such decision shall not affect the interests of the students of the college who were on its rolls at the time of the issue of the order till they pass out the normal duration of the programmes to which they are registered at that time. The University/Government shall have the duty to alleviate the educational future of the affected students in an appropriate manner as per its decision.

(4) If any University grants affiliation to a college which does not fulfill the conditions for affiliation as per the regulations, or if the University grants affiliation in contravention of the relevant provisions of the UGC Act 12 (b)and the Commission/ statutory/ regulatory may take such action as it may deem fit, including that of withholding the grants to the University and delisting the said University from the list of universities maintained by the commission under section 2(f) the UGC Act.

(d) Finance Account and Audit

Finance Account and Audit

12.10 (a) The management of each affiliated college shall be assisted by a Finance Committee which shall consist of:-

(i) the President or the Secretary of the management of the college, Chairman

(ii) two other members elected by the Management from amongst themselves, member.

(iii) the Principal (Ex-officio) member;

(iv) the senior most teacher of the College/Institution (Ex-officio), member;

(b) The Principal of the college shall be the member secretary of the Finance Committee and be entitled to convene its meeting.

Annual Budget Section 35(1)(g)

12.11 The Finance Committee shall prepare the annual budget of the college (except of the Students Funds) which shall be placed before Board of the Management for their consideration and approval.

New Expenditure

12.12 New Expenditure which is not included in the budget of the college shall not be incurred without references to the Finance Committee.

Section 35(1)(g) recurring expenditure

12.13 The recurring expenditure provided for in budget shall be controlled by the Principal subject to any specific directions that may be given by the Finance Committee.

Student Fund Section 35(1)(g)

12.14 All Student's Fund shall be administered by the Principal/Director assisted by such different Committees as Games and Sports Committee, Cultural Committee and such other student activities Committee etc. which shall include representatives of students of the college concerned.

Accounts of the Students Funds

12.15 Accounts of the Students Funds shall be audited by a qualified auditor appointed by the Board or Management not from amongst its members. The audit fees will be a legitimate charge on the Students Funds of the college. The audit reports shall be placed before the Board Management.

Restriction of students fund

12.16 The Student, Funds and the fee income from the hostels shall not be transferred to other fund and no loan shall be taken from these funds for any purpose whatsoever.

Chapter-13

Award and withdrawal of degrees and diploma

withdrawal and provide of degrees and diploma

13.01 (1) The degrees of Doctor of Literature (D. Lit), honors cause may be conferred upon such persons as have contributed substantially to the advancement or for conspicuous service rendered by them to the cause of Literature, Philosophy, Art, Music, drawing .

Section 7(e) 35(1)(e)

(2) The degree of Doctor of science (D.Sc.) honors Cause may be conferred upon such persons who have contributed substantially to the advancement of any branch of science or technology or to planning organizing or developing scientific and technological institutions in the country.

(3) The degree of Doctor of Laws (L.L.D.) honors Cause may be conferred upon such persons who have contributed substantially to the advancement of Lawyers, Judge and jurist and who have made important contributions to public welfare.

Conferment of honorary degree

13.02 The Executive Council may, suo-moto or on the recommendation of Academic Council by a resolution passed by a majority of its total membership and also of not less than two thirds of the members present and voting submit a proposal for conferment of Honorary degree to the Chancellor for conferment under section 9(2) of the Act ;

Provided that no such proposal shall be submitted in respect of a person who is a member of any authority/body of the University.

withdrawal of degree

13.03 Before taking any action under section 44 of the Act for the withdrawal of any degree, diploma, and certificate conferred or granted by the University, the person concerned shall be given an opportunity to explain the charges against him. The charges framed against him shall be communicated by the Registrar by registered post and the person concerned shall be required to submit his explanation within a period of fifteen days of the issue of such letters.

withdrawal of an honorary degree

13.04 Every proposal for the withdrawal of an honorary degree/degree shall require previous sanction of the Chancellor.

Procedure of withdrawal of honorary degree

13.05 (a) After the recommendation of the academic council with the consent of attached faculty board where the research work may be completed the requirement of section 7 of the Act, as a such institutions by the academic council grant recognization. Thus grant recognization may withdrawal by the academic council on the recommendation given by the academic council with the consent of the attached faculty board.

(b) Thus the management of recognized institutions --

(i) The information of constitution of managing committee or other equivalent body appointed by a person or body to maintain the institution shall be given; or

(ii) vest in the director appointed by the person or body to maintain the institution.

(c) The Guide line of the research work in any recognized institutions, may be done by the director and other teachers whose the recognization may be given as a supervisor or advisor for the degrees of D.lit or D.S.C or LLD or D. Fill of the University.

(d) The Director and other teachers of the institution, if they are agreed with that he can deliver a lecture in the seminar of higher quality to the research of the University with the consent of the attached head of the department.

(e) Any person who is hold required qualifications and who is interested to work in research in the institution for the research degree of University, give a application to the Registrar through the director of the institution. Application received shall be pleased before the research degree committee of the University constitute under the Ordinances and if approved by the committee than on the payment of such fee as may be prescribed by the Ordinances to permit the start work to the applicant.

(f) Special grant or gift received for the institutions shall be maintained for the institutions and shall be expenditure for the institution. Any part of a grant of any equivalent teaching department of the University shall not be spent for any institution.

Chapter-14

Convocation

Convocation

Section 35(1)(g)

14.01 (1) Convocation for conferring the degrees and other academic distinctions may be held by the University not more than once in a year on such date and at such time as the Executive Council may fix.

(2) A special convocation may be held by the University with the prior approval of the Chancellor.

(3) In the convocation specified persons shall be the Chancellor, Vice chancellor, members of the Executive council, Court and Academic council.

Local convocation Section 35(1)(g)

14.02 A local convocation may be held at each affiliated college on such date and such time may with the prior approval of the Vice Chancellor in writing.

Combined convocation Section 35(1)(g)

14.03 Combined convocation may be held in two or more colleges in the manner prescribed in Statutes 14.02.

procedure of convocations Section 35(1)(g)

14.04 The procedure to be observed at the convocations referred to in this Chapter and other matters connected therewith shall be such as may be laid down in the Ordinances.

affiliated/affiliated college convocation Section 35(1)(g)

14.05 Where the University, or any affiliated/affiliated college does not find it convenient to hold the convocation in accordance with Statutes 14.01 to 14.04, the degrees and other academic distinctions may be dispatched to the candidates concerned by registered post.

Chapter-15

Part 1- The condition of service to the teachers of the University

The condition of service to the teachers of the University Section 35(1)(g)

15.01 Any teacher or appointed specified in statutes 10.02 (1), sanctioned leave for a period of more than ten month, in such vacancy shall be appointed University teacher by the written contract in performa given in the Appendix C.

loyal to truth and dutiful conduct

15.02 The teacher of University shall be loyal to truth and dutiful always and to comply conduct code given in Appendix D who is the part of a agreement and made signature by the teacher at the time of his appointment.

Punishment

15.03 The contravention of any provisions of the conduct code given in Appendix D shall be deemed misbehavior in the meaning of Statutes 15.04(1).

The condition of service

15.04 (1) A teacher of the University may be dismissed removed or his services terminated on one or more of the following grounds : ---

(a) wilful neglect of duty;

(b) misconduct;

(c) breach of any of the terms of contract of service

(d) dishonesty connected with University examinations/activities;

(e) scandalous conduct or conviction for an offence involving moral turpitude;

(f) physical or mental unfitness;

(g) incompetence;

(h) abolition of the post.

(2) Except of the provisions for termination of the contract shall be given minimum three month notice (or when notice is given after the month of October than three month or the notice till the end of session whichever is more) by a part. Or in place of such notice three month salary shall be given on deposited;

Provided that where the University terminate or remove or withdrawal the services of any teachers of the University under clause (1), there is no necessity of such notice;

Provided further that the parties shall be free for give the conditions of notice in full or partly by the mutual understanding.

Section 29(9)35(1)(g)

15.05 (1) No order of dismissing, removing or terminating the services of a teacher of the University on any ground mentioned in clause(1) of statute 15.04 (except in the case of a conviction for an offence involving moral turpitude or of abolition of post), shall be passed unless a charge has been framed against the teacher and communicated to him with a statement of the grounds on which it is proposed to take action and he has been given adequate opportunity-

(i) of submitting a written statement of his defense;

(ii) of being heard in person, if he so chooses; and

(iii) of calling and examining such witnesses in his defence as he may wish.

Provided that the Executive Council or an officer authorised by it to conduct the enquiry may, for sufficient reasons to be recorded in writing, refuse to call any witness.

(2) The Executive Council may, at any time ordinarily within two months from the date of the Inquiry Officer's report pass a resolution dismissing or removing the teacher concerned from service or terminating his services mentioning the ground of such dismissal, removal or termination.

(3) The resolution shall forthwith be communicated to the teacher concerned.

(4) The Executive Council may, instead of dismissing removing or terminating the services of the teacher, pass a resolution inflicting a lesser punishment by reducing the pay of the teacher for a specified period not exceeding three years and or by stopping increments of his salary for a specified period or may deprive the teacher of his pay during the period of his suspension, if any.

Contemplation of an inquiry

section 26(9) and 35(1) (g)

15.06 (1) The Disciplinary Committee referred to in Statute 8.01 may recommend the suspension of a teacher during the pendency or in contemplation of an inquiry into charges against him, on the grounds mentioned in sub-clauses (a) to (e) of clause (1) of Statute 15.04. The order of suspension, if passed in contemplation of an inquiry, shall cease at the end of four weeks of its operation unless the teachers has in the meantime been communicated the charge or charges on which the inquiry was contemplated.

(2) A teacher of the University --

(a) With effect from the date of his conviction, if in the event of a conviction for an offence, he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty eight hours and is not forthwith dismissed or removed consequent to such conviction.

(b) In any other case, for the duration of his detention if he is detained in custody, whether the detention is for any criminal charge or otherwise.

Explanation :- The period of forty eight hours referred to in sub-clause (a) of this clause, shall be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose, intermittent periods of imprisonment, if any, shall be taken into account.

(3) Where the order of dismissal or removal from service of a teacher of the University is set aside or declared or rendered void in consequence of any proceedings under the Act or these Statutes or otherwise, and the appropriate officer, authority or body of the University decides to hold a further inquiry against him, then if the teacher was under suspension immediately before such dismissal or removal, the suspension order shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal or removal.

(4) During the period of his suspension, the teacher of the University shall be entitled to get subsistence allowance in accordance with the provisions of chapter VIII of part II of the Uttar Pradesh Government's Financial Hand Book,(as applicable to the State of Uttarakhand) and as amended from time to time and shall apply *mutatis mutandis* .

Stay order from any court

15.07 For purposes of clause (2) of Statute 15.05 or clause (1) of Statute 16.06 computing the maximum period, such duration in which the a stay order in a force shall not be included.

Remuneration

section 35(1)(g)

15.08 No teacher of the University shall draw for any duties performed in connection with any examination referred in any calendar year, any remuneration in excess of that calendar year of twelve thousand rupees, whichever is less.

Condition for teacher

section 35(1)(g)

15.09 Notwithstanding anything contained in these statutes:-

(i) A teacher of the University who is a member of Parliament or State Legislature shall not throughout the term of his membership hold any administrative or remunerative office in the University;

(ii) If a teacher of the University is holding any administrative or remunerative office in the University from before the date of his election or nomination as a Member of Parliament or the State Legislature, then he shall cease to hold such office with effect from the date of such election or nomination or with effect from commencement of these Statutes, whichever is later;

(iii) A teacher of the University who is elected, or nominated to Parliament or the State Legislature, shall not be required to resign or to take leave from the University for the duration of his membership or, except as provided by Statute 16.11 for attending the meeting of any House or committee thereof.

section 35(1)(g)

15.10 The Executive Council shall fix a minimum number of days during which such teacher shall be available in the University for his academic duties:

Provided that where a teacher of the University is not so available because of the sessions of the Parliament or the State Legislature, he shall be treated on such leave, as may be due to him, and if no leave is due, then on leave without pay.

Part -2

Leave rules for teachers of the University

Leave rules of teachers of the University

Section 35(1) (g)

15.11 Leave shall be of the following categories--

(a) Casual leave;

(b) privilege leave;

(c) Sick leave;

(d) duty leave;

(e) long term leave;

(f) Extraordinary leave;

(g) Maternity leave/ Child care leave;

(h) Paternity leave.

Casual leave
Section 35(1) (g)

15.12 Casual leave shall be on full pay for not more than seven days in a month or fourteenth days in a session and shall not accumulate; it will not ordinarily be combined with holidays, but in special circumstance the Vice-Chancellor may waive this condition for reasons to be recorded in writing.

Privilege leave

15.13 Privilege leave shall be on full pay for ten working days in a session and may accumulate upto sixty working days.

Medical leave

15.14 Sick leave shall be on the difference between the current rate of pay and the total cost of the leave arrangements, if any, with a minimum of half pay, for one month in a session and shall not accumulate.

duty leave
Section 35(1) (g)

15.15 Duty leave upto fifteen working days shall be on full pay for attending meetings of any of the University bodies. adhoc Committees and Conferences of which a teacher may be ex-officio member or to which he may have been nominated by the University and for conducting examination of the University.

long term leave

15.16 Long term leave, which shall be on half pay for one month in a session, and may accumulate up to twelve months, may be granted for reasons such as prolonged illness, urgent affairs, approved studies or preparatory to retirement:

Explanation: Provided that in case of prolonged illness, the leave may, at the discretion of the Executive Council, be on full pay for a period not exceeding six months.

Provided further that such teachers as are selected for the "Teacher fellowships" by the University Grants Commission or for training or study in a foreign country under other scheme sponsored by the Commission, may be granted leave on full pay for the duration of such fellowship training or study on such terms and conditions as may be specified by the State Government.

Extraordinary leave
Section 35(1) (g)

15.17 Extraordinary leave shall be without pay. It may be granted for such reasons as the Executive Council may deem fit for a period not exceeding three years initially but may be extended for a period not exceeding two years under special circumstances except in the circumstances mentioned in Statute 15.10.

Explanation (1) A teacher who holds a permanent post or who being permanent on a lower post has been officiating on a higher post for more than three years, shall subject to the concurrence of the State Government, be entitled to count the period of extra ordinary leave sanctioned for undertaking higher scientific and technical studies towards his increment in the scale.

(2) Subject to the concurrence of the State Government, a teacher who holds a temporary post and has been sanctioned such leave shall, on return from such leave be entitled to get his pay fixed in accordance with Fundamental Rule 27 of the Financial Hand Book Volume II to IV at such stage in the time scale as he would have got had he not proceeded on such leave provided that the study for which such leave was sanctioned was in the public interest.

Maternity leave
Section 35(1) (g)

15.18 Maternity leave/ child care leave on full pay to female teachers for a period of six months from the date of commencement of maternity and six weeks from the date of delivery time;

Provided that such leave shall not be granted for the live children more than three times in the entire service of the teacher.

Leave matter right **15.19** Leave cannot be claimed as a matter of right. If the exigencies of the occasion demand, the sanctioning authority may refuse leave of any kind and may even cancel the leave already granted.

Sick leave section 35(1)(g) **15.20** Sick leave or long terms leave on account of prolonged illness can be granted on the production of medical certificate from a Registered Medical Practitioner. In a case of such leave exceeding fourteen days, the Vice-Chancellor shall be competent to call for a second certificate of a Registered Medical Practitioner approved by him.

Leave sanction section 35(1)(g) **15.21** The authority competent to grant leave will be the Vice-Chancellor except in the case of long-term leave and extraordinary leave, which will be granted by the Executive Council.

Paternity leave **15.22** The paternity shall be admissible two time in the whole service period on the duration of maximum fifteen days.

Part- 3

The age of superannuation

The age of superannuation Section 35(1) (g) **15.23** The amendment Government Order of the Government of Uttarakhand shall be applicable from time to time to related age of superannuation.

Part -4 Other provisions

Other provisions **15.24** Any contract of appointment between a teacher and University entered into before the commencement of these Statutes shall be subject to the provision of the Statutes contained and shall be deemed to be modified in accordance with the provisions terms contained in Appendix 'D' read with Appendix 'C'

Other provisions **15.25** A teacher of the University dismissed on any of the grounds mentioned in clause (b), clause (c), clause (d) or clause (e) of Statute 15.04 (1) shall not be re-employed in any University or in any affiliated or constituent degree college with any such University in any capacity.

Annual Academic Progress Report **15.26** (1) Every teacher of the University shall prepare, in duplicate his Annual Academic Progress Report in Appendix "E" of Form 3. The original Report shall be lodged with the Vice-Chancellor and the copy thereof shall be retained by the teacher himself.

(2) The original Report shall, before being lodged with the Vice-Chancellor, be countersigned in the case of teachers other than the Head of a Department by the Head of the Department concerned.

(3) The report in respect of an academic session shall be lodged by the end of July following the said session, or within one month from the close of the session whichever is later.

Directions of the officers **15.27** Every teacher of the University shall be bound to comply with the directions of the officers and authorities of the University in connection with the examination conducted by the University.

Notice **15.28** Where under the provision of the Act or these Statutes or the Ordinances, a teacher is required to be served with any notice and such teacher is not in station, the notice may be sent to him by registered post at his last known address.

Chapter-16

Part -1

The condition of service of teachers of the Affiliated Colleges

The condition of service of teachers of the Affiliated Colleges

16.01 The provisions of this Chapter shall not apply to the teachers of any college exclusively maintained by the State Government or a local authority.

Appointed a written contract

16.02 Except in the case of an appointment under Proforma (1) or (2) in a vacancy caused by the grant of leave to a teacher for a period not exceeding 10 months, teachers of an affiliated college shall be appointed on a written contract in the Form set out in Appendix 'D'.

Teachers absolute integrity and devotion to duty

16.03 (1) A teacher of an affiliated college shall at all times maintain absolute integrity and devotion to duty and shall observe the Code of Conduct as set out in Appendix "C" which shall form part of an agreement to be signed by the teacher at the time of appointment.

(2) A breach of any of the provisions of the Code of Conduct as set out in Appendix "C" shall be deemed to be a misconduct within the meaning of Statute 16.04. (1).

Services terminated of teachers

16.04 (1) A teacher of an affiliated college (other than a Principal) may be dismissed or removed or his services terminated on one or more of the following grounds :

(a) wilful neglect of duty;

(b) misconduct, including disobedience to the orders of the Principal;

(c) breach of any of the terms of contract of service;

(d) dishonesty connected with the University or College examination;

(e) scandalous conduct or conviction for an offense involving moral turpitude;

(f) physical or mental unfitness;

(g) incompetence;

(h) abolition of the post with the prior approval of the Vice-Chancellor.

(2) A Principal of an affiliated college may be dismissed or removed, or his services terminated on grounds mentioned in clause (1) or on the ground of continued mismanagement of the college.

(3) Except as provided by clause (4), not less than three months' notice (or where notice is given after the month of October, then three months' notice or notice ending with the close of the session whichever is longer) shall be given on either side for terminating the contract, or in lieu of such notice, salary for three months (or longer period as aforesaid) shall be paid:

Provided that where the Management dismisses or removes or terminates the services of a teacher, under clause (1) or clause (2) or when the teacher terminates the contract for breach of any of its terms by the Management, no such notice shall be necessary;

Provided further that parties will be free to waive the condition of notice, in whole or in part by mutual agreement.

(4) In the case of any other teacher appointed in a temporary or officiating capacity his services shall be terminable, by one months' notice or on payment of salary in lieu thereof on either side.

Date of appointment

16.05 The original contract of appointment of a Principal or other teacher shall be lodged with the University for registration within three months of the date of appointment.

Conviction for an offense involving moral of a teachers

16.06 (1) No order dismissing removing or terminating the services of a teacher on any ground mentioned in clause (1) or clause (2) of Statute 16.04 (except in the case of a conviction for an offense involving moral turpitude or of abolition of post) shall be passed unless a charge has been framed against the teacher and communicated to him with a statement of the grounds on which it is proposed to take action and he has been given adequate opportunity-

(i) of submitting a written statement of his defense;

(ii) of being heard in person, if he so chooses; and

(iii) of calling and examining such witness in his defense as he may wish;

Provided that the Management or the officer authorised by it to conduct to inquiry may, for sufficient reasons to be recorded in writing, refuse to call any witness.

(2) The Management may, at any time ordinarily within two months from the date of the Inquiry Officer's report pass a resolution dismissing or removing the teacher concerned from service, or terminating his services mentioning the grounds of such dismissal, removal or termination.

(3) The resolution shall forthwith be communicated to the teacher concerned and also be reported to the Vice-Chancellor for approval and shall not be operative unless so approved by the Vice-Chancellor.

(4) The Management may pass a resolution inflicting one or more than a lesser punishment instead of dismissal removal or termination of the services of the teacher, namely-

(1) by reducing the pay for a specified period;

(2) by stopping annual increments for a specified period not exceeding three years; and

(3) may deprive of his pay during the period, if any, which under no subsistence allowance, of his suspension.

The information shall be forward to the Vice-Chancellor of resolution for giving such panel by the Management and such punishment shall come into force from such date when the Vice-chancellor has approved till limitation.

Teacher during the pendency or in contemplation of an inquiry

16.07 The Management shall have the power to suspend a teacher during the pendency or in contemplation of an inquiry into charge against him, on the grounds mentioned in sub-clauses (a) to (e) of clause (1) of Statute 16.04 in an emergency, (in the case of teacher other than Principal) this power may be exercised by the Principal in anticipation of the approval of the Management. The Principal shall immediately report such case to the Management. The order of suspension if passed in contemplation of an inquiry, shall cease at the end of four weeks of its operation, unless the teacher has in the meantime been communicated the charge or charges on which the inquiry was contemplated.

Stay order

16.08 In computing the maximum period for the purposes of clause (2) of Statute 16.06 and Statute 16.07 any period during which a stay order from any court of law is in operation shall be excluded.

Remuneration

16.09 No teacher of an affiliated college shall draw for any duties performed in connection with any examination referred in any calendar year, that calendar year or twenty five thousand rupees, whichever is less.

Terms of his membership

Section 35(1) (g)

16.10 Notwithstanding anything contained in these Statutes-

(i) A teacher of an affiliated degree college who is a member of Parliament or State Legislature shall not, throughout the term of his membership hold any administrative or remunerative office in the college or in the University with which such college is affiliated;

(ii) if a teacher of an affiliated college is holding any administrative or remunerative office in the college or in the University to which such college is associated, from before the date of his election or nomination as a Member of the Parliament or the State Legislature, then he shall cease to hold such office with effect from the date of such election or nomination with effect from the commencement of these Statutes whichever is later.

(iii) a teacher of an associated college who is elected or nominated to the Parliament or the State Legislature shall not be required to resign or to take leave from such college for the duration of his membership or except as provided by Statute 16.11 for attending the meetings of any House or Committee thereof.

Explanation- The member of any authority or body of the University or the Deanship of a Faculty or the Principal ship of any college shall not be deemed to be an administrative office for the purposes of this Statute.

Academic duties

Section 35(1) (g)

16.11 The management of an affiliated college shall, with prior approval of the Vice-Chancellor, fix a minimum number of days during which such teacher shall be available in the college for his academic duties:

Provided that where a teacher of the college is not so available because of the sessions of the Parliament or the State Legislature, he shall be treated on such leave as may be due to him, and if no leave is due then on leave without pay.

Part-2

Leave rules for teachers of affiliated degree colleges

Leave related rules of the teachers of an Affiliated Colleges

Section 35(1) (g)

16.12 The provisions of Statutes 15.11 to 15.21 relating to the leave Rules of teachers of the University shall be applicable to the teachers of an Affiliated College with the substitution of the words "Management" and "Principal" for the words "Executive Council" and "Vice-Chancellor" respectively.

Part 3- The age of superannuation of the Affiliated degree Colleges

16.13 In this part "new pay scale" for the posts means the order of Government of the Uttarakhand State as amended from time to time.

Section 35(1) (g)

16.14 (1) The age of superannuation of any teachers of the University covered by new pay scale shall be 65 years.

(2) The age of superannuation of if any teachers of the University who is not covered by new pay scale shall be 60 years.

(3) No one increase after the age of superannuation in service of any teacher after the commencement of these Statutes.

Part -4

Other provisions

Section 35(1) (g) **16.15** Any contract of appointment between a Principal or other teachers of an Affiliated degree College and the Management entered into before the commencement of these Statutes shall be subject to the provisions of the Statutes contained in this Chapter, and shall be deemed to be modified in accordance with the provisions of this Chapter and in accordance with the terms contained in the form (1) or (2) set out in Appendix 'E' read with Appendix 'D'.

Section 35(1) (g) **16.16** A teacher of an affiliated degree college dismissed on and the grounds mentioned in clause (b), clause (c), clause (d) or clause (e) of Statute 16.04 (I) shall not be re-employed in any University or in any college affiliated to constituent with such University in any capacity.

Modification **16.17** The provisions of clauses (2) to (4) of Statute 15.06, Statutes 15.28, 15.29 and 15.30 shall *mutatis mutandis* apply to every teacher of an affiliated college with the following modification, namely :

(a) In clauses (2) to (4) of Statute 15.06 for the words "Vice-Chancellor", and "Executive Council", the words "Principal" and "Management" shall be substituted;

(b) In Statute 15.28, for the words "Vice Chancellor" and "Head of the Department", the words "Principal" and the "Senior most, Lecturer" in the Department shall respectively be substituted.

Chapter-17

Part 1- Seniority to the teachers of the University

Seniority to the teachers of the University **17.01** The Statutes contained in this Chapter shall not affect the *inter-se seniority* of teachers employed in the University from before the commencement of these Statutes.

Seniority list **17.02** It shall be the duty of the Registrar to prepare and maintain, in respect of each category of teachers of the University, a complete and up-to-date seniority list in accordance with the provisions hereinafter appearing.

Service of seniority **17.03** The seniority among Deans of the Faculties shall be determined by the total period of service they have put in as Deans of the Faculties:

Provided that when two or more Deans have held the said office for equal length of time, the Dean who is senior in age shall be considered to be senior for the purposes of this chapter.

Seniority among Heads of Departments Section 35(1) (g) **17.04** The seniority among Heads of Departments shall be determined by the length of the total period of service they have put in as Heads of Department.

Provided that when two or more Heads of Department have held the said office for equal length of time, the Head of Department who is senior in age shall be considered to be senior for the purpose of this Chapter.

Rules seniority of the teachers **17.05** The following rules shall be followed in determining the seniority of teachers of the University:-

Section 35(1) (g)

(a) A Professor shall be deemed senior to every Associate Professor, and a Associate Professor shall be deemed senior to every assistant Professor;

(b) In the same cadre, *inter-se seniority* of teachers, appointed by personal promotion or by direct recruitment, shall be determined according to length of continuous service in such cadre.

Provided that where more than one appointments have been made by direct recruitment at the same time and an order of preference of merit was indicated by the selection committee or by the Executive Council, as the case may be, the *inter-se seniority* of persons so appointed shall be governed by the order so indicated:

Provided further that where more than one appointment have been made by promotion at the same time, the *inter-se seniority* of the teachers so appointed shall be the same as it was in the post held by them at the time of promotion.

(c) When any teacher holding substantive post in any University or in any college or in any Institute whether in the state of Uttarakhand or outside Uttarakhand, a post of corresponding rank or grade in the University the period of service rendered by such teacher in that grade or rank in such University be added to his length of service;

(d) When any teacher, holding substantive post in any college affiliated or constituent to with any University, is appointed whether before of after the commencement of these statutes as a teacher in the University, then one half of the period of substantive service rendered by such teacher in such college shall be added to his length of service;

(e) Service against an administrative appointment in any University or institution shall not count for the purposes of seniority.

Seniority **17.06** Where more than one teacher are entitled to count the same length of continuous service in the cadre to which they belong, the relative seniority of such teachers shall be determined as below:-

(i) in the case of Professor, the length of substantive service as Associate Professor shall be taken into consideration.

(ii) in the case of Associate Professor, the length of substantive service as Assistant Professor shall be taken into consideration.

(iii) in the case of Professor whose length of service as Associate Professor is also identical, the length of service as Assistant professor shall be taken into consideration.

Seniority in age **17.07** Where more than one teacher are entitled to count the same length of continuous service and their relative seniority cannot be determined in accordance with any of the foregoing provisions, then the seniority of such teachers shall be determined on the basis of seniority in age.

Merit of teachers **17.08** (1) Notwithstanding anything contained in any other Statute, if the Executive Council :

Section 35(1) (g)

(a) agrees with the recommendation of the Selection Committee, and approves two or more persons for appointment as teachers in the same Department it shall, while recording such approval, determine the order of merit of such teachers;

(b) does not agree with the recommendations of the Selection Committee and refers the matter to the Chancellor under Section 45, the Chancellor shall, in cases where appointment of two or more teachers in the same Department is involved, determine the order of merit of such teachers at the time of deciding such reference.

(2) The order of merit in which two or more teachers are placed under clause (1), shall be communicated to the teachers concerned before their appointment.

Seniority Committee Section 35(1) (g)

17.09 (1) The Vice-Chancellor shall from time to time constitute one or more Seniority Committees consisting of himself as Chairman and two Deans of Faculties to be nominated by the Chancellor:

Provided that the Dean of the Faculty to which the teachers, (whose seniority is in dispute) belong shall not be a member of the relative Seniority Committee.

(2) Every dispute about the seniority of a teacher of the University shall be referred to the Seniority Committee which shall decide the same giving reasons for the decision.

(3) Any teacher aggrieved with the decision of the Seniority Committee may prefer an appeal to the Executive Council within sixty days from the date of communication of such decision to the teacher concerned. If the Executive Council disagrees with the committee, it shall give reasons for such disagreement.

Part -2

Seniority of the teachers and principals of Affiliated Colleges

Seniority of the teachers and principals of the Affiliated Colleges

Section 35(1) (g)

17.10 The following rules shall followed in determining seniority of teachers and principals of the Affiliated Colleges--

(a) the principal shall be deemed of seniority to the other teachers of the University;

(b) the Principal of a Post-Graduate college shall be deemed senior to the Principal of a Degree college:

(c) the seniority of Principals and teachers of the affiliated colleges shall be determined by the length of continuous service from the date of appointment in substantive capacity:

(d) service in each capacity (for example, as Principal or as a teacher), shall be counted from the date of taking charge pursuant to substantive appointment;

(e) service in a substantive capacity in another University or another degree or post-graduate college whether affiliated to or constituent with the University or another University established by law shall added to his length of service.

Relative seniority

17.11 Where more than one teacher are entitled to count the same length of continuous service, the relative seniority of such teachers shall be determined as follows:-

(i) in the case of Principals, the length of substantive services as a Assistant professor shall be taken into consideration.

(ii) in the case of Assistant Professor, the seniority in age shall be taken into consideration.

Seniority

17.12 Where the seniority of a person as Principal is to be determined for the purpose of representation or appointment as such, as a University authority, the length of service only as Principal shall be taken into account.

Section 35(1) (g)

17.13 (1) When two or more persons are appointed as teachers in the same department or in the same subject, their relative seniority shall be determined in order of preference or merit in which their names were recommended by the Selection Committee.

(2) If the seniority of two or more teachers has been determined under clause (1), the same shall be communicated to the teachers concerned before their appointment.

Appeal Section 35(1) (g)

17.14 All disputes regarding seniority of teachers (other than the Principal), shall be decided by the Principal of the College who shall give reasons for the decision. Any teacher aggrieved with the decision of the Principal may prefer an appeal to the Vice-Chancellor within sixty days from the date of communication of such decision to the teacher concerned. If the Vice-Chancellor disagrees from the Principal, he shall give reasons for such disagreement.

Disputes

17.15 All disputes regarding seniority of Principals of affiliated college shall be decided by the Vice-Chancellor who shall give reasons for the decision. Any Principal aggrieved with the decision of the Vice- Chancellor may prefer an appeal to the Executive Council within sixty days from the date of communication of such decision to the Principal concerned. If the Executive Council disagrees from the Vice-Chancellor it shall give reasons for such disagreement.

Seniority

17.16 The provisions of statutes 17.01, 17.02, 17.05 and 17.08 shall *mutatis mutandis* apply to the teachers and Principals of affiliated colleges as they apply to the teachers of the University.

Chapter-18

Autonomous Colleges

Autonomous Colleges Section 35(1) (g)

18.01 The Management of an affiliated college desirous of obtaining the privileges of an autonomous college shall apply to Registrar specifying clearly the following –

(a) the variation proposed in or from the course of study prescribed by the University including the institution of a course in a subject not provided for by the University and the substitution of a course for the one prescribed by the University;

(b) the manner in which the college proposes to hold examinations in the courses so varied;

(c) the details of its finances and assets the strength and qualifications of its teaching staff, the faculties available for the advance research work already done, if any.

Conditions Section 35(1)

18.02 No application under statutes 18.01 shall be entertained unless the college satisfies the following conditions-

(a) it has well established minimum two faculties with six subjects at post graduate level of teaching so as to be capable of imparting instruction up to the post-graduate stage.

(b) it has or is likely to have adequate and well qualified teaching staff.

(c) the Principal is a teacher or scholar of outstanding merit and possesses administrative experience.

(d) it possesses adequate and satisfactory buildings for all teaching and tutorial purposes and for housing the library, class rooms, the laboratories and has land for future expansion.

(e) it has a good library and has or is likely to have provision for its regular development.

(f) it has, well equipped laboratories, if necessary, for the subject taught therein, and has or is likely to have adequate provisions for new acquisitions and replacements.

(g) the management possesses adequate resources for meeting the extra expenditure involved in the college on attaining the status of an autonomous college.

Bank Draft

Section 35(1) (g)

18.03 Every application under Statutes 18.01 shall be accompanied by a Bank Draft payable to the University for a sum of Rs. 20,000/- which shall be non-refundable.

Application

Section 35(1) (g)

18.04 (1) Every application under Statutes 18.01 shall be referred to a Standing Committee on Academic Autonomy.

(2) The following members shall be every affiliated faculty of standing committee--

(a) Deans of faculty (convener);

(b) One representative of every faculty selected by the executive council of any two Universities established by law of Uttarakhand.

(3) If the reports of the Committee are favorable, the Executive Council shall appoint a Board (not exceeding six members) to inspect the college and report on its suitability for being granted academic autonomy.

(4) The Board of Inspectors shall include the Vice-Chancellor as the Convener, and the Director of Education (Higher Education) and such other specialists of the subjects as members as the Executive Council may think fit to appoint.

Report of the board of inspector

Section 35(1) (g)

18.05 The report of the board of inspector shall be considered by the Academic Council, and shall be laid before the Executive Council together with their views.

Proposal

Section 35(1) (g)

18.06 (1) After considering the recommendation of the Board of Inspector and the views of the Executive Council statutes 18.05 is of opinion that the college is entitled to the privileges mentioned in Section 35, it shall submit its proposal to the Chancellor.

(2) Proposal under clause (1) and on received other relevant document and after making such inquiry or obtain expert advice as Chancellor deem fit he may approved or un approved;

Provided that before the approval of such proposal the Chancellor may concerned from the University Grant Commission established under the University Grant Commission Act, 1956.

Autonomous college

Section 35(1) (g)

18.07 After approval of recommendation of Executive Council by the Chancellor under statutes 18.06, the Executive Council shall declare the college as an autonomous college and shall specify the matters in respect of which and the extent to which the college may exercise the privileges of an autonomous colleges.

Entitled of autonomous college

Section 35(1) (g)

18.08 (1) Subject to the provision of clause (g) sub-section (1) of section 35, an autonomous college shall be entitled :-

(a) to frame the courses in the subjects covered by its privileges;

(b) to appoint persons qualified to be appointed as internal/external examiners in such subjects;

(c) to hold examinations and to make such changes in the method of examination and teaching as in its opinion are conducive to the maintenance of the standard of education.

(2) The Boards of Faculties concerned, the Academic Council and Examination Committee may consider the action taken by the Autonomous College and may suggest any change, if necessary.

Results
Section 35(1) (g)

18.09 (1) The results of the autonomous college shall be declared and published by the University along with a mention the name of the college which has presented the results for declaration and publication.

(2) Every autonomous college shall furnish such reports, returns and other information, as the Executive Council may, from time to time, require to enable it to judge the efficiency of such college.

(3) The University shall continue to exercise general supervision over an autonomous college and to confer degrees on the students of the college passing any examination qualifying for any degree of the University.

Inspection
Section 35(1) (g)

18.10 The Executive Council may, at any time get an autonomous college inspected by a panel of experts, and if after perusing the report of such inspection, it is of opinion that the college has failed to maintain the requisite standard, or that in the interest of education, it is necessary to withdraw the privileges conferred by statutes 18.07, the Executive Council may, with thee prior of the Chancellor, withdraw such privileges and thereupon the college concerned shall revert to the position of an affiliated college.

Board
Section 35(1) (g)

18.11 (1) For the proper planning and conduct of its work, every autonomous college shall have an Academic Council and every faculties in respect of the subjects in which autonomy has been granted.

(2) The Academic Council shall be composed of all the Heads of Departments, and two other teachers of subject taught for a post-graduate degree and one teacher of each subject taught for the first degree with the Principal as Chairman. These teachers shall be members of the Council by rotation in order of seniority for three years at a time, provided that no teacher of less than four year's standing shall be member.

(3) The Academic Council shall review the academic work of the college at quarterly meeting. A including interalia the syllabi, curriculum of such courses, their teaching and examinations thereof.

(4) The Board of studies shall consist of all teachers of the subjects comprised in the Faculty, of three year's standing as teacher of degree classes. The Board of studies shall meet at regular intervals (once a month, if possible) to consider academic questions and advise the Principal. Proposals regarding courses, examinations, etc. shall either originate in or be considered by these Boards.

Study and other conditions
Section 35

18.12 Subject to the provisions this Chapter, the courses of study and other conditions related to an autonomous college can be laid down by the Ordinances.

Chapter-19

The condition of service and qualifications Non-teaching staff of the affiliated colleges

The condition of service and qualifications to the ministerial staff of the affiliated colleges

19.01 In these Chapter, unless the context otherwise requires –

(1) 'Class IV' means a post carrying a pay scale of a lower than a pay scale of a Routine Clerk and the expression 'Class IV' employee and 'Class IV' staff shall be construed accordingly;

(2) College means a college associated with the University in accordance with the provisions of the Act or the Statutes of the University but does not include a college maintained exclusively by the State Government or a Local authority.

(3) 'Employee' means a salaried employee (not being a teacher) of a College and its grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly.

(4) Armed Forces of the Union means the Navel, Military or Air Forces of the Union and includes the Armed Forces of the former Indian States.

(5) 'Disables ex-service man' means who while serving of the 'Armed Forces of the Union' was disabled in the course of operation against the enemy or in disturbed area.

(6) 'Ex-service man' means a person who had served in any rank (whether as a combatant or non-combatant) in the Armed Forces of the Union for a continuous period of not less than six months, and-

(i) has been released otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or has been transferred to the reserve pending such release, or

(ii) has to serve for not more than six months for completing the period of service requisite for becoming entitled to be so released or transferred to the reserve.

Appointment Section 35(1)(c)

19.02 (1) Subject to the provisions of these Statutes the appointing to the posts of class three employee shall be made by the management of the college and appointment to the posts of class four employees shall be made by the Principal.

(2) The appointing authority referred to in clause (1) shall have the power to take disciplinary action and award punishment against the class of employee of which he is an appointing authority.

(3) Every decision of the appointing authority referred to in clause(2) shall, before it is communicated to the employee, be reported to the Chief Education Officer of Schools and shall not take effect unless it has been approved by him in writing;

Provided that nothing in this clause shall apply to any termination of service on the expiry of the period for which the employee was appointed;

Provided further that nothing in the clause shall apply to an order of suspension pending enquiry, but any such order may be stayed, revoked or modified by the District Inspector of Schools.

(4) An appeal against the order of the District Inspector of Schools under clause (2) and (3) shall lie to the Regional Deputy Director of Education.

Routine Clerk

19.03 (1) Appointment to the post of Routine Clerk or any other post either in the pay scale of, or in a pay scale higher than that of, Routine Clerk other than the posts mentioned in clause (2) and (3) shall be made by direct recruitment on the recommendation of Selection Committee constituted in the manner provided in clause (6) after advertisement of the vacancy in the newspapers;

(2) Appointment to the post of Assistant shall be made by promotion according to seniority subject to suitability and fitness from amongst Routine clerks.

(3) Appointment to the post of Head Clerk- Accountant, Head Clerk, Office Superintendent and Bursar shall be made by promotion according to sonority, subject to suitability and fitness from amongst the existing employees having required qualification and appointment to the post of Assistant Accountant shall be made by direct recruitment. In case of non availability of qualified and suitable candidates from amongst the existing staff, appointments on the post of Head Clerk-cum Accountant, Head Clerk, Office Superintendent and Bursar may be made by direct recruitment on the basis of Selection after advertisement of the vacancy in newspapers.

(4) Appointment of employee shall be subject to the approval of the Director of Education (Higher Education), or an officer authorised by him in this behalf, if the approving authority does not within two months from receiving the proposal for approval intimate its disapproval or does send any intimation in respect of such proposal to the appointing authority the approving authority shall be deemed to have approved the appointment.

(5) Appointment of permanent posts shall be made on probation for one year. The period of probation may be extended if the candidate's work is not found to be satisfactory provided that the total period of probation shall not exceed three years. The extended period of probation shall not count for increment.

Reservation **19.04** The provision of reservation for appointment on the post of specified in statutes 19.07 shall be determined as per rule by the State Government.

Nationality **19.05** A candidate for direct recruitment to be a post in service must be-

Section 35(1) (c)

(a) A citizen of India; or

(b) A Tibetan refugee who come over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently setting in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Srilanka or any of the east African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyila and Zanzibar) with the intention of permanently setting in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain certificate of eligibility granted by the Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand.

Qualification **19.06** (1) For appointment in a degree college to the posts specified below, the minimum qualification shall be as noted against each category:

Section 35(1) (c)

(i) Clerical Staff:-

For the post of Routine Clerk, Assistant, Head-Clerk-cum-Accountant and Head Clerk,. Intermediate or an examination recognized by the State Government as equivalent thereof;

Provided that in the case of Head-Clerk-cum- Accountant and head clerk experience on the post of Routine Clerk or assistant in a Post-graduate or Degree or intermediate college for a period of at least ten years shall be necessary.

(ii) Laboratory Assistant-

For the post of Laboratory Assistant, Intermediate or an examination recognised by the State Government as equivalent thereto in subject with which the laboratory is concerned, or High School or an examination recognised by the State Government as equivalent thereto, with at least five years' experience as laboratory bearer in the laboratory of the subject concerned.

(iii) Office superintendent:

For the post of Office Superintendent a degree from a recognised University established by law together with at least ten years' delete. Working experience as Senior Assistant or Assistant Accountant in a college affiliated to or Constituent with a University or in any other similar Institution.

(iv) Assistant Accountant:

A Bachelor degree in Commerce of a recognised University established by law with Accountancy/Audit.

(v) Bursar-

For the post of Bursar a degree from a recognised University established by law with at least ten years' working experience as Office Superintendent or Accountant in a degree or postgraduate college.

(vi) Class IVth Staff-

For Class IV posts, passed Class 5th from recognized School;

Provided that no educational qualification shall be required for the post of sweeper but preference will be given to a person who is educated or is at least able to read and write Hindi in Devnagri script.

(vii) Other posts:

(1) For any other post not covered by the preceding clauses, sub-minimum qualification as may be specified by the State Government by general or special orders.

(a) Notwithstanding anything provisions given in clause (1) -

(i) services of the III rd cadre and in reserve vacancies of the posts for the appoint of any ex-service man, the minimum qualification where is prescribed qualification is graduate of any University in this Statute their shall be any other qualification shall be high school or equivalent qualification from the recognized institution and where the qualification is prescribed high school or equivalent thereto, no relaxation shall be given to the candidates.

(ii) for the posts of IVth class services in the reserve vacancies of the post of such services the ex-service man be deemed otherwise qualified, than no education qualification shall be required.

(2) No employee who does not possess the qualifications prescribed in clause (1) shall, after the commencement of these Statutes, be eligible for promotion or confirmation unless he attains the aforesaid qualifications;

Provided that nothing contained in clause (1) shall effect the promotions and confirmations made prior to commencement of these Statutes.

Appointment

Section 35(1) (c)

19.07 (1) For appointment of an employee in a college, through direct recruitment, the minimum age of the candidate shall be 18 years and maximum age for the post of a Routine grade Clerk or a post in equivalent scale of pay shall be 30 years, and for any other post, referred to in Statutes clause (1) and (3) of 19.03 it shall be 40 years. The maximum age shall be higher by five years in the case of a candidate belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribe;

Provided that in case of Head clerk of Accountant and head clerk experience of Routine grade Clerk for Assistant, the post graduate degree or graduation or intermediate for a period of at least ten years;

Provided further that the maximum age limit shall not apply to an employee referred to in Statute 38.00:

Provided also that for appointment to a vacancy reserved for ex-servicemen the maximum age shall be higher by the period of service of the candidate in the Armed Forces plus three years.

(2) The age on the first day of July in the year in which the recruitment is made, shall be the age for the purpose of clause (1).

(3) In case of Class IV employee who has put in a continuous service of three years or more and has the prescribed qualifications for appointment to the post of a Routine Clerk or an equivalent post to be filled in by direct recruitment the maximum age limit may be relaxed upto ten years. In special circumstances, relaxation beyond the age of 40 years may be made with the prior approval of the Director (Higher Education).

Duty of the appointing authority

19.08 It shall be the duty of the appointing authority to satisfy himself that the character of a candidate for employment by direct recruitment is such as to render him suitable in all respects for employment in a college.

Note- Persons dismissed by the State Government, the Union Government or by any other State Government or a local authority shall be deemed ineligible.

Physical fitness

Section 35(1) (c)

19.09 No candidate shall be employed in a college unless he is in good mental and physical health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a medical certificate of fitness from a Medical Officer incharge of hospital established by the State Government.

Scale of pay

19.10 The employees shall be given the scale of pay and allowances as may be prescribed by the State Government from time to time.

Explanation- An ex-serviceman appointed in a vacancy reserved for ex-servicemen shall not be entitled to any higher pay merely on account of his past services in the Armed Forces of the Union.

conduct and other matters

19.11 (1) Every employees shall maintain highest order of integrity with regard to his work and conduct.

(2) Every employee shall comply with the orders or directions of the Management/the Principal including the orders or directions issued in the implementation of the orders of the State Government or the University.

(3) The Principal of the college will maintain the character roll of every employee in which the confidential report about his work and conduct shall be recorded every year. Adverse entries shall be communicated to the employee concerned as soon as possible so that he may improve his work and conduct accordingly.

(4) An employee aggrieved by an adverse entry may represent to the Manager of the college through the Principal for the expunction of the adverse entry. The power to expunge the adverse entry on the basis of justification therefore shall vest in the Managing Committee of the affiliated college.

(5) A Service Book of every employee shall be maintained under the control of the Principal.

Disciplinary Action

19.12 An employee who disobeys any one or breach of the provisions of clause (1) and clause (2) of Statute 19.11 shall be liable to disciplinary action.

Service and resignation

Section 35(1) (c)

19.13 (1) An employee shall be liable to be removed from service on any one or more of the following grounds, namely :-

(a) gross negligence of duties;

(b) misconduct;

(c) insubordination or disobedience;

(d) physical or mental unsuitability in the discharge of duties;

(e) prejudicial conduct or activity against the Government or the University or the college concerned;

(f) conviction by a Court of Law on charge involving moral turpitude.

(2) If temporary employee resigns from service he shall give notice to this effect in writing to the Management of the College one month in advance otherwise he shall have to deposit one month's salary with the college in lieu of the notice. Similarly, if the management of a college decides to terminate the service of an employee, the management shall give one month's notice to the employee or one month's salary in lieu thereof.

(3) The services of a permanent employee may be dispensed with on the ground of abolition of post after giving him three months' notice in writing or three months' salary in lieu thereof. A post can be abolished on any one of the following grounds:-

(a) retrenchment on account of financial stringency.

(b) full in enrolment of students; or

(c) discontinuance of the teaching in the subject to which the post relates.

Age of superannuation

19.14 The age of superannuation of an employee shall be sixty years. An employee who have attained the age of sixty years on or before the date of commencement of these Statutes shall be retired forthwith.

Leave

19.15 (1) The leave rules applicable to the Government servants from time to time shall *mutatis mutandis* apply to the employee of like status.

(2) The Principal shall be the authority to sanction all kinds of leave to Class IV employees and casual leave to other employees.

(3) Application of an employee other than Class IV for leave other than casual leave shall be forwarded by the Principal with his recommendation to the Manager of the College who shall be the authority to sanction the same.

(4) All records relating to leave will be maintained by the Principal who shall send copies of the orders sanctioning leave (other than casual leave) to the Regional Deputy Director of Education or the authority authorised by him to disburse the salaries of the employees. The Principal shall also mention the period and nature of leave in the salary bill.

Miscellaneous

19.16 A whole-time employee of one degree college appointed to another college receiving maintenance grant from the State Government shall, after regular selection, be entitled to receive salary not less than what he was getting in the degree college in which he was previously working, if the employee:

(a) was permanent on his post in the previous degree college and such degree college was on the grant-in-aid list;

(b) has obtained the permission of the Manager of the previous degree college for service in the new degree college and the Management of the previous degree college has no objection in relieving him;

(c) furnishes a certificate from the Manager of the previous degree college to the effect that there were no unusual and adverse circumstances in which the employee left that degree college;

(d) furnishes the last pay certificate from the previous degree college duly countersigned by the relevant Drawing and Disbursing Officer, concerned.

Explanation-

(1) On being appointed in the new degree college the service rendered in the previous college shall not count towards seniority. Seniority in the new degree college shall be reckoned from the date of appointment in the new college and the annual increment shall fall due after completing one year's service in the new degree college from the date of taking over charge of the duties in that college.

(2) The employee shall not be entitled to receive any travelling allowance for journeys performed by him to join his duties in the new degree college. He shall however, be allowed journey time at following rates:-

(a) one day for each 500 kilometer, for places connected by train;

(b) one day for each 150 kilometer, for places not connected by Train but connected by Bus;

(c) one day for each 25 kilometer, for places neither connected by Train or by Bus.

Part-II

Employment of the dependant of deceased employees of the degree college

Employment of the dependant of deceased employees of the degree college

19.17 If any permanent employees or such employees who is serve in a temporary posts is working continuously at least from three years and diseased than the dependent of such diseased employees who is given application for the vacant non teaching posts in the degree college and hold the minimum qualification for such posts than the management with the approval of the director (higher education) may appoint with the relaxation of selection procedure and maximum age limit.

Section 7(I) and 35(1) (e)

Explanation :- For the purpose of this Statutes --

(1) 'dependant' means the son, unmarried or widowed daughter, widow or the widower of the deceased;

(2) 'employee' includes teacher employed in the institution.

Chapter- 20

Miscellaneous

Miscellaneous Section 7

20.01 The University may institute and award scholarships, fellowships (including travelling fellowships) studentships, medals and prizes in accordance with the provisions laid down in the Ordinances.

Single transferable vote

20.02 All elections to an authority or body of the University according to the system of proportional representation by means of single transferable vote shall be held in the manner laid down in Appendix 'B'.

Miscellaneous

20.03 Subject to the provisions of Section 7, the University may allow any person to appear as a private candidate at any examination conducted by the University provided that-

(a) Such person fulfills the requirement laid down in Ordinances; and

(b) Such examination does not relate to a subject or course of study in which practical examination is a part of the curriculum.

20.04 The provisions of Statutes 20.03 shall *mutatis mutandis* apply to corresponding courses.

Section 7(i) and 35(1) (e)

20.05 Notwithstanding anything contained in these Statutes or Ordinances of the University:-

(i) No admission shall be made after August 31 in an academic year.

(ii) All examinations conducted by the University shall be completed by April 30, and

(iii) Results shall be declared by June 15;

Provided that in special conditions shall forwarded this dates of approval of the Vice-chancellor.

Section 7

20.06 With a view to improving his result a candidate may be allowed to appear in one subject in any part of the undergraduate examination and in one paper in B.Ed. or any one year of the L.L.B or any part of the postgraduate examination in next regular examination of the University.

Chapter- 21

Surcharge

Surcharge

21.01 In this Statutes, unless there is anything repugnant in the subject or context—

(1) "Examiner" means local fund an accountant examiner of Uttarakhand;

(2) "Government" means the Government of Uttarakhand;

(3) "Officer of the University" means an officer mentioned in any of the clause (b) to (f) of section 8 of the Act and the Officers declared as such under Statutes 2.01.

Explanation

21.02 (1) In any case where the examiner, is of the opinion that there has been a loss, waste of misapplication, which includes misappropriation or unjustified expenditure of any money or property of the University as a direct consequence of neglect or misconduct of an officer it may call upon the officer to explain in writing why such officer should not be surcharged with the amount of such loss, waste or misapplication of money or the amount which represents within a period not exceeding two months from the date of such requisition is communicated to the person concerned :

Provided that explanation from any of the officers under of the Vice-Chancellor shall be called for through the Vice-chancellor.

Note: (1) Any information required by the examiner for preliminary inquiry shall be furnished and all connected papers and records shown to him by the officer (or if such information, papers or records are in possession of a person other than the said officer, by such person) within a reasonable time not exceeding two weeks in any case.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions contained in clause (1) the examiner may call for the explanation in the following cases:-

(a) Where expenditure has been incurred in contravention of the provisions of these Statutes or of the Act or of the Ordinances made thereunder;

(b) Where loss has been caused by acceptance of a higher tender without sufficient recorded reasons;

(c) Where any sum due to the University has been remitted in contravention of the provisions of these Regulations or of the Act or Statute made thereunder;

(d) Where loss has been caused to the University by neglect in realizing its dues;

(e) Where loss has been caused to the funds or property of the University on account of want of reasonable care for the custody of such money or property.

(3) On the written requisition of the officer from whom an explanation has been called the University shall give him necessary facilities for inspection of the connected records. The Examiner, may, on an application from the officers concerned, allow a reasonable extension of time for submission of its explanation if it is satisfied that the officer charged has been unable for reasons beyond his control to inspect the connected records for the purpose of furnishing his explanation.

Explanation :- Making of an appointment in contravention of the Act or the Statutes made there under shall amount to misconduct and payments to the person concerned of salary or other dues on account of such irregular appointment will be deemed to be a loss, waste or misapplication of University money.

Surcharge

21.03 After the expiry of the period prescribed and after considering the explanation, if received within time, the Examiner, may surcharge the officer with the whole or a part of the sum for which such officer may in his opinion be liable :

Provided that in the case of loss, waste or misapplication accruing as a result of neglect or misconduct of two or more officers each such officer shall be jointly and severally liable :

Provided also that no officer shall be liable for any loss waste or misapplication after the expiry of ten years from the occurrence of such loss, waste or misapplication or after the expiry of six years from the date of his ceasing to be such officer whichever is later.

Appeal

21.04 An officer aggrieved by an order of surcharge passed by the Examiner, may prefer an appeal to situated University whose divisional commissioner, within thirty days from the date on which such order is communicated to him. Confirm rescind or vary the order passed by the commissioner of examiner, or may pass such order as he thinks fit. The order so passed shall be final, and no appeal shall lie against it.

Payment

21.05 (1) The officer who has been surcharged shall pay the amount of surcharge within sixty days from the date on which such order is communicated to him or within such further time, not exceeding one year, from the said date or may be permitted by the Examiner.

Provided that where an appeal has been preferred under Statutes 21.04 against the order of surcharge passed by the Examiner, all proceedings for recovery of the amount from the person who has preferred the appeal may be stayed by the Commissioner until the appeal has been finally decided.

(2) If the amount of surcharge is not paid within the period specified in clause (1) it shall be recoverable as arrears of land revenue.

Payment

21.06 Where a suit is instituted in a court to question an order or surcharge and the Examiner or State Government, is a defendant in such a suit, all costs incurred in defending the suit shall be paid by the University and it shall be the duty of the University to make such payment without any delay.

Annexure B

(See Statutes 4.12 and 22.02)

Election by Proportional Representation by

Means of Single Transferable Vote

Part 1

General

1. Unless there is anything repugnant to the subject or context with reference to any election by proportional representation by single transferable vote:-

(i) "Candidate" means a person duly qualified to seek election who has been duly nominated.

(ii) "Continuing candidate" means a candidate not elected and not excluded from the poll at any given time.

(iii) "Elector" means a person who is duly qualified to give his vote in the election.

(iv) "Exhausted Paper" means a ballot paper on which no further preference is recorded for a continuing candidate provided that a paper shall also be deemed to be exhausted if :-

(a) the names of two or more candidates whether continuing or not are marked with the same figure and are next in order of preference, or

(b) the name of the candidate next in order of preference, whether continuing or not is marked--

(1) by a figure not following consecutively after some other figure on the ballot paper, or

(2) by two or more figures.

(v) "First preference vote" means the vote for a candidate against whose name the figure 1 appears on a ballot paper. "Second preferences vote" means the vote for a candidate against whose name the figure 2 appears, "third preference vote" means the vote for a candidate against whose name the figure 3 appears and so on.

(vi) "Original vote" in regard to any candidate means a vote derived from a ballot paper on which a first preference is recorded for such candidate.

(vii) "Quota" means the lowest value of votes sufficient to secure the return of a candidate.

(viii) "Surplus" means the number by which the value of votes of any candidate original and transferred, exceeds the quota.

(ix) "Transferred vote" in regard to any candidate means a vote which is derived from a ballot paper on which a second or subsequent preference is recorded for such candidate and the value or a part of the value of which is credited to such candidate.

(x) "Unexhausted paper" means a ballot paper on which a further preference is recorded for a continuing candidate.

Registrar

2. The Registrar shall be the Returning Officer responsible for the conduct of all elections.

Vice-chancellor

3. (i) appoint the dates for the various stages of each election in conformity with the provisions of the Statutes and shall have power to alter these dates in case of any emergency except where such alternation contravenes the provisions of the Statutes;

(ii) decide in case of doubt the validity or otherwise of a vote recorded.

4. The election of members of the Court representing Registered Graduates (and such other election as the Vice-Chancellor may for reasons of convenience or economy direct) shall be conducted by postal ballot. Other elections shall be conducted at meetings of the Authorities or Bodies concerned.

5. voting paper shall be in the following form-

NAME OF UNIVERSITY

Election by .....Constituency

Name of candidate and Order of preference to be indicated (in the space) by the numericals 1, 2, 3, etc.

.....

.....

6. An elector in recording his vote –

(i) must place on his voting paper the figure 1 opposite the name of the candidate for whom he votes, and

(ii) may, in addition, indicate the order of his choice or preference for as many other candidates as he pleases, by placing against their respective names the figures 2, 3, 4 and so on, consecutive numericals.

7. A voting paper shall be invalid on which-

(i) the figure 1 is not marked, or

(ii) the figure 1 is placed opposite the name of more than one candidate, or

(iii) figure 1 and some figure are marked opposite the name of the same candidate, or

(iv) the figure 1 is so marked as to render it doubtful to which candidate it is intended to apply, or

(v) in an election by ballot any mark is made by which the voter may afterwards be identified, or

(vi) there is any erasure, or alternations in the figure indicating the voter's preferences, or

(vii) it is not on the form provided for the purposes.

Part 2

Election conducted by Postal Ballot

8. At least three months before the vacancies to be filled by election by postal ballot or due to occur, the Registrar shall cause a notice to be issued under a registered cover to each qualified voter at his registered address calling on him to submit nomination within fifteen days of the posting of the notice. The notice shall be accompanied by a list of voters.

9. The Registrar shall have power to correct any error and supply any omission brought to his notice in list of voters. If the name of a person is removed from the list his vote shall not be counted even if he has received the voting paper and recorded his vote, and a certificate that this has been so done, shall be recorded by the Registrar and the person, if any, associated with him in preparing the result of the election.

10. Every elector shall have the option of nominating any number of candidates not exceeding the number of places to be filled.

11. Every nomination paper shall be signed by a proposer who shall himself be an elector and shall be accompanied by the assent of the candidate nominated for election either in writing or by signing the nomination paper. It may bear the signature of other electors as supporters of the nomination. But no candidate shall sign as proposer or seconded a nomination paper on which his own name appears as a candidate.

12. The nomination paper shall be delivered to the Registrar in a closed cover either in person by the proposer or an elector who supports the nomination or through post, within the time mentioned in the notice.

13. It shall be open to a candidate to withdraw from an election by sending to the Registrar, so as to reach him before the day and hour fixed as the last day for the receipt of nomination, as intimation of withdrawal in writing signed by himself and attested by a Stipendiary Magistrate, a Gazetted Officer, or the Principal of a Associated College with or affiliated to a University. The attestation should be under the seal of the officer concerned.

14. The Registrar shall notify the place, date and time for the opening of the covers containing the nomination papers. Such candidates or electors as may desire to be present may do so the occasion.

15. The Registrar shall prepare list of valid nominations: If the nomination paper is rejected by the Registrar, he shall inform the candidates within two days stating the reasons for such rejection. It shall be open to the candidate to send within three days of the receipt of such communication a request that the matter be referred to the Vice-Chancellor. The matter shall then be referred to the Vice-Chancellor whose decision shall be final.

16. If the number of candidates duly nominated does not exceed the number of places to be filled, the Registrar shall declare them elected. In case any place remains unfilled a fresh election shall be held in like manner to fill it and such election shall be deemed to be a part of general election.

17. If the number of candidates duly nominated exceed the number of places to be filled an election shall be conducted.

18. The Registrar shall within fifteen days of the completion of scrutiny send by registered post to each elector at his registered address a voting paper together with a cover bearing the name of the constituency only and a larger cover on the left side of which are written or printed the number of elector on the electoral roll, the name of the constituency, and on the right side the address to the Registrar of the University. The Registrars shall also enclose a certificate of identity.

19. (i) The elector shall sign the certificate of identity and have it duly attested by any of following persons :-

(a) The Registrar of any University established by law in India for the time being.

(b) The Principal of a College associated with any such University or Head of a Department of teaching of such University.

(c) Any Gazetted Officer of the Government.

(ii) The attesting Officer shall attest with his full signature and under his seal.

(iii) The elector shall enclose the voting paper duly filled in but without his name or signature in a smaller cover, and then enclose it in the larger cover alongwith the certificate of identity duly signed and attested and send the same duly sealed with either by registered post or deliver it personally to the Registrar.

20. The voting paper must reach the Registrar by the time and date fixed. If received after the appointed time and date, it shall be rejected by him.

21. If two or more voting papers are sent in the same cover they shall not be counted.

22. A voter who has not received his voting paper and other connected papers, or who has lost them or whose papers before their return to the Registrar have been inadvertently spoiled, may send a declaration to that effect signed by self and request the Registrar to send him duplicate papers in place of those not received, lost or spoiled. The Registrar in place of those not received, lost or spoiled, may, if he is satisfied, issue another copy marked Duplicate.

23. The Registrar shall keep the voting papers sealed and unopened in safe custody until the date and time fixed for their scrutiny.

24. Due notice of such date, time and place of scrutiny shall be given by the Registrar to all the candidates who shall have the right to be present during the scrutiny.

Provided that no candidate shall be entitled to ask for the inspection of any voting paper.

25. The Registrar, where necessary shall be helped by such other persons as may be appointed by the Vice-Chancellor for assisting him in the scrutiny work.

26. At the appointed date, time and place the Registrar shall open the covers containing the voting paper and scrutinize them and separate those that are not valid.

27. The valid papers shall then be sorted into parcels, each parcel containing all the papers on which the first preference is recorded for a particular candidate.

28. For the purpose of facilitating the process prescribed by this Statute each ballot paper shall be deemed to be of the value of one hundred.

29. The Registrar shall in carrying out the provisions of the Statute-

(i) disregard all fractions.

(ii) ignore all preferences recorded for candidate already elected or excluded from the poll.

30. The Registrar shall then add together the values of the papers in all the parcels, divide the total by a number exceeding by one the number of vacancies to be filled, and add one to the quotient. The number thus obtained shall be the quota.

31. If at any time candidates equal in number to the number of persons to be elected have obtained the quota such candidates shall be treated as elected and no further proceeding shall be taken.

32. (i) Every candidates the values of whose parcel, on the first preference being counted is equal to or greater than the quota, shall be declared elected.

(ii) If the value of the papers in any such parcel is equal to the quota, the papers shall be set aside as finally dealt with.

(iii) If the value of the papers in any such parcel is greater than the quota, the surplus shall be transferred to the continuing candidates indicated on the ballot paper as next in order of the voter's preference the manner prescribed in the Statute hereinafter appearing.

33. (i) If and whenever as the result of any operation prescribed by the Statute above, a candidate has any surplus that surplus shall be transferred in accordance with the provisions of the Statute.

(ii) If more than one candidate has a surplus the largest surplus shall be dealt with first and the others in a decreasing order of magnitude provided that every surplus arising on the first count of votes shall be dealt with before those arising on the second, and so on.

(iii) Where two or more surplus or equal, the Registrar shall decide according to the terms prescribed in sub-clause (ii) above which shall be with first dealt.

(iv) (a) If the surplus of any candidate to be transferred arises from original votes only, the Registrar shall examine all papers in the parcel belonging to the candidate whose surplus is to be transferred and divided the unexhausted papers into sub-parcels according to the next preference recorded thereon. He shall also make a separate sub-parcel of the exhausted papers.

(b) He shall ascertain the value of the papers in each sub-parcel and of the unexhausted papers.

(c) If the value of the unexhausted paper is equal to or less than the surplus, he shall transfer all the unexhausted papers at the value at which they were received by the candidate whose surplus is being transferred.

(d) If value of the unexhausted papers is greater than the surplus, he shall transfer the sub-parcels of unexhausted paper and the value at which each paper shall be transferred shall be ascertained by dividing the surplus by the total number of unexhausted papers.

(v) If the surplus of any candidate to be transferred arises from transferred as well as original votes, the Registrar shall re-examine all the papers in the sub-parcel last transferred to the candidate and divide the unexhausted papers into sub-parcels according to the next preference accorded thereon. He shall thereupon deal with sub-parcels in the same manner as is provided in the case of sub-parcels referred in the last preceding clause.

(vi) The papers transferred to each candidate shall be added in the form of sub-parcel to the paper already belonging to such candidate.

(vii) All papers in the parcel or sub-parcels of an elected candidate not transferred under this clause shall be set aside as finally dealt with.

34. (i) If after all surpluses have been transferred as herein before directed less than the number of candidates required has been elected the Registrar shall exclude from the poll the candidate lowest on the poll and shall distribute his unexhausted papers among the continuing candidates according to the next preference recorded thereon. Any exhausted papers shall be set aside as finally dealt with.

(ii) The papers containing original votes of an excluded candidate shall first be transferred, transfer value of each paper being one hundred.

(iii) The papers containing transferred votes of an excluded candidate shall then be transferred in the orders of the transfers in which and at the value at which he obtained them.

(iv) Each of such transfers shall be deemed to be a separate transfer.

(v) The process directed, by this clause shall be repeated on the successive exclusions one after another of candidates lowest on the poll until the last vacancy is filled either by the election of a candidate with the quota or as herein-after provided.

35. If as the result of a transfer of papers the value of the votes obtained by a candidate is equal to or greater than the quota, the transfer proceedings shall be completed but no further papers shall be transferred to him.

36. (i) If after the completion of any transfer under the said clause the value of the votes of any candidate is equal to or greater than the quota he shall be declared elected.

(ii) If the value of the votes of any such candidates is equal to the quota, the whole of paper on which such votes are recorded shall be set aside as finally dealt with.

(iii) If the value of the votes of any such candidate is greater than the quota, his surplus shall thereupon be distributed in the manner hereinbefore provided before exclusion of any other candidate.

37. (i) When the number of continuing candidates is reduced to the number of vacancies remaining unfilled the continuing candidates shall be declared elected.

(ii) When only one vacancy remains unfilled and the value of votes of any continuing candidate exceeds the total value of all the votes of other continuing candidates, together with any surplus not transferred, that candidate shall be declared elected.

(iii) When only one vacancy remains unfilled and there are only two continuing candidates and those two candidates have each the same value of votes and no surplus remains capable of transfer one candidate shall be declared excluded under the next succeeding clause and the other declared elected.

38. If and when there is more than one surplus to distribute, two or more surpluses are equal or if at any time it becomes necessary to exclude a candidate and two or more candidates have the same value of votes and are lowest on the poll regard, shall be had to the original votes of each candidate and the candidate for whom fewest original votes are recorded shall have his surplus first distributed or shall be first excluded, as the case may be. If the values of their original votes are equal the Registrar shall decide by lot which candidate shall have his surplus distributed or excluded.

39. **Recounting** :-The Registrar may, either on his own initiative or at the instance of any candidate, recount votes, whether once or more than once when the Registrar is not satisfied as to the accuracy of a previous counting:

Provided that nothing herein contained shall make it obligatory on the Registrar to recount the same more than once.

40. After the scrutiny is completed, the Registrar shall forthwith report the result to the Vice-Chancellor.

41. The Registrar shall place the nomination papers and the ballot papers in a sealed packet which shall be preserved for a period of one year.

Part-3

Elections held at the Meetings

42. In case of an election conducted at a meeting of a University Authority it shall not be necessary to publish the electoral roll for the purpose of eliciting claims and objections or to invite nominations in advance. The members of the Authority or body concerned present at the meeting duly convened shall take part in the election. Names may be proposed for election and candidature withdrawn, in advance or at the meeting. The voting paper supplied to voters shall show the names of which notice was received in time for printing and shall contain blank spaces with addition of names including those proposed at the meeting. A notice of the meeting at which the election is to be held mentioning the time, date and place of such meeting together with lists of the members shall be sent by the Registrar to each member. The period of notice shall be fixed by the Vice-Chancellor.

Annexure- C

(see Statutes 15.01)

Form of Agreement with Members of Teaching

Staff of the University

Agreement made this .....day of .....20..., between Sri/Smt/Km.....of first part the Sri Dev Suman Uttarakhand University (hereinafter called the University) of the second part hereby agreed as follows:--

1. That the University hereby appoints Shri/ Smt /km .. . .to be a teacher of the University with effect from the date the party of the first part takes charge of the duties of his/her office, and the party of the first part, hereby accepts the engagement, and undertakes to take such part, and perform such duties in the University as may be required of his/her, including the management and protection of the University property or funds, the organisation of instruction the teaching formal or informal and the examinations of students, the maintenance of discipline and the promotion of students' welfare in connection with any curricular or residential activities and perform such extra-curricular duties of the University as may be entrusted to him/her and to submit himself/herself to the officers under whom he/she is for the time being placed by the authorities of the University and shall abide by and conform to the Code of Conduct for teachers laid down by the University as amended from time to time:

   Provided that the teacher shall be on probation for a period of one year in the first instance and the Executive Council may on its discretion extend the period of probation by one year.

2. That, the party of first part shall retire in accordance with the provisions of the Statutes of the University.

3. The scale of pay attached to the post of teacher to which the party of the first part is appointed shall be.....the party of the first part shall from the date he/she takes charge of his/her said duties be granted pay at the rate of Rs. ..... per mensem in the aforesaid scale and shall receive pay in the succeeding stages in the scale unless the annual increment is withheld in pursuance of the provisions of the Statutes:

   Provided that where an efficiency bar is prescribed in the time scale, the increment next above the bar shall not be given to the party of the first part without the specific sanction of the authority empowered to withhold increment.

4. That the party of the first shall obey, and to the best of his/her ability carry out the lawful directions of any officer, authority or body of the University, to whose authority he/she may while this agreement is in force, is subject under the Provisions of the said Act, or under any Statutes, Ordinances or Regulations made thereunder.

5. That the party of the first part hereby under- takes to abide by and conform to the Code of Conduct laid down for the teachers, by the University, as amended from time to time.

6. That on the termination of this agreement from whatever cause, the party of the first part shall deliver up to the University all books, apparatus, record and other articles belonging to the University that may be in his possession by the provisions of Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

7. In all matters, the mutual rights and obligations of the parties hereto shall be governed by the Statutes and Ordinances of the University, for the time being in force, which shall be deemed to be incorporated herein and shall be as such a part of this agreement as if they were reproduced herein, and by the provisions of Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

8. The teachers of the every University in end of every academic session submit prescribed in form E (in three copies) to the Registrar.

In witness whereof the parties hereto affix their hands and seal on the day year first above written.

Signature of the teacher

.....

Signature of the Finance Officer representing of the University.

Witness:

1.....

2.....

Annexure- D

(See Statutes 15.02, 15.27 and 16.17)

Code of conduct for teachers

Whereas a teacher, conscious of his responsibilities and trust placed in him to mould the character of the youth and to advance knowledge, intellectual freedom and social progress, is expected to realise that he can fulfill the role of moral leadership more by example than by precept through a spirit of dedication, moral integrity and purity in thought, word and deed; Now, therefore, in keeping with the dignity of his calling, this code of conduct is hereby laid down to be truly and faithfully observed:

(1) Every teacher shall perform his academic duties with absolute integrity and devotion.

(2) No teacher shall show any partiality or bias in the assessment of the students not shall he practice victimization against them.

(3) No teacher shall incite one student against another or against his colleagues or the Alma Mater.

(4) No teacher shall discriminate against any pupil on grounds of caste, creed, sect, religion, sex, nationality or language. He shall also discourage such tendencies, amongst his colleagues subordinates and students, and shall not try to use the above considerations for the improvement of his own prospects.

(5) No teacher shall refuse to carry out the decision of the appropriate bodies and functionaries of the University or the degree college, as the case may be.

(6) No teacher shall divulge any confidential information relating to the affairs of the University or degree college, as the case may be, to any person not authorised in respect thereof.

(7) No teachers shall run any other business Part time home teaching (tuition) and coaching classes.

(8) The teachers shall remain available to the students for necessary assistance and guidance even after the classes without any remuneration.

(9) With a view to completing the educational programme, a teacher shall take leave only in unavoidable circumstances with the prior permission as far as possible.

(10) The teacher shall remain engaged in developing his/her academic achievements by a continuous study, research and training.

(11) Every teacher shall provide in responsibilities, supervision evaluation of answer books, teaching and curricular activities.

(12) As per the ideals of democracy, patriotism and peace, teacher shall create the feeling of respect among students towards scientific temperament and physical labor.

Annexure- E

(See Statutes 15.28, 16.02 and 16.16)

Form of agreement with a teacher (other than a principal)

in Affiliated Degree Colleges

Agreement made this.....date of.....20..., between..... of the first part (hereinafter called a teacher) and the Management of the ..... college..... (hereinafter called a degree college) through the Principal/Secretary of the second part.

Whereas the college has engaged the party of the first part to serve the degree College as ..... subject to the conditions and upon the terms hereinafter contained, now this agreement witnessed that the teachers and the degree college hereby contract and agree as follows-

(1) That the engagement shall be from the .....day of 20..... and shall be determinable as hereinafter provided.

(2) That the teacher is employed, in the first instance on probation for a period of one year and shall be paid a monthly salary of Rs. ..... The period of probation may be extended by such further period as the degree college may deem fit but the total period of probation shall in no case exceed two years.

(3) That on confirmation after the period of probation the college shall pay the teacher of the services at the rate of Rs..... (Rupees.....only) per month rising by annual increment of Rs..... per month. The scale of pay shall be subject to such revision as may be made by the University with the approval of the State Government from time to time.

(4) That the said monthly salary is due on the first day of the month following that for which it is earned and the Management shall pay it to the teacher not later than fifteenth date of the each month.

(5) That the teacher shall not make a representation to the University or to any member of the Management, except through the Principal who shall forward it to higher authorities.

(6) That teacher, shall in addition to the ordinary duties, perform such duties as may be entrusted to him by the Principal in connection with internal administration or activities of the degree College.

(7) In all other respects the mutual rights and obligations of the parties hereto shall be governed by the Statutes of the University as amended from time to time and by the provisions of the Uttar Pradesh State University Act, 1973.

Signed this.....day of .....20, ...On behalf of Management by .....by the teacher in the presence of witness:

1.....

2.....

Form of agreement with a principal of an

Affiliated Degree College

Agreement made this.....day of .....20... between..... of the first part (hereinafter called the Principal) and the.....(hereinafter called the Management) of ..... degree college through the President of the second part.

Whereas the Management has engaged the party of the first part to serve the degree college as Principal subject to the conditions hereinafter contained, now this Agreement witnesseth that the party of the first part and the Management hereby contract and agree as follows:

(1) That the agreement shall begin from the .....20.....and shall be determinable as hereinafter provided.

(2) That the Principal is employed, in the first instance, on probation for a period of one year and shall be paid a monthly salary of Rs..... the period of probation may be extended by another year at the discretion of the Management.

(3) That on confirmation after the period of probation the Management shall pay the Principal at the rate of Rs..... (Rupees.....only) per month in the scale of Rs.....That scale of pay shall be subject to such revision as may be made by the University with the approval of the State Government from time to time.

(4) That the said monthly salary is due on the first day of the month following that for which it is earned and the Management shall pay it to the Principal not later than fifteenth date of each month.

(5) The Principal shall perform all such duties as appear into the Principal of an affiliated degree college and shall be responsible for due discharge of such duties. The Principal shall be solely responsible to the internal management and discipline of the said college including such matters as the selection of Text-books in consultation with the senior-most teacher of the department concerned the management of the college time table, the allocation of duties to all the members of college staff, the appointment of Wardens, Proctors or Games Superintendents, etc., the grant of leave to the staff, the appointment, promotion control and removal of the subordinate staff such as peons, Daftaris, gardener, technicians. etc., the granting of freeship and half freeship to students within the number sectioned by the Management, his control of the college or hostels through the Warden, the admission discipline and punishment of students and the organization of games and other activities. He shall administer all student's funds, such as Games fund, Magazine Fund, Union Fund, Reading Room Fund, Examination Funds, etc., with the help of Committee appointed by him and in accordance with the directions received by him from time to time from the University, and subject to audit and security of accounts by qualified accountant appointed by the Management not from amongst its members. The accountant's fee will be legitimate charge on the student's funds of the college.

He shall have all powers necessary for the purpose, including power in an emergency to suspend members of the staff, including teachers or staff pending report to any decision by the Management. In the spheres of his sole responsibility he shall follow the direction received from the University or Government in connection with the administration of the college. In financial and other matters, for which he is not solely responsible, the Principal shall follow the direction of the Management as issued to him in writing through the Secretary to the members of the staff shall be issued through the Principal and no member of the staff have a direct approach to any member of the Management except through the Principal. The Principal shall have all necessary powers of control and discipline in regard to the clerical and administrative staff including the power to withhold increments. All appointments in Principal's office shall be made with his concurrence.

(6) That the Principal shall be ex-officio member of the Management, any other committee appointed by the Management and have the power to vote.

Provided that he shall not be a member of the Committee appointment to inquire into his own conduct.

(7) The date of birth of the principal..... is in proof of which he has produced the..... High School Certificate or that of any other examination recognised as equivalent to High School Examination and has annexed certified copy thereof.

(8) In all other respects, the mutual right, and obligations of the parties hereto shall be governed by the Statutes of the University as amended from time to time and by the provisions of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

Signed this....day of .....20....on behalf of the Management by .....

By the Principal in the presence of --

Witness (1)

Address.....

Witness (2)

Address.....

(3) Annual Academic Progress Reports for the Academic Session.....

(1) Name of the teacher.....

(2) Department to which attached.....

(3) Whether teacher, Associate Professor, Professor, Principal etc. ?

(4) Academic qualifications or distinctions achieved, if any, during the session.

(5) Details of publications or research work done by the teacher and or papers read in any notional or international conference..

(6) Number of Research Students under his guidance during the session and whether any of them has been conferred a research degree...

(7) Number of Lectures..... (excluding tutorial classes) delivered in the University or Institute or College, During the session.

(8) Remarks

I hereby declare that the contents of this Academic progress Report are true to my personal knowledge.

Date .....

Signature of Teacher

Countersigned

Annexure- F

(See Statutes 11.12-B)

Amendment Rules July 24, 2013 to Academic Performance Indicate of the U.G.C. for the promotion under the direct recruitment and carrier advance scheme

(Minimum qualification for appointment for teachers and other Academic Staff in Universities and colleges and Measures for maintenance of standards in higher education 2nd amendment Regulations, 2013, Appendix III)

Annexure- G

(See Statutes 12.01)

Affiliated degree colleges to the Sri Dev Suman Uttarakhand University

By Order,

Dr. RANBIR SINGH,

Additional Chief Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट/448–भाग 1–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 अगस्त, 2017 ई0 (श्रावण 21, 1939 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)

05 जुलाई, 2017 ई0

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 1642/रा0कर आयु0 उत्तरा0/माल और सेवा कर/विधि–अनुभाग/17–18/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन के विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 282/XXXVI(3)/2017/41(1)/2017 देहरादून तथा अधिसूचना संख्या 260/XXXVI(3)/2017/48(1)/2017 देहरादून, समदिनांकित 30 जून, 2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017 तथा उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2017 अधिसूचित किये गये हैं।

उपरोक्त अधिसूचनाओं की प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 282/XXXVI(3)/2017/41(1)/2017

देहरादून, 30 जून, 2017

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017" पर दिनांक 30 जून, 2017 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2017 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2017

(अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2017)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन के लिये–

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है :

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

धारा 25–क का संशोधन

2. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे यहाँ मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 25–क की वर्तमान उपधारा (1) तथा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेगी; अर्थात्–

(1) इस अधिनियम में किसी अन्य बात के होते हुए भी, यह प्राविधानित किया जाता है कि कमिश्नर, विज्ञप्ति जारी करके यह घोषित कर सकते हैं कि ऐसी विज्ञप्ति में सूचीबद्ध पंजीकृत ब्यौहारी, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 अथवा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (2) सपठित उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे कर निर्धारण वर्ष के लिए जैसा कि ऐसी विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट हो, निम्न आधारों पर स्वतः ही कर निर्धारित मान लिये जायेंगे;

(क) ऐसे मामले, जिनमें इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पूर्व अथवा को अथवा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन के भीतर सभी सावधिक विवरणियाँ दाखिल कर दी गयी है, लेकिन वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं की गयी है, में इन सभी विवरणियों में स्वीकृत करदेयता; और

(ख) ऐसे मामले, जिनमें कोई सावधिक विवरणी दाखिल नहीं की गयी है अथवा सभी सावधिक विवरणियाँ दाखिल नहीं की गयी है परन्तु इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पूर्व अथवा को अथवा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन के भीतर वार्षिक विवरणी दाखिल कर दी गयी है, में वार्षिक विवरणी में स्वीकृत करदेयता; और

(ग) ऐसे मामले, जिनमें इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पूर्व अथवा को अथवा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन के भीतर सभी सावधिक विवरणियाँ दाखिल कर दी गयी है और वार्षिक विवरणी भी दाखिल कर दी गयी है, में वार्षिक विवरणी में स्वीकृत करदेयता;

परन्तु यह कि–

(एक) ऐसे ब्यौहारी का कर निर्धारण अनिस्तारित हो और वह कर निर्धारण वर्ष 2013–14 अथवा 2014–15 अथवा 2015–16 के अतिरिक्त अन्य वर्ष से सम्बन्धित न हो; और

(दो) ऐसे मामले, जिनमें केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 अथवा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट प्राविधानों के अन्तर्गत कोई कर की मुक्ति, रियायत अथवा रिबेट का दावा किया गया हो, में वार्षिक विवरणी तथा ऐसे दावों के समर्थन में संबंधित अधिनियम एवं नियम के प्राविधानों के अनुसार अपेक्षित घोषणा, प्रमाण–पत्र अथवा अन्य साक्ष्य इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पूर्व अथवा को अथवा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन के भीतर दाखिल कर दिए गए हों; और

(तीन) ऐसे कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित, कर निर्धारण अधिकारी के किसी आदेश अथवा नोटिस के विरुद्ध कोई रिट अथवा धारा 51 या धारा 53 के अन्तर्गत कोई अपील दायर न की गयी हो;

परन्तु यह और कि–

(एक) ऐसे ब्यौहारी द्वारा संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल के स्वामित्व (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) के अन्तरण का कोई सम्व्यवहार न किया गया हो; अथवा

(दो) ऐसा ब्यौहारी विशिष्ट रूप से "आयरन और स्टील" अथवा "खाद्य तेल" अथवा "सीमेंट" अथवा "मेंथा एवं मेंथा उत्पाद" अथवा "पान मसाला" अथवा "मार्बल स्टोन" अथवा "सिरेमिक टाइल्स" अथवा "इनमें से एक से अधिक वस्तुओं" की ट्रडिंग अथवा विनिर्माण में व्यवहृत न हो; अथवा

(तीन) ऐसा ब्यौहारी विशिष्ट रूप से "ईंटों" अथवा "रेत" अथवा "बजरी" अथवा "रिवर बेड मैटिरियल्स (आर0बी0एम0)" अथवा "बोल्डर्स" अथवा "क्रस्ड स्टोन" अथवा "स्टोन ब्लास्ट" अथवा "ग्रिट" अथवा "गिट्टी" अथवा "कंकड़" अथवा "स्टोन डस्ट" अथवा "इनमें से एक से अधिक वस्तुओं" की ट्रेडिंग में व्यवहृत न हो; अथवा

(चार) ऐसा ब्यौहारी ईंटों के विनिर्माण में व्यवहृत न हो; अथवा

(पाँच) ऐसे ब्यौहारी द्वारा रु0 10,000 से अधिक की वापसी (रिफण्ड) का दावा न किया गया हो; अथवा

(छः) ऐसे ब्यौहारी के विरूद्ध कोई प्रतिकूल जाँच अथवा कार्यवाही न की गयी हो; अथवा

(सात) वर्ष 2012–13 के संदर्भ में, ऐसे ब्यौहारी के विरूद्ध;

(क) कर की दर पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए; या

(ख) आई0टी0सी0 का विलोमितीकरण नहीं होना चाहिए ; या

(ग) सुनवाई के उपरान्त सर्वोत्तम विवेक से पारित आदेश के परिणामस्वरूप रु0 10,000/– से अधिक की कोई अतिरिक्त माँग, स्वीकृत कर के अतिरिक्त, सृजित नहीं होनी चाहिए।

(4) उपधारा (1) में प्राविधानों के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी हो जाने के पश्चात् यदि कर निर्धारण अधिकारी, छानबीन (स्क्रूटनी) अथवा प्राप्त सूचना के आधार पर सन्तुष्ट है कि किसी कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित किसी वाद में कर की देयता, स्वीकृत कर देयता से रु0 10,000 या उससे अधिक है, तो ऐसे कर निर्धारण वर्ष का वाद कमिश्नर, अथवा कमिश्नर द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी जो ज्वाइन्ट कमिश्नर से निम्न पद का नहीं होगा, की अनुमति से, लेखा पुस्तकों एवं सम्बन्धित दस्तावेजों की जाँच करके पुनः कर निर्धारण करने के लिए खोला जा सकता है और इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी ऐसे वाद को पुनः कर निर्धारण हेतु खोले जाने की समय–सीमा, ऐसे कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा ऐसे वाद में पुनः कर निर्धारण पूर्ण करने की समय–सीमा, जिस दिनांक को वाद खोला गया है से एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

आज्ञा से,

भारत भूषण पाण्डेय,
अपर सचिव।

कारण एवं उद्देश्य

वार्षिक कर निर्धारण वादों की अत्यधिक संख्या के परिप्रेक्ष्य में ऐसे वादों, जिनमें अपेक्षाकृत अधिक वार्षिक आवर्त तथा कर निहित न हो, को निस्तारित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में एक नई धारा 25–क अन्तःस्थापित की गयी है, जिनके अन्तर्गत कतिपय उदार शर्तों के अधीन वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 के कर निर्धारण वादों को स्वतः कर निर्धारित किये जाने का प्रावधान किया गया। उक्त धारा 25–क को जोड़े जाने के फलस्वरूप वर्ष 2011–12 के लिये 26811 तथा वर्ष 2012–13 के लिये 26,815 वादों कुल 53,696 वाद निस्तारित किये गये। इस प्रकार वर्ष 2012–13 तक के समस्त वादों का निस्तारण हो चुका है।

2. उल्लेखनीय है कि दिनांक 01 जुलाई, 2017 से माल एवं सेवा कर प्रणाली लागू की जानी प्रस्तावित है, इस परिप्रेक्ष्य में जी0एस0टी0 प्रणाली को सुचारू रूप से प्रशासित करने के उद्देश्य से भी आवश्यक है कि विगत वर्षों के अधिकाधिक कर निर्धारण वादों का निस्तारण शीघातिशीघ्र किया जाये। इसके अतिरिक्त वर्तमान में कर निर्धारण वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 के क्रमशः 58,834, 87,375 तथा 1,05,086 अवशेष वादों का निस्तारण किया जाना है और इतनी अधिक संख्या में कर निर्धारण वादों को अधिनियम में विहित समय सीमा के भीतर निस्तारण किया जाना अत्यधिक दुष्कर कार्य है।

3. धारा 25–क के प्राविधानानुसार उदार शर्तों के अधीन व्यापारियों द्वारा दाखिल रूपपत्रों के आधार पर उन्हें स्वतः निर्धारित मान लिये जाने के परिणामस्वरूप अन्य महत्वपूर्ण वादों का परीक्षण अपेक्षित Detailing से किया जाना सम्भव हो सकेगा। इसके अतिरिक्त जी0एस0टी0 की विभिन्न अपेक्षाओं की पूर्णता हेतु निर्धारित समय–सीमा के दृष्टिगत विभागीय अधिकारियों की व्यस्तता के संदर्भ में भी धारा–25क में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

4. उक्त वर्णित स्थिति में धारा 25–क के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2013–14, कर निर्धारण वर्ष 2014–15 तथा कर निर्धारण वर्ष 2015–16 के अनिस्तारित वादों को सम्बन्धित वर्ष में सकल वार्षिक आवर्त की बिना कोई मौद्रिक सीमा निर्धारित किये, जिन व्यापारियों के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य रिकॉर्ड में हैं, जिन व्यापारियों के विरूद्ध आई0टी0सी0 रिवर्सल अथवा किसी अन्य कारण से नियमित सुनवाई में रु0 10,000 से अधिक की माँग सृजित हुई हो, ऐसे ईंट–भट्टों, जिनके द्वारा समाधान योजना का विकल्प नहीं लिया गया है आदि को डीम्ड एसेसमेंट से बाहर रखते हुये उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 25–क में अग्रेत्तर संशोधन किये जाने हेतु उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017 को विधान सभा में पुरःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अतः उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017 सदन के विचारार्थ पुरःस्थापित किया जा रहा है।

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 260/XXXVI(3)/2017/48(1)/2017

देहरादून, 30 जून, 2017

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2017" पर दिनांक 30 जून, 2017 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 10, वर्ष 2017 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2017

(अधिनियम संख्या 10, वर्ष 2017)

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में अग्रेत्तर संशोधन के लिये–

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है :

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

धारा 2 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे यहाँ आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 की वर्तमान उपधारा (24) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्–

(24) "आयुक्त" से धारा 3 के अधीन नियुक्त राज्य कर आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत धारा 3 के अधीन नियुक्त राज्य कर प्रधान आयुक्त/मुख्य आयुक्त भी है;

धारा 11 का संशोधन

3. "मूल अधिनियम" की धारा 11 की वर्तमान उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा जोड़ दी जाएगी; अर्थात्–

(4) परिषद् की संस्तुति पर धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गयी किसी अधिसूचना अथवा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन जारी आदेश इस अधिनियम के अधीन जारी की गयी अधिसूचना या जैसी भी स्थिति हो, आदेश समझे जाएंगे।

धारा 52 में संशोधन

4. "मूल अधिनियम" की धारा 52 की वर्तमान उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी; अर्थात्–

(4) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों की बहिर्गामी पूर्तियों, जिनके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति है तथा मास के दौरान उपधारा (1) के अधीन संग्रहित रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में ऐसे मास के अंत से 10 दिन के भीतर इलैक्ट्रानिकी रूप में विवरण प्रस्तुत करेगा?

धारा 79 में संशोधन

5. "मूल अधिनियम" की धारा 79 की वर्तमान उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाएगा; अर्थात्–

(1) (ग) (iii) किसी व्यक्ति को, जिसे उपखण्ड (i) के अधीन सूचना जारी की गयी है, के उसके अनुसरण में सरकार को संदाय करने में असफल रहने की दशा में वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में व्यतिक्रमी समझा जाएगा और उसे इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गये नियमों के सभी परिणाम लागू होंगे;

धारा 93 में संशोधन

6. "मूल अधिनियम" की धारा 93 की वर्तमान उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी; अर्थात्–

(4) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित के सिवाय, जहाँ कोई कराधेय व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है,–

(क) किसी प्रतिपाल्य का संरक्षक है, जिसकी ओर से संरक्षक द्वारा कारबार चलाया जाता है; या

(ख) कोई न्यासी है, जो फायदाग्राही के लिए किसी न्यास के अधीन कारबार का संचालन करता है,

तब यदि संरक्षकता या न्यास को समाप्त कर दिया जाता है, प्रतिपाल्य या फायदाग्राही कराधेय व्यक्ति से संरक्षकता या न्यास के समापन तक शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण संरक्षकता या न्यास के समापन से पूर्व किया गया है किन्तु जो असंदत्त रह गया है या तत्पश्चात् अवधारित किया गया है।

आज्ञा से,

डा0 नरेन्द्र के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
विधायी प्रकोष्ठ।

कारण एवं उद्देश्य

'उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017' विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–212/XXXVI(3)/32(1)/2017, दिनांक 26 मई, 2017 द्वारा अधिसूचित किया गया था। उक्त अधिनियम के प्रावधान जी0एस0टी0 काउंसिल द्वारा अनुमोदित एवं उपलब्ध कराये गये ड्राफ्ट के अनुसार रखे गये हैं, परन्तु परीक्षणोपरान्त उक्त अधिनियम के हिन्दी संस्करण में कतिपय कमियाँ प्रकाश में आयी हैं, जिनका निराकरण जी0एस0टी0 प्रणाली लागू होने से पूर्व किया जाना आवश्यक है।

2. उक्तानुसार 'उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017' की धारा 2 की उपधारा (24) में आयुक्त की परिभाषा की त्रुटि को दूर करने, अधिनियम के अंग्रेजी संस्करण के अनुरूप धारा 11 की उपधारा (3) के पश्चात् उपधारा (4) जोड़े जाने, अधिनियम के अंग्रेजी संस्करण के अनुरूप धारा 52 की उपधारा (4) में प्रयुक्त शब्दावली '10 दिन के पश्चात्' को '10 दिन के भीतर' किये जाने, अधिनियम के अंग्रेजी संस्करण के अनुरूप धारा 79 की उपधारा (1) (ग) (iii) में शब्दावली 'इस नियम या तद्धीन बनाये गये सभी नियमों के परिणाम' के स्थान पर 'इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के सभी परिणाम' प्रतिस्थापित किये जाने तथा धारा 93 के उपधारा (4) (क) एवं (4) (ख) में अधिनियम के अंग्रेजी संस्करण के अनुरूप 'अभिरक्षक' एवं 'अभिरक्षा' के स्थान पर क्रमशः 'संरक्षक' एवं 'संरक्षकता' शब्दों का उल्लेख किये जाने के लिये मूल अधिनियम में संशोधन आवश्यक है।

3. उक्त वर्णित स्थिति में 'उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017' की धारा 2 की उपधारा (24), धारा 11, धारा 52 की उपधारा (4), धारा 79 की उपधारा (1) (ग) (iii) तथा धारा 93 की उपधारा (4) (क) एवं (4) (ख) में अग्रेत्तर संशोधन हेतु 'उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2017' को विधान सभा में पुरःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अतः 'उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2017' सदन के विचारार्थ पुरःस्थापित किया जा रहा है।

विपिन चन्द्र,
एडिशनल कमिश्नर, राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट/448–भाग 1–क–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 अगस्त, 2017 ई0 (श्रावण 21, 1939 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

शैक्षिक प्रमाणपत्रों में मेरा नाम कुमारी केला देवी है शादी के बाद मैंने अपना नाम केला जैन कर लिया है अब धार्मिक कारणों से मैंने अपना नाम केला जैन से बदलकर कल्पना जैन कर लिया है, भविष्य में मुझे कल्पना जैन पत्नी जे0डी0 जैन के नाम से पहचाना एवं पुकारा जाये।

कल्पना जैन

पत्नी श्री जे0डी0 जैन

निवासी–7/1 ओल्ड़ सर्वे रोड

देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट/448–भाग 8–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।